"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2003—वैशाख 19, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—श्री राजकमल, भा. प्र. से. (1994) को अध्ययन अवकाश से वापस लौटने पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से वित्त एवं योजना विभाग के अंतर्गत विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, बारहवें वित्त आयोग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री राजकमल द्वारा कार्यग्रहण करने के दिनांक से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 (1) के तहत राज्य शासन द्वारा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, बारहवें वित्त आयोग के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2003

क्रमांक बी-1-14/2003/1/4.—श्री बी. पी. एस. नेताम, (रा. प्र. से.) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

2. उपर्युक्तानुसार श्री नेताम द्वारा संचालक, लोक शिक्षण के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर, श्री एस. के. कुजूर, भा. प्र. से. (1986) संचालक, लोक शिक्षण एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग, संचालक लोक शिक्षण के कार्यभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2003

विषय : जिलों का नाम परिवर्तित करने बाबत.
संदर्भ : इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 मार्च, 2003.

क्रमांक एफ 10-4/2003/1/5.—शासन ने उपरोक्त अधिसूचना द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के तीन जिलों के नाम इस प्रकार निर्धारित किये हैं :—

1. कबीर धाम
2. दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
3. उत्तर बस्तर कांकेर

2. उक्त नामों में से "दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा" एवं "उत्तर बस्तर कांकेर" के संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है कि उक्त नामों को अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार लिखा जाय.

3. आदेशानुसार निवेदन है कि उक्त दोनों जिले के नाम अंग्रेजी भाषा में निम्नानुसार लिखा जावे :—

1. Dakshin Bastar Dantewara
2. Uttar Bastar Kanker.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2003

क्रमांक 899/831/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—डॉ. एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर, कवर्धा को दिनांक 16-4-2003 से 30-4-2003 तक (15 दिवस) का पैतृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 11-4-2003 से 15-4-2003 का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुब्बारेड्डी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कवर्धा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री सुब्बारेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुब्बारेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री रेड्डी के अवकाश अवधि में श्री उमेश अग्रवाल, अतिरिक्त कलेक्टर, दुर्ग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, कवर्धा का कार्य संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2003

क्रमांक 901/859/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री सुबोधकुमार सिंह, कलेक्टर, रायगढ़ को दिनांक 16-4-2003 से 23-4-2003 तक (8 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 11-4-2003 से 15-4-2003 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुबोधकुमार सिंह, कलेक्टर, रायगढ़ को आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री सिंह के अवकाश काल में श्री के. आर. पिस्दा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ अपने कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, रायगढ़ का कार्य भी संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2003

क्रमांक 918/883/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री एम. एस. मूर्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को

दिनांक 28-4-2003 से 9-5-2003 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27-4-2003 एवं अंत में 10-5-2003 एवं 11-5-2003 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री एम. एस. मूर्ति, भा. प्र. से. की अवकाश अवधि में श्री रामप्रकाश सचिव वन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, श्रम, खेल व युवक कल्याण विभाग का चालू कार्यभार संभालने के लिये भी नियुक्त किया जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्री मूर्ति को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश काल में श्री मूर्ति को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मूर्ति अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2003

क्रमांक डी-15/14-3/3566.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा ''उक्त अधिनियम'' के प्रयोजन के लिए ''उक्त अधिनियम'' की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज का तथा जांजगीर-चांपा जिले की मालखरौदा एवं डभरा तहसील के नीचे दी गई अनुसूची में समाविष्ट समस्त क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिए आमनदुला में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति से इस अधिसूचना के ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से 4 सप्ताह के कालावधि के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग रायपुर को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

अनुसूची

तहसील मालखरौदा—1. डिक्सी, 2. नौरंगपुर, 3. बसंतपुर, 4. मेन्द्रागोढ़ी, 5. मोहदीकला, 6. मोहदीखुर्द, 7. औरदा, 8. आमनदुला, 9. गोरकापाली, 10. चंदेलाडीह, 11. पिकरीपार, 12. सुलोनी, 13. सुकलीपाली, 14. सोनादुला, 15. आमनदुला, 16. नवागांव, 17. भठोरा, 18. सतगढ़, 19. सारसडोल, 20. अमराडीह, 21. मोहतरा, 22. बड़ेसीपत, 23. भुतहा, 24. कलमी, 25. चारपारा, 26. बीरभाठा, 27. मालखरौदा, 28. मुक्ता, 29. दर्राभाठा, 30. सीपतछोटा, 31. अण्डी, 32. करीगांव, 33. चरौदी, 34. पोता, 35. बडेपरमुड़ा, 36. आडिल, 37. दर्राभाठा, 38. ढिमानी, 39. सकर्रा, 40. सकरी, 41. अड़भार, 42. बुंदेली, 43. बंजारी, 44. बंदौरा, 45. लिमगांव, 46. हरदी, 47. संजारी, 48. कर्रापाली, 49. खरताल, 50. छतौना, 51. झर्रा, 52. टाटा, 53. तौलीपाली, 54. फगुरम, 55. बोकरेल, 56. सपिया, 57. दुधारी, 58. कलबा, 59. तुलसीडीह, 60. दारीमुडा, 61. परसा, 62. परसी, 63. बडेमुड़पार, 64. बोड़ासागर, 65. भांटा, 66. सारसकेला, 67. सेरो, 68. अण्डा, 69. किरारी, 70. किरकार, 71. चिखली, 72. छोटेकोट, 73. जमगहन, 74. दलालपाली, 75. परसाडीह, 76. बडेकोट, 77. सिंधरा, 78. कनाईडीह, 79. खर्री, 80. खेमड़ा, 81. चांटीपाली, 82. बिलाईगढ़, 83. बेलहाभाठा, 84. नंगसर, 85. नवापारा, 86 छपोरा, 87. [illegible], 88. अवरितपाली, 89. कुरदा, 90. कुरदी, 91. अमलीडीह, 92. छोटेरबेली, 93. जोगीडीपा, 94. डोंगरडीह, 95. पिरदा, 96. बरभाठा, 97. बड़ेरवेली, 98. भड़ोरा, 99. माहुलदीप, 100. नरियरा, 101. भेंडीकोना, 102. मिरोनी, 103. मुड़पार, 104. घोघरी, 105. देवगांव, 106. बरभाठा, 107. बरपाली, 108. बासीन, 109. मरघटी, 110. रनपोटा, 111. चरौदा.

तहसील डभरा—112. लिडंगीतराई, 113. बेनीपाली, 114. कठर्रापाली, 115. निमुही, 116. देवरघटा, 117. कानाकोट, 118. ओंड़ेकेरा, 119. सराईपाली, 120. केनापाली, 121. उच्चपिंडा, 122. बरतुंगा, 123. टुण्डी, 124. बाड़ादरहा, 125. कंवली, 126. धूरकोट, 127. डूमरपाली, 128. खेरमुड़ा, 129. अकोलजमोरा, 130. कबारीपाली, 131. शंकरपाली, 132. कोमो, 133. सराईपाली, 134. ढेकनाभाठा, 135. सुकदा, 136. घिंवरा, 137. धोबनीपाली, 138. केकराभाठ, 139. बांधापाली, 140. कुसमुल, 141. चूरतेला, 142. कांसा, 143. कटौद, 144. गोबरा, 145. चुरतेली, 146. लटियाडीह 147. कौंडिया, 148. फरसवानी, 149. रामभाठा, 150. खैरा, 151. खोधर, 152. तेंदूमुड़ी, 153. ठनगन, 154. छुड़ीपाली, 155. कुसुमसर, 156. खरहाभट्ठी, 157. कंवलाझर, 158. मांजरकूंद, 159. सिरियागढ़, 160. झनकपुर, 161. सूखापाली, 162. उपनी, 163. डभरा, 164. बसंतपुर, 165. नवापारा, 166. बरभाठा, 167. भेंड़ीकोना, 168. कटेकोनी छोटे, 169. हरदीडीह, 170. कटेकोनीबड़े, 171. तुरकापाली, 172. ठाकुरपाली,

173. सेमराडीह, 174. गाड़ामोर, 175. किरारी, 176. कोटमी, 177. छूछूभाठा, 178. धौराभाठा, 179. बारापीपर, 180. मेंढ़ापाली, 181. भजपुर, 182. सकराली, 183. पुटीडीह, 184. दर्राभाठा, 185. सकराली, 186. बढ़ापुरैना, 187. चंद्रपुर, 188. गाड़ापाली, 189. छबारीपाली, 190. फलियामुड़ा, 191. साराडीह, 192. सपोस, 193. बगरैल, 194. कोसमंदा, 195. रेड़ा, 196. सुरसा, 197. मुक्ता, 198. सारकेना, 199. बछौद, 200. दर्री, 201. खेराखुर्द, 202. गिरागिरा, 203. बधनीपाली, 204. बिलाईगढ़, 205. बिलौधा, 206. साल्हे, 207. पेंडवा, 208. अमलीपाली, 209. पुजेरीपाली, 210. पुरैना तेली, 211. अमलडीहा, 212. खोरसिया, 213. परसापाली, 214. डोमनपुर, 215. गोविंदपुर, 216. बोरसी, 217. राधापुर, 218. नवापारा, 219. लटसेरा, 220. मड़वा, 221. सिरौली, 222. हरदी, 223. मिरौनी, 224. भैंसामुहान, 225. कांसीडीह, 226. कुंदरुझांझ, 227. महुवापाली, 228. गोपालपुर, 229. हीरापुर, 230. बरहामुंडा, 231. पलसदा, 232. बिलाईगढ़, 233. बिरहाभाठा, 234. बालपुर, 235. कलमा, 236. महादेवपाली, 237. चंदेली.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2003

क्रमांक डी-15/14-3/3566.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में उस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7-4-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

Raipur, the 7th April 2003

No. D-15/14-3/3566.—Whereas, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare its intention to establish a market at Amandula "for the purpose of the said act" for regulating the purchase and sale of Agricultural produce mentioned in the schedule of "the said act" for the following list of villages of the area of Malkharoda & Dabhara Tahsil of Distict Janjgir-Champa.

Any objection or suggestion which may be, received by the secretary to government of Chhattisgarh Agricultural department, Raipur from any person within a period of 4 weeks from the date of publication of this notification in the "C. G. Gazette" will be considered by the State Govenment.

SCHEDULE

Tahsil Malkharoda—1. Dikshi, 2. Naurangapur, 3. Basantpur, 4. Menragorhi, 5. Monhdykala, 6. Mondikhurd, 7. Aurda, 8. Katari, 9. Gorkapali, 10. Chandeladih, 11. Pikarapar, 12. Suloni, 13. Sukalipali, 14. Sonadula, 15. Nawagoanv, 16. Bhthora, 17. Amandula, 18. Satgarh, 19. Sarsdol, 20. Ameradih, 21. Pihrid, 22. Badesipat, 23. Bhutha, 24. Kalmi, 25. Kcharpara, 26. Birbhatha, 27. Malkharouda, 28. Mukta, 29. Mohatara, 30. Sipatchhota, 31. Andi, 32. Karigonw, 33. Charaudi, 34. Pota, 35. Bare Padarmuda, 36. Aaril, 37. Darrabhatha, 38. Dhimani, 39. Sakarra, 40. Sakarri, 41. Arbhar, 42. Bundeli, 43. Banjari, 44. Bandoura, 45. Leemgaon, 46. Haradi, 47. Sanjari, 48. Karrapali, 49. Khartal, 50. Chhatouna, 51. Jharra, 52. Tata, 53. Toulipali, 54. Faguram, 55. Bokrel, 56. Sapiya, 57. Dudhari, 58. Kalaba, 59. Tulasideeh, 60. Darimura, 61. Parasa, 62. Parasi, 63. Bare murpar, 64. Bora sagar, 65. Bhata, 66. Saras kela, 67. Sero, 68. Anda, 69. Kirari, 70. Kirkar, 71. Chikali, 72. Chhotekote, 73. Jamgahan, 74. Dalal pali, 75. Parasa deeh, 76. Bare kote, 77. Sindhara, 78. Kanai deeh, 79. Kharri, 80. Khemra, 81. Chanti pali, 82. Bilaigarh 83. Belaha bhatha, 84. Nangsar, 85. Nawapara, 86. Chhpora, 87. Doma, 88. Avritapali, 89. Kurda, 90. Kurdi, 91. Amlidih, 92. Chhotebareli, 93. Jogidipa, 94. Dongridhi, 95. Pirda, 96. Barbhata, 97. Bdreraveli, 98. Bhdrora, 99. Mahuldip. 100. Nariyara, 101. Bhedrikona, 102. Mironi, 103. Mudrpar, 104. Ghoghari, 105. Devgaonv, 106. Barbhatha, 107. Barpali, 108. Basina, 109. Marghati, 110. Ranpota, 111. Chrouda.

Tahsil Dabhara—112. Lidngitarai, 113. Benipali 114. Kaththarrapali, 115. Nimuhi, 116. Dewarghata, 117. Kanakot, 118.Odekera, 119. Saraipali, 120. Kenap[illegible]i. 121. Uchchapinda, 122. Bartunga, 123. Tundri, 124. Badadarha, 125. Kawli, 126. Dhoorkot, 127. Dumarpali, 128. Khermuda, 129. Akokjamnora, 130. Kabaripali, 131. Sakarpali, 13[illegible] Komo, 133. Saraipali, 134. Dhenknabhata, 13[illegible] Sukada, 136. Dhiwra, 137. Dhobanipali, 138. Kekrabhat, 139. Bandhapali, 140. Kusmul, 14[illegible]. Choortela, 142. Kansa, 143. Kataud, 144. Gobra, 145. Choorteli, 146. Latiyadih, 147. Koudiya, 148. Pharaswani, 149. Rambhata, 150. Khaira, 151. Khondhar, 152. Tendumudi, 153. Thangan, 154. Chhudipali, 155. Kusumsar, 156. Kharhabhatti, 157. Kawaljhar, 158. Manjerkund, 159. Siriyagarh, 160. Jhanakpur, 161. Sukhapali, 162. Upani, 163. Dabhara,

164. Basantpur, 165. Nawapara, 166. Barbhata, 167. Bhedikona, 168. Katekoni Chhote, 169. Hardidih, 170. Katekoni Bade, 171. Turkapali, 172. Thakurpali, 173. Semhradih, 174. Gadamor, 175. Keerari, 176. Kotami, 177. Chhuchhu Bhata, 178. Dhorabhata, 179. Barapipar, 180. Medhapali, 181. Bhajpur, 182. Sakrali, 183. Putidih, 184. Darrabhata, 185. Jwali, 186. Barhapurena, 187. Chandrapur, 188. Gadapali, 189. Chhawaripali, 190. Phaliamuda, 191. Saradih, 192. Sapos, 193. Bagrail, 194. Kosmanda, 195. Reda, 196. Sursa, 197. Mukta, 198. Sarkena, 199. Bachhaud, 200. Darri, 201. Khera Khurd, 202 Giragira, 203. Badhanipali, 204. Bilaigarh, 205. Bilaudha, 206. Salhe, 207. Pendrwa, 208. Amlipali, 209. Pujeripali, 210. Purena Teli, 211. Amaldiha, 212. Khorsiya, 213. Parsapali, 214. Domanpur, 215. Govindpur, 216. Borsi, 217. Radhapur, 218. Nawapara, 219. Latesara, 220. Madwa, 221. Sirauli, 222. Hardi, 223. Mirauni, 224. Bhaisamuhan, 225. Kansidih, 226. Kundrujhanjh, 227. Mahuapali, 228. Gopalpur, 229. Hirapur, 230. Bahramuda, 231. Palsada, 232. Bilaigarh, 233. Birahabhata, 234. Balpur, 235. Kalma, 236. Mahadeopali, 237. Chandali.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. P. RAO, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2003

क्रमांक 3615/बी-11/8/2003/14-2.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011/15/99-केंडिट-2, दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2003 के लिए संलग्न
फसल सूची के अनुसार तहसीलों को राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है :—

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मौसम खरीफ 2003 हेतु तहसीलवार, फसलवार परिभाषित जिले एवं तहसीलें

जिले का नाम (1)	क्रमांक (2)	तहसील का नाम (3)	जिला का नाम (1)	क्रमांक (2)	तहसील का नाम (3)
1. धान असिंचित :—					
1. रायपुर	1.	रायपुर	3. धमतरी	17.	धमतरी
	2.	आरंग		18.	कुरूद
	3.	तिल्दा		19.	नगरी
	4.	अभनपुर			
	5.	सिमगा	4. दुर्ग	20.	दुर्ग
	6.	भाटापारा		21.	पाटन
	7.	बलौदाबाजार		22.	गुन्डरदेही
	8.	पलारी		23.	डौन्डीलोहारा
	9.	कसडोल		24.	धमधा
	10.	बिलाईगढ़		25.	बालोद
	11.	राजिम		26.	गुरूर
	12.	गरियाबंद		27.	बेमेतरा
	13.	देवभोग		28.	बेरला
2. महासमुन्द	14.	महासमुन्द		29.	साजा
	15.	सरायपाली		30.	नवागढ़
	16.	बसना	5. राजनांदगांव	31.	राजनांदगांव

(1)	(2)	(3)
5. राजनांदगांव	32.	डोंगरगढ़
	33.	खैरागढ़
	34.	छुईखदान
	35.	डोंगरगांव
	36.	मोहला
	37.	अम्बागढ़-चौकी
	38.	मानपुर
6. कवर्धा	39.	कवर्धा
	40.	पंडरिया
7. बस्तर	41.	जगदलपुर
	42.	कोण्डागांव
	43.	केशकाल
	44.	नारायणपुर
8. कांकेर	45.	कांकेर
	46.	चारामा
	47.	नरहरपुर
	48.	भानुप्रतापपुर
	49.	अंतागढ़
	50.	पखांजूर
9. दन्तेवाड़ा	51.	दन्तेवाड़ा
	52.	भोपालपटनम
	53.	बीजापुर
	54.	कोन्टा
10. बिलासपुर	55.	बिलासपुर
	56.	पेण्ड्रारोड
	57.	कोटा
	58.	तखतपुर
	59.	मुंगेली
	60.	लोरमी
	61.	बिल्हा
	62.	मस्तुरी
	63.	मरवाही
11. जांजगीर-चांपा	64.	जांजगीर
	65.	नवागढ़
	66.	पामगढ़
	67.	चांपा
	68.	सक्ती
11. जांजगीर-चांपा	69.	मालखरौदा
	70.	जैजैपुर
	71.	डभरा
12. कोरबा	72.	कोरबा
	73.	कटघोरा
	74.	पाली
	75.	करतला
13. रायगढ़	76.	रायगढ़
	77.	सारंगढ़
	78.	खरसिया
	79.	घरघोड़ा
	80.	लैलूंगा
	81.	धरमजयगढ़
14. जशपुरनगर	82.	जशपुर
	83.	कुनकुरी
	84.	बगीचा
	85.	पत्थलगांव
15. सरगुजा	86.	अम्बिकापुर
	87.	राजपुर
	88.	लुन्ड्रा
	89.	सीतापुर
	90.	सुरजपुर
	91.	प्रतापपुर
	92.	पाल
	93.	वाड्रफनगर
	94.	सामरी
16. कोरिया	95.	बैकुंठपुर
	96.	सोनहत
	97.	मनेन्द्रगढ़
	98.	भरतपुर

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1.1 धान सिंचित :—					
1. रायपुर	1.	रायपुर	8. कांकेर	35.	भानुप्रतापपुर
	2.	आरंग		36.	अंतागढ़
	3.	तिल्दा		37.	पखांजूर
	4.	अभनपुर			
	5.	सिमगा	9. दन्तेवाड़ा	38.	भोपालपटनम
	6.	भाटापारा			
	7.	बलौदाबाजार	10. बिलासपुर	39.	बिलासपुर
	8.	पलारी		40.	पेन्ड्रारोड
	9.	कसडोल		41.	कोटा
	10.	बिलाईगढ़		42.	तखतपुर
	11.	राजिम		43.	मुंगेली
	12.	गरियाबंद		44.	लोरमी
	13.	देवभोग		45.	बिल्हा
				46.	मस्तुरी
2. महासमुन्द	14.	महासमुन्द		47.	मरवाही
	15.	सरायपाली			
	16.	बसना	11. जांजगीर-चांपा	48.	जांजगीर
				49.	नवागढ़
3. धमतरी	17.	धमतरी		50.	पामगढ़
	18.	कुरूद		51.	चांपा
	19.	नगरी		52.	सक्ती
				53.	मालखरौदा
4. दुर्ग	20.	दुर्ग		54.	जैजैपुर
	21.	पाटन		55.	डभरा
	22.	गुन्डरदेही			
	23.	धमधा	12. कोरबा	56.	पाली
	24.	बालोद		57.	करतला
	25.	गुरूर			
			13. रायगढ़	58.	रायगढ़
5. राजनांदगांव	26.	राजनांदगांव		59.	सारंगढ़
	27.	डोंगरगढ़		60.	खरसिया
	28.	डोंगरगांव		61.	लैलूंगा
	29.	अम्बागढ़-चौकी		62.	धरमजयगढ़
6. कवर्धा	30.	कवर्धा	14. जशपुरनगर	63.	कुनकुरी
7. बस्तर	31.	जगदलपुर	15. सरगुजा	64.	अम्बिकापुर
8. कांकेर	32.	कांकेर	16. कोरिया	65.	बैकुंठपुर
	33.	चारामा			
	34.	नरहरपुर			

(1)	(2)	(3)
2. कोदो-कुटकी :—		
1. रायपुर	1.	सिमगा
	2.	गरियाबंद
	3.	देवभोग
2. महासमुन्द	4.	महासमुन्द
3. दुर्ग	5.	डौन्डीलोहारा
	6.	बेमेतरा
	7.	साजा
	8.	नवागढ़
4. राजनांदगांव	9.	राजनांदगांव
	10.	डोंगरगढ़
	11.	खैरागढ़
	12.	छुईखदान
	13.	अम्बागढ़-चौकी
	14.	मोहला
	15.	मानपुर
5. कवर्धा	16.	कवर्धा
	17.	पंडरिया
6. बस्तर	18.	जगदलपुर
	19.	कोन्डागांव
	20.	केशकाल
	21.	नारायणपुर
7. कांकेर	22.	कांकेर
	23.	चारामा
	24.	नरहरपुर
	25.	भानुप्रतापपुर
	26.	अंतागढ़
	27.	पखांजूर
8. दंतेवाड़ा	28.	दंतेवाड़ा
	29.	कोन्टा
9. बिलासपुर	30.	मुंगेली
	31.	लोरमी
10. कोरबा	32.	कटघोरा
11. जशपुरनगर	33.	जशपुर
12. सरगुजा	34.	सुरजपूर
	35.	प्रतापपुर
	36.	पाल
	37.	वाड्रफनगर
13. कोरिया	38.	बैकुंठपुर
	39.	सोनहत
	40.	मनेन्द्रगढ़
	41.	भरतपुर
3. मक्का :—		
1. दुर्ग	1.	बालोद
	2.	साजा
2. राजनांदगांव	3.	राजनांदगांव
	4.	मोहला
	5.	मानपुर
3. कवर्धा	6.	कवर्धा
	7.	पंडरिया
4. बस्तर	8.	जगदलपुर
	9.	कोन्डागांव
	10.	केशकाल
	11.	नारायणपुर
5. कांकेर	12.	कांकेर
	13.	चारामा
	14.	नरहरपुर
	15.	भानुप्रतापपुर
	16.	अंतागढ़
	17.	पखांजूर

(1)	(2)	(3)
6. दंतेवाड़ा	18.	दंतेवाड़ा
	19.	बीजापुर
	20.	भोपालपटनम
	21.	कोन्टा
7. बिलासपुर	22.	कोटा
	23.	पेन्ड्रारोड
	24.	मरवाही
8. कोरबा	25.	कटघोरा
	26.	पाली
9. रायगढ़	27.	धरमजयगढ़
10. जशपुरनगर	28.	जशपुर
	29.	कुनकुरी
	30.	बगीचा
	31.	पत्थलगांव
11. सरगुजा	32.	अम्बिकापुर
	33.	राजपुर
	34.	लुन्ड्रा
	35.	सीतापुर
	36.	सुरजपुर
	37.	प्रतापपुर
	38.	पाल
	39.	वाड्रफनगर
	40.	सामरी
12. कोरिया	41.	बैकुंठपुर
	42.	सोनहत
	43.	मनेन्द्रगढ़
	44.	भरतपुर3.

4. कुल्थी :—

(1)	(2)	(3)
1. रायपुर	1.	गरियाबंद
2. दुर्ग	2.	डौन्डीलोहारा
	3.	बालोद

(1)	(2)	(3)
3. बस्तर	4.	जगदलपुर
	5.	कोन्डागांव
	6.	केशकाल
	7.	नारायणपुर
4. कांकेर	8.	कांकेर
	9.	चारामा
	10.	नरहरपुर
	11.	भानुप्रतापपुर
	12..	अंतागढ़
	13.	पखांजूर
5. सरगुजा	14.	अम्बिकापुर
	15.	राजपुर
	16.	सीतापुर
	17.	सुरजपुर
	18.	प्रतापपुर
	19.	पाल
	20.	वाड्रफनगर

5. रागी :—

(1)	(2)	(3)
1. बस्तर	1.	जगदलपुर
	2.	कोन्डागांव
	3.	केशकाल

6. ज्वार :—

(1)	(2)	(3)
1. बस्तर	1.	जगदलपुर
2. दंतेवाड़ा	2.	कोन्टा
3. सरगुजा	3.	पाल

7. अरहर (तुअर) :—

(1)	(2)	(3)
1. रायपुर	1.	रायपुर
	2.	सिमका
	3.	बलौदाबाजार

(1)	(2)	(3)
2. दुर्ग	4..	धमधा
	5.	पाटन
	6.	गुन्डरदेही
	7.	डौन्डीलोहारा
	8.	बालोद
	9.	बेमेतरा
	10.	साजा
	11.	बेरला
	12.	नवागढ़
3. राजनांदगांव	13.	राजनांदगांव
	14.	डोंगरगढ़
	15.	डोंगरगांव
	16.	खैरागढ़
	17.	छुईखदान
	18.	अम्बागढ़-चौकी
	19.	मोहला
	20.	मानपुर
4. कवर्धा	21.	कवर्धा
	22.	पंडरिया
5. बस्तर	23.	जगदलपुर
	24.	कोन्डागांव
	25.	नारायणपुर
6. कांकेर	26.	कांकेर
	27.	चारामा
	28.	नरहरपुर
	29.	भानुप्रतापपुर
	30.	अन्तागढ़
	31.	पखांजूर
7. दंतेवाड़ा	32.	कोन्टा
8. बिलासपुर	33.	बिलासपुर
	34.	मस्तुरी
	35.	तखतपुर
	36.	कोटा
	37.	मुंगेली
	38.	पेन्ड्रारोड
	39.	मरवाही
9 कोरबा	40.	कटघोरा
	41.	पाली
10. रायगढ़	42.	रायगढ़
	43.	सारंगढ़
	44.	घरघोड़ा
	45.	लैलूंगा
11. जशपुरनगर	46.	जशपुर
	47.	कुनकुरी
	48.	बगीचा
	49.	पत्थलगांव
12. सरगुजा	50.	अम्बिकापुर
	51.	राजपुर
	52.	लुन्ड्रा
	53.	सीतापुर
	54.	सुरजपुर
	55.	प्रतापपुर
	56.	पाल
	57.	वाड्रफनगर
	58.	सामरी
13. कोरिया	59.	बैकुंठपुर
	60.	मनेन्द्रगढ़
	61.	भरतपुर
8. उड़द :—		
1.. रायपुर	1.	कसडोल
	2.	बिलाईगढ़
	3.	गरियाबंद
2. दुर्ग	4.	धमधा
	5.	पाटन
	6.	डौन्डीलोहारा
	7.	बालोद
	8.	बेमेतरा
	9.	साजा
	10.	नवागढ़

(1)	(2)	(3)
3. राजनांदगांव	11.	राजनांदगांव
	12.	डोंगरगांव
	13.	डोंगरगढ़
	14.	छुईखदान
	15.	मोहला
	16.	मानपुर
4. बस्तर	17.	जगदलपुर
	18.	कोनडागांव
	19.	केशकाल
	20.	नारायणपुर
5. कांकेर	21.	कांकेर
	22.	चाराम
	23.	नरहरपुर
	24.	भानुप्रतापपुर
	25.	अन्तागढ़
	26.	पखांजूर
6. बिलासपुर	27.	तखतपुर
	28.	पेन्ड्रारोड
	29.	मरवाही
7. कोरबा	30.	कोरबा
	31.	करतला
	32.	कटघोरा
	33.	पाली
8. रायगढ़	34.	रायगढ़
	35.	सारंगढ़
	36.	खरसिया
	37.	घरघोड़ा
	38.	लैलूंगा
	39.	धरमजयगढ़
9. जशपुरनगर	40.	जशपुर
	41.	कुनकुरी
	42.	बगीचा
	43.	पत्थलगांव
10. सरगुजा	44.	अम्बिकापुर
	45.	राजपुर
10. सरगुजा	46.	लुन्ड्रा
	47.	सीतापुर
	48.	सुरजपुर
	49.	प्रतापपुर
	50.	पाल
	51.	वाड्रफनगर
	52.	सामरी
9. मूंग :—		
1. दुर्ग	1.	धमधा
	2.	नवागढ़
2. राजनांदगांव	3.	राजनांदगांव
3. कांकेर	4.	कांकेर
	5.	चारामा
	6.	नरहरपुर
	7.	भानुप्रतापपुर
4. रायगढ़	8.	रायगढ़
	9.	सारंगढ़
10. सोयाबीन :—		
1. दुर्ग	1.	दुर्ग
	2.	धमधा
	3.	पाटन
	4.	गुन्डरदेही
	5.	डौन्डीलोहारा
	6.	बालोद
	7.	बेमेतरा
	8.	साजा
	9.	बेरला
	10.	नवागढ़
2. राजनांदगांव	11.	राजनांदगांव
	12.	डोंगरगांव
	13.	डोंगरगढ़
	14.	खैरागढ़
	15.	छुईखदान

(1)	(2)	(3)
3. कवर्धा	16.	कवर्धा
	17.	पंडरिया
4. बिलासपुर	18.	मुंगेली
11. मुंगफली :—		
1. महासमुन्द	1.	महासमुन्द
	2.	सरायपाली
	3.	बसना
2. दुर्ग	4.	धमधा
	5.	बेमेतरा
	6.	साजा
	7.	नवागढ़
3. बिलासपुर	8.	तखतपुर
	9.	मुंगेली
	10.	पेन्ड्रारोड
	11.	मरवाही
4. जांजगीर-चांपा	12.	डभरा
5. रायगढ़	13.	रायगढ़
	14.	सारंगढ़
	15.	घरघोड़ा
	16.	लैलूंगा
	17.	धरमजयगढ़
6. जशपुरनगर	18.	कुनकुरी
	19.	बगीचा
	20.	पत्थलगांव
7. सरगुजा	21.	अम्बिकापुर
	22.	सीतापुर
	23.	सुरजपुर
	24.	प्रतापपुर
	25.	पाल
	26.	वाड्रफनगर
12. रामतिल :—		
1. बस्तर	1.	जगदलपुर
	2.	कोन्डागांव
	3.	केशकाल
	4.	नारायणपुर
2. कांकेर	5.	कांकेर
	6.	चारामा
	7.	नरहरपुर
	8.	भानुप्रतापपुर
	9.	अन्तागढ़
	10.	पखांजूर
3. जशपुरनगर	11.	जशपुर
	12.	कुनकुरी
	13.	बगीचा
	14.	पत्थलगांव
13. तिल :—		
1. रायपुर	1.	सिमगा
	2.	गरियाबंद
2. दुर्ग	3.	दुर्ग
	4.	धमधा
	5.	पाटन
	6.	डौन्डीलोहारा
	7.	बालोद
	8.	बेमेतरा
	9.	साजा
	10.	नवागढ़
3. राजनांदगांव	11.	राजनांदगांव
	12.	खैरागढ़
4. कवर्धा	13.	कवर्धा
5. कांकेर	14.	भानुप्रतापपुर
	15.	अंतागढ़
6. दंतेवाड़ा	16.	कोन्टा
7. कोरबा	17.	कोरबा
	18.	करतला
	19.	कटघोरा.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
8. रायगढ़	20.	रायगढ़	9. सरगुजा	24.	पाल
	21.	घरघोड़ा		25.	वाड्रफनगर
	22.	धरमजयगढ़			
			10. कोरिया	26.	मनेन्द्रगढ़
9. सरगुजा	23.	सीतापुर		27.	भरतपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 49/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	आड़पथरा प.ह.नं. 6	1.699	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	पतरापाली प.ह.नं. 7	1.257	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बोतल्दा प.ह.नं. 7	4.115	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	भदरीपाली प.ह.नं. 7	0.364	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	छोटेदेवगांव प.ह.नं. 7	4.598	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	आड़ाझर प.ह.नं. 12	2.091	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	छोटेडुमरपाली प.ह.नं. 13	4.302	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बसनाझर प.ह.नं. 13	0.129	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	आमापाली प.ह.नं. 15	0.328	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 58/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	आमापाली प.ह.नं. 15	1.380	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 59/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	मदनपुर प.ह.नं. 6	2.067	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 60/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	औरदा प.ह.नं. 9	0.245	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 61/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	भागोडीह प.ह.नं. 9	2.616	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 62/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	नवापारा प.ह.नं. 9	0.036	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 63/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	गोपीमहका प.ह.नं. 11	2.404	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 64/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	रतनमहका प.ह.नं. 11	0.113	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 65/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	गोपीमहका प.ह.नं. 11	1.057	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 66/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	चपले प.ह.नं. 15	2.097	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 67/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	टायंग प.ह.नं. 17	1.112	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 68/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	वायंग प.ह.नं. 5	0.716	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्वं), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 69/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	दुसेकेला प.ह.नं. 7	0.405	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 70/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सूती प.ह.नं. 7	0.292	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 71/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	परसापाली प.ह.नं. 7	0.931	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 72/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सरवानी प.ह.नं. 8	2.791	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 73/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	तिऊर प.ह.नं. 8	3.905	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

मि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 74/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	करपीपाली प.ह.नं. 12	3.320	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 75/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कुनकुनी प.ह.नं. 13	4.541	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 76/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बसनाझर प.ह.नं. 13	3.136	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 77/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	फुलबंधिया प.ह.नं. 17	2.564	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 78/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	आमाडोल प.ह.नं. 7	0.732	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 79/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बोतल्दा प.ह.नं. 7	1.529	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 80/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	पतरापाली प.ह.नं. 7	1.935	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 81/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	छोटेदेवगांव प.ह.नं. 7	0.335	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 82/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	करूमौहा प.ह.नं. 12	1.182	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 83/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	छोटेमुड़पार प.ह.नं. 12	2.064	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 84/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बड़ेडुमरपाली प.ह.नं. 13	2.999	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2003

क्रमांक 03/अ-82/2002-03/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तुरी	आमगांव	0.267	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, बिलासपुर.	शिवनाथ नदी पुल पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 24 अप्रैल 2003

क्रमांक 633/अ.वि.अ./भू-अर्जन/34/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	घुंचापाली प.ह.नं. 118/65	0.74	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	चंडी डोंगरी जलाशय के माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 अप्रैल 2003

क्रमांक 633/अ.वि.अ./भू-अर्जन/35/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	देवरी प.ह.नं. 105/52	0.48	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	देवरी जलाशय के बांध पार एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 286/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-छोटे सीपत, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.457 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.219
30/3	0.085
30/2	0.028
1/1, 1/7	0.648
1/3	0.049
2, 3	0.178
17	0.020
4, 5	0.081
8	0.211
7/1	0.142
7/2	0.170
10/10	0.008
9	0.008
11/2	0.202
11/3	0.101
11/1	0.101
199	0.146
10/3	0.093
12/1	0.049
12/3	0.065
12/4	0.142
12/2	0.032
15	0.004
162/3	0.260
13	0.239
59/6, 60/5	0.065
59/2, 60/1	0.109
59/4, 60/3	0.101
59/7, 60/6	0.081
78/2	0.206
59/1	0.162
175	0.053
58/1	0.121
78/1-3	0.287
210/1	0.150
210/2	0.081
10/6	0.081
211	0.077
209/2	0.113
209/4	0.113
209/1	0.020
208/1	0.166
161/2	0.012
145/1	0.182
208/2	0.109
161/3	0.053
145/2	0.142
208/3	0.008
200/6	0.121
181	0.061
198	0.121
197	0.101
182	0.239
173	0.045

(1)	(2)
170/4	0.020
170/5	0.138
176/3	0.069
170/1	0.053
170/3	0.061
170/2	0.016
170/8	0.004
162/2	0.251
162/1	0.065
164	0.008
140/1 ग 165/13	0.283
140/3	0.004
140/6 153/12	0.004
146	0.121
779	0.826
174	0.073
योग 70	8.457

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 287/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 6
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
315 316	0.255
314/2 315/3	0.251
314/1	0.146
307/1	0.202
313/1	0.012
573/2	0.049
308/1	0.049
307/2	0.093
योग	1.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 288/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम-लिमतरा, प. ह. नं. 10
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.414 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102, 103/1	0.029

(1)	(2)
108, 229	0.073
109/1	0.040
110	0.029
111	0.003
227/1	0.089
241	0.048
242/1	0.001
273/1	0.022
273/2	0.002
274	0.028
275	0.036
276	0.023
277	0.004
279	0.004
280	0.056
282/2 283/1	0.024
311	0.036
312	0.024
313	0.012
314	0.049
320	0.002
321	0.016
322	0.028
323/1	0.012
323/2	0.010
324	0.025
325/1	0.056
325/2	0.012
342/2	0.049
317/2	0.049
344	0.049
243/1	0.032
475/3	0.020
479, 480	0.049
482/1	0.020
482/2	0.006
483	0.040
484	0.001
492	0.026
493	0.012
496	0.007
494/4	0.012
500	0.028
504/2	0.056
503/6	0.008
501	0.004
502/1	0.028
505	0.006
515	0.020
516/1, 2	0.002
802/1	0.053
802/2	0.036
803/804	0.008
योग 54	1.414

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 289/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के [illegible] आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 [illegible] 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के [illegible] इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की [illegible] प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सोनादुला, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.497 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
कटारी माइनर-I	
506/1	0.077

(1)	(2)
506/2	0.061
506/3	0.040
507	0.049
508/3	0.012
509/2	
511/3	0.077
692/2	0.049
693/1	0.024
694/1	
693/2	0.085
694/2	
696/1	0.077
704	0.138
691	0.004
701/2	0.032
701/1	0.040
705/1	0.125
705/2	0.077
606/4	0.020
605/2	0.057
605/5	0.036
602	0.061
601/2	0.134
601/3	
601/4	
601/1	0.198
598/3	0.105
598/4	
योग 23	1.578

कटारी माइनर-II

(1)	(2)
450/1	0.036
451/2	0.045
452/1	0.065
449/5	0.004
453/1	0.040
454	0.049
456	0.045
457	0.057
458/1	0.036
458/2	0.008
460/1	0.085
462/1	0.069
463/1, 3	0.045
464	0.040
463/2	0.036
465	0.049
407/1	0.036
407/2	0.032
409/1	0.069
467	0.073
योग 20	0.919
कुल योग 43	2.497

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--कटारी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर--चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 290/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 8.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.873 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
448/1	0.158

(1)	(2)
448/2-3	0.207
448/4	0.022
448/5	0.018
448/6	0.154
447/2	0.021
446	0.038
441/2	0.030
445/1	0.054
445/2	0.063
444/1	0.066
438/3	0.026
437	0.340
439/7	0.054
436/1	0.086
436/2	0.157
436/4	0.095
436/3	0.005
433/1	0.110
433/4	0.110
416	0.100
408/1	0.213
408/2	0.065
405/1	0.116
403	0.216
402/4	0.006
405/3	0.015
402/7	0.060
402/3	0.070
402/1	0.137
389/9 404/1-2	0.257
389/7	0.105
389/3-10, 24	0.177
385/2	0.153
185/3	0.017
385/6	0.157
378/3	0.086
349/1	0.148
348	0.343
347/3	0.010
347/1 343	0.126
352/6	0.162
338/1	0.044
340/2	0.029
340/3	0.365
340/1	0.097
339/1	0.320
339/3	0.270
319	0.282
395 322/1	1.287
286	0.034
287	0.040
289	0.024
290	0.024
203/4	3.080
203/3	1.024
244/1	0.039
244/2	0.018
244/7	0.022
244/15-17	0.128
244/8	0.136
244/9	0.002
246	0.055
योग	11.873

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी उप-वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 291/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-लिमतरा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
803	0.113
804	
799/1	0.071
799/2	0.020
797/1	0.014
798	0.093
793	0.018
794	0.034
792	0.036
791/4	0.069
791/5	0.070
791/2	0.101
822	0.030
823	0.057
826/1	0.073
826/2	0.005
828	0.117
908	0.018
914	0.020
884	0.039
889	0.032
890	0.032
891	0.012
913	
992	0.010
851	0.001
योग	1.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 292/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 2984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-खर्री, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.211 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
71	0.178
70/3	0.008
54/2	0.032
54/1	0.238
53	0.061
38/2	0.072
76	
38/1	0.069
37/2	0.072
77	0.061
78	0.016
79	0.016
80	0.077
82	0.028
85	0.053
86	0.020
90	0.097
87/2	0.032
88	0.073
96	0.008
योग	1.211

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खर्री माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 293/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 11894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-धोबनीपाली, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.744 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25	0.121
26	0.028
23/3	0.065
88/6	0.101
75/6	0.141
289	0.057
23/1	0.004
150	0.077
151	
29	0.101
30/2	0.015
28	0.024
86/1	0.126
37	0.012
158	0.073
290/5	0.380
85/2	0.101
152	0.126
157/6	0.097
157/1	0.024
203	0.178
75/6	0.032
539	0.121
76	0.141
77	
286	0.287
287	0.016
288/1	0.157
288/2	
290/1	0.020
290/6	0.089
योग 28	2.744

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरघटा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 294/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सुकलीपाली, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.694 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
69	0.057
74/1	0.004
71	0.045
70/2	0.057

(1)	(2)
70/6	0.012
67	0.053
66	0.004
65/3	0.081
62/2	0.101
61	0.012
59/1	0.020
59/2	0.069
58/8	0.049
58/7	0.004
58/6	0.065
58/4	0.028
49/3	0.016
1/2	0.008
47	0.036
46	0.057
45	0.004
43	0.093
44/2	0.053
118/1, 3, 4, 5	0.053
39	0.049
38/1	0.057
38/2	0.024
37	0.061
33/1, 126/1	0.024
28	0.077
31	0.012
30/1, 2	0.085
137	0.061
65/3	0.004
65/2	0.069
65/1	0.077
65/4	0.113
योग	1.694

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटारी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 295/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-फगुरम, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.647 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
651/3	0.105
629/1	0.093
642/1	0.016
642/2	0.036
643	0.065
644	0.024
641	0.121
638	0.081
639	
640/1	0.222
1634	0.113
1637	0.089
789/2	0.061
821/3	0.085
820/1	0.024
820/4	0.032
820/4	0.145
808	0.032
816/1	0.032
818/2	0.061
819/2	0.020
810/3	0.045

(1)	(2)
811/3	0.040
812/1	0.032
812/2	0.073
योग 24	1.647

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुधरी सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 296/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कांसा, प. ह. [illegible] 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.728 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2611	0.117
26/2	0.069
179/9, 180/1	0.061
179/2	0.121
182/13, 182/1	0.113
182/1	0.105
183/1	0.142
योग 7	0.728

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांसा ब्रांच माइनर 3.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 297/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बांधापाली, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.416 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
83/1	0.020
84/1	0.045
84/2	0.049
85/2	0.105
85/1	0.162
85/3	0.045
85/4	0.016
88	0.028
89	0.036

(1)	(2)
103	0.101
100	
109/1	0.053
110	
113	
179	0.069
104	0.049
111	0.024
105/1	0.008
112	0.028
114/1	0.061
114/2	
115/1	0.057
115/2	0.036
116	
177	0.028
176/1	0.028
176/2	0.121
1751 घ	
174	0.057
172	0.137
173	
105/3	0.045
168	0.008
योग 27	1.416

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केकरा भांठ ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 298/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.179 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
458/1	.0040
490/1	0.040
488/2	0.008
493	0.049
494	0.040
496	0.065
497	0.174
498	0.004
502/2	0.106
534/1	0.057
534/2 ख	0.137
534/4	
563/9	0.214
563/1 ग	0.106
563/1 क	0.081
564	0.024
566	0.002
567	
565	0.032
योग	1.179

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चुरतेला माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 299/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनि;म, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सिंघरा, प. ह. नं. 11 –

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.965 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
865/1-2	0.299
858/4	0.980
858/12	0.081
858/3	0.049
858/2	0.680
181	0.105
183	0.032
182	0.053
197/1	0.045
196	0.012
197/2	0.016
198	0.045
199/2	0.141
199/10	0.016
514/1	0.093
514/2	
507	0.105
506/1	0.053
508/2	0.032
505/1	0.045
505/2	0.045
508/1	0.121
505/4	0.016
524	0.004
522/1	0.032
523	0.210
505/3	
504/2	
530	0.182
531	
538/1	0.085
538/2	0.061
538/3	
546/1	0.036
546/2	
539	0.109
541	0.028
540/1	0.024
590/1	0.081
590/2	0.109
591/1	0.145
592/1	0.045
592/2	0.117
592/4	0.049
592/3	0.206
593	0.061
700/3	0.137
700/1	0.028
700/13, 14, 15	0.081
702/9	0.004
700/18	0.012
700/21	0.061
700/5	0.045
695/2-3	0.061
695/14	0.137
695/16	
695/17	0.004
695/19	0.040
686	0.117
684/2	0.166
684/3	0.073
676/5	0.137
675/3	0.081
658/2	0.045
659	0.068

(1)	(2)
660	0.049
661	0.024
651/1	0.093
649/1	0.081
648/1	0.049
647/1	0.004
646	0.053
635/2	0.085
633/1	0.085
630	0.081
631/1	0.036
695/21	0.061
695/22	0.024
695/23	0.045
589	0.162
687	0.016
657/2	0.004
650	0.068
योग	6.965

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 300/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-रामभांठा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.793 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
982/1	0024
982/2	0.036
983/2	0.028
982/4	0.040
981/3 क	0.024
989	0.012
1012/1	0.133
985/2	0.085
1010/8	0.081
1010/9	0.085
988	0.40
1002/2	0.036
1009/1	0.036
1010/7	0.028
1010/1	0.008
1003/2	0.085
1012/2	0.012
योग 17	0.793

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छुहीपाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 301/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-केकराभाटा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.727 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
134/3	0.68
133/5	0.004
135/1	0.113
135/4	0.016
135/3	0.194
94/3	0.032
87/1	0.053
90/3, 4	0.004
90/1/2	0.004
90/6/7	0.065
6/1, 2	0.093
5/2	0.028
5/3	
5/1	0.053
योग	0.727

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केकराभांटा ब्राच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 302/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-धोबनीपाली, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.530 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
290/3	0.085
290/4	0.061
290/5	0.016
322/2	0.077
323/2	0.081
324	0.145
325/3	0.065
योग 7	0.530

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केकराभांटा ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 303/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कांसा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.781 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
124/2 ग	0.040
754/1 ख	0.153

(1)	(2)
144/3	0.040
154/1 क	0.202
754/1 क	0.153
754/1 ग	0.072
144/1	0.121
योग	0.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ब्रांच माइनर नं. 4.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 304/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-तुरकापाली, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.188 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10	0.036
9/2	0.004
6/7	0.016
8, 9/1	0.093
6/8	0.073
138/1, 2	0.129
6/9	0.93
26/1	0.057
27	0.061
88/4, 87/5, 6	0.141
87/1, 4	0.109
84/1, 85/2, 85/1	0.076
73/2, 3, 4, 84/2	0.076
114/2	0.049
122/2	0.073
137/1, 2	0.057
133/1	0.045
योग 17	1.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुरकापाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 305/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़ेकोट, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.311 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
87/1	0.109
86/3	0.182
86/2	0.020
योग 3	0.311

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कनईडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 306/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.598 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
647	0.089
749/1 क 749/2	0.295
745/2	0.214
योग 3	0.598

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुखदा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 307/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-चांटीपाली, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
242/1	0.004
243/1	0.012
योग	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खर्री माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 308/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन, अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.376 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
453/1	0.113
452/1	0.069
452/3	0.073
445/7	0.008
445/2 क	0.049
455/2 ख	0.036
445/1	0.028
योग 7	0.376

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छोटे कोटा ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 309/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अण्डा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.342 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
319/2	0.008
321	0.247
321	0.069
347	0.109
321	0.109
322/1	0.105
325/4	0.049
325/5	0.036
341	0.198
341	0.020
342/1, 342/14	0.194
348/6	0.109
348/2	0.004
348/1	0.085
योग	1.342

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेरी सब डी. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 310/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-धिंवरा, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.574 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
580, 589/2	0.101
588	0.129
584	0.109
586	0.053
587	0.077
585	0.105
योग	0.574

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 311/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-कुधरी, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.570 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26	0.069
28, 29	0.202
32	0.008
31/1	0.061
31/2	0.036
31/3	0.012
33/3	0.117
42/3	0.023
42/2	0.036
41/1	0.036
35	0.032
47/7	0.024
47/6	0.004
45/4, 45/5	0.032
46	0.061
112	0.153
103/2	0.061
103/1	0.053
109	0.041
110, 111	0.069
107	0.040
108	0.049
104	0.153
106	0.012
105/4	0.303
129/1	0.065
132/3	0.045
132/5	0.020
279/2	0.004
129/2	0.028
278	0.109
291	0.020
131/2	0.081
132/2	0.061
276/2	0.032
279/1	0.085
380/1	0.040
303	0.020
305/2	0.032

(1)	(2)
293	0.097
294	0.020
295	0.061
294 694	0.028
योग	2.570

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुधरी सब डि. वांय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 312/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बांधापाली, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.300 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50	0.259
59/1 60/1	0.182
51/1	0.364
55/2	0.073
54/2	0.093
60/4 59/3 228/3	0.053
56	0.077
57	0.045
58	0.089
230	0.065
योग	1.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरघटा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 313/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेकोट, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.671 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
186	0.105
185/7	0.145
185/2	0.004
185/3	0.053

(1)	(2)
185/4	0.166
183/5	0.077
181/2	0.121
योग 7	0.671

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छोटेकोट माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 314/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चापा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कनाईडीह, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.755 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
148	0.227
147	
151	
152	
149	0.117
153	0.077
154	0.053
155/9	0.061
योग 5	0.755

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार सब डी. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 315/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े मुड़पार, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.184 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
163/4	0.053
158/3	0.008
158/5	0.057
158/2	0.036
158/4	0.028
157	0.311
126/2	0.081
126/3	0.230
126/4	0.008

(1)	(2)
126/7	0.081
126/6	0.008
70/2	0.012
70/1	0.049
69/2 क	0.117
69/2 ख	0.012
68/3	0.093
योग	1.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुसमुल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 316/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-चांटीपाली, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.853 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.061
1/5	0.069
1/6	0.053
1/3	0.057
9	0.012
183	0.097
181	0.008
182	0.008
10	0.074
247	0.020
11	0.040
172	0.053
173/2	0.008
193/1	0.057
194/1	0.065
173/1	0.087
174/1 174/2	0.066
175/1	0.016
178/1	0.065
178/2	0.019
179	0.008
185/5 188/15	0.049
190	0.016
191	0.040
195/2	0.032
196	0.045
197	0.028
234	0.049
235/1	0.101
235/5	0.077
235/6	0.045
242/1	0.073
243/1	0.141
244/3 244/4	0.057
244/5	0.016
244/6	0.016
244/1 244/2	0.053
248	0.016
246/3	0.020

(1)	(2)
246/4	0.036
योग 33	1.853

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार सब डी. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 317/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कटेकोनी छोटे, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.695 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
14/1	0.040
18	0.028
13/1	0.052
12/1	0.012
57/2	0.024
211	0.089
183/1	0.032
183/2, 3, 4	0.024
5/2	0.081
185	0.028
186	0.024
189	0.064
217/3, 218/1	0.109
217/1	0.064
209/2	0.064
212	0.068
263/1	0.020
292	0.081
291/1	0.064
283/1	0.024
291/3	0.064
191/2	0.072
261/4	0.093
262	0.032
288/1	0.068
285/2	0.040
282/2	0.105
282/1, 284	0.105
282/3	0.076
518/2	0.048
योग	1.695

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटेकोनी छोटे माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 318/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-बड़े कटेकोनी, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.226 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/1	0.028
36/2	0.016
38/3	0.057
40	0.049
41/1	0.049
35	0.004
42/2	0.012
34	0.129
49/3	0.105
50	0.101
60	0.162
50/2	0.069
49/2	0.049
51/1	0.061
52/2	0.061
51/3	0.073
56/2	0.081
57/1	0.036
57/4	0.032
59/4	0.036
153/1	0.004
152/1	0.012
योग	1.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांसा मांइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 319/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-कुसमुल, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.979 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
553/1	0.109
553/2	0.065
557/1	0.040
566/11	0.109
556/1	0.113
564/1	0.109
564/2	0.053
557/3	0.020
566/10	0.016
566/4	0.073
566/6	0.040
566/7	0.040
650/2	0.024
633	0.198
632	0.059
629/1	0.049
629/2	0.036
626/1	0.109
929/1	0.008
941/2	0.008
929/2	0.032
941/1	0.008
929/3	0.004

(1)	(2)
941/3	0.020
940/2	0.028
940/1	0.024
942/1	0.004
946/2	0.085
947	0.028
912/2	0.065
958	0.053
957/1	0.093
959/1	0.065
968/2	0.057
968/1	0.045
967/3	0.061
967/2	0.053
976	0.166
977/2	0.004
980/2	0.040
978	0.012
1200/3	0.012
979	0.117
984/1	0.032
1195	0.109
981/4	0.085
1197	
1196	0..004
1200/1	0.077
1194	0.129
566/2	0.077
योग 50	2.979

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 320/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.820 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
195/4	0.012
195/1	0.061
194/4	0.045
194/1	0.061
193	
194/3	0.105
209	
192/1	0.008
194/2	0.057
211	0.008
212	0.036
185/2	0.036
91	0.073
187/5	0.032
173/1	0.065
207/1	0.008
213/1	
215	0.069
185/1	0.032
186/1	0.012
90	0.133
94	
99	0.025

(1)	(2)
162	0.008
95/5 96/5	0.045
95/3 96/3	0.016
95/6 96/6	0.073
174	0.089
171/8	0.004
100 622/2	0.121
171/4	0.004
102	0.174
157/1	0.004
164/4	0.045
161	0.057
160/2	0.057
159/2	0.004
158	0.117
157/3	0.024
योग	1.820

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरारी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 321/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े मुड़पार, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.298 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
145/1 ग	0.057
145/1 च	0.057
155/6 क	0.072
145/1 ख	0.004
145/6 ग	0.080
145/2 क	0.028
योग	0.298

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 322/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.976 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1109/5	0.109
1108/2	0.032
1109/2	0.049
1109/3	0.008
1115/1	0.049
1115/2	0.012

(1)	(2)
389	0.020
396/2	0.057
392	0.004
397/4	0.061
397/2	0.144
397/1	0.144
398/1	0.061
398/2	0.093
398/4	0.093
402/3	0.004
406	0.065
422	0.004
467/4	0.020
417	0.004
420/1	0.036
420/4	0.036
468/3	0.057
504/2	0.012
420/2	0.036
502/3	0.073
419/1	0.057
419/2	0.008
414	0.133
462/1	0.049
503/1	0.004
462/3	0.020
465/8	0.004
502/2	0.024
502/17	0.073
502/15	0.024
502/5	0.028
502/8	0.028
योग	4.078

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेरो सब डी. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 326/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-छुछुभांटा, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.649 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
137/2	0.008
137/3	0.064
363/2	0.068
362	0.190
361/4	0.040
361/3	0.089
361/7	0.044
363/4	0.028
357/2	0.024
357/1	0.089
356	0.032
355/2	0.012
448/4, 449/4	0.109
448/2, 449/2	0.109
460/2	0.040
361/8	0.032
460/3, 4	0.089
461	0.012
496/2	0.073
498	0.101
501/1	0.028
500	0.206
493/1	0.020

(1)	(2)
499	0.024
493/3	0.060
321/1, 2	0.093
320	0.036
300/1	0.024
306/1	0.052
306/2	0.056
305	0.024
306/3	
292	0.113
289/2	0.048
289/3	0.056
289/4	0.052
308/1	0.028
308/4	0.072
308/2	0.060
266/4	0.008
योग	2.313

आर-11-आर

(1)	(2)
148/1	0.121
147	0.028
120/2	0.012
120/3	0.068
148/2	0.162
114	0.052
116	0.004
112/3	0.020
154/3	0.121
154/1	0.032
155/2	
164/2	0.133
163	0.032
166	0.056
167/1	0.101
169/2	0.020
170	0.360
योग	1.322

आर-11-आर

(1)	(2)
266/2	0.125
266/3	0.093
265	0.135
263	0.161
215	0.076
213	0.072
216/2	
211/3	0.105
212	
211/2	0.028
211/1	0.060
210/1	0.072
214	0.089
योग	1.014
कुल योग	4.649

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरक/रेड़ा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 327/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-केकराभांट, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.915 हेक्टेयर

(1)	(2)
1115/4	0.049
1115/5	0.073
1118/2	0.061
1348/1	0.061
1354/1	0.028
1348/2	0.069
1354/2	0.004
1350/10	0.077
1349/10	0.117
1353/2	0.004
1350/4-5	0.085
1350/6	0.065
1350/9	0.024
योग 19	0.976

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 323/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-छुहीपाली, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.142 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
112/4	0.097
110/1	0.109
109/2	
108/3	0.020
108/2	0.040
104/2 ख	0.020
104/1	0.214
101	0.255
102/1	
102/2	0.016
103/3	
100/1	0.061
100/2	0.036
98/1	0.036
98/5	0.125
88/2	0.045
88/1	0.040
98/1	0.028
योग	1.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छुहीपाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 324/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.741 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1565/3	0.077
1582/2	0.069
1588/2	0.020
1581/2, 1588/2	0.141
1265, 1266/2, 1578	0.218
1264/2	0.134
1262, 1263	0.081
योग	0.741

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फगुरम सब डी. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 325/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.078 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
195/4	0.068
195/5	0.024
195/3	0.020
204	0.065
205	0.045
238	0.020
247	0.085
206	0.032
222/1, 222/2	0.110
398/5, 398/6	0.073
221/1	0.032
253/1	0.028
502/12	0.049
220	0.053
239/2	0.085
405	0.198
466	0.057
235	0.053
219/1	0.028
236	0.069
253/2	0.036
234/3	0.049
240	0.065
421/3	0.085
241/2	0.008
253/3	0.032
241/1	0.020
251/2	0.061
243/4	0.016
396/1	0.085
396/3	0.073
252/2	0.101
250	0.032
248/2	0.057
246/3	0.004
386/1, 386/4	0.166
386/4	0.045
459/2	0.133
386/3	0.045
385/2	0.291
386/2	0.004

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
221/2	0.024
220	0.040
217	0.024
216	0.065
65/6	0.028
65/5	0.028
67/1	0.061
67/5	0.016
67/6	0.018
155/1	0.729
156/2	0.036
157	0.004
158/3	0.024
153/5	0.004
153/1	0.142
153/3	0.008
629/3	0.069
629/4	0.089
632/1	0.040
635	0.024
643/2	0.081
645/1	0.036
646/1	0.053
647/1	0.057
647/2	0.049
667/2	0.142
667/5	0.024
योग 27	1.915

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरघटा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 328/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े मुड़पार, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.070 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
624/1	0.052
624/6	0.036
622/13	0.012
624/2	0.084
622/2	0.105
625/3 638/1	0.008
629/1	0.072
667/2	0.044
674	0.052
675	0.084
681	0.008
624/3 624/4	0.064
622/8	0.032
626/4	0.125
627/1	0.092
630/5	0.036
630/2	0.032
666/2	0.084
630/3	0.024
666/3	0.109
666/4	0.060

(1)	(2)
662/1	0.032
668	0.028
663/2	0.068
676	0.056
677	0.137
680	0.109
686	0.045
679/4	0.040
679/5	0.101
679/3	0.036
689/1	0.012
687/2	0.068
703/2	0.008
691/2	0.080
691/3	
694/2	0.040
694/5	0.080
695/2	0.008
694/6	0.072
695/4	0.004
695/6	0.076
695/1	0.048
706/1	0.048
706/2	0.060
705	0.161
704/1	0.080
712/3	0.024
704/5	0.020
713/5	0.020
702	0.072
713/6	0.113
713/4	0.008
713/7	0.101
योग	3.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 329/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अण्डा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/3	0.081
20/4	0.008
20/5	0.028
योग 3	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सारस केला माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्रमांक 330/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-बड़े मुड़पार, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.006 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
239/2 क	0.052
239/2 ख	0.012
239/4 ख	0.016
239/6	0.040
246/2	0.129
246/3	0.105
246/4	0.040
245/2	0.008
162/2 क	0.076
161/4	0.024
163/3	0.061
162/3	0.028
163/5, 6	0.283
165, 166/3	0.036
154/3	0.048
150/1	0.032
150/3	0.020
154/2	0.089
150/2	0.097
151	0.093
144	0.271
146	
145/16	0.020
720/2	0.166
योग	6.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार सब डी. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 331/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-बेल्हाभांठा, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.502 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/2	0.053
14	0.106
13/4	0.144
13/3	0.069
13/2	0.036
12/1	0.024
12/3	0.065
11	0.129
10/1	0.057
55/2	0.040
55/1	0.040
57	0.101
140/4	
56	0.057
138/2	0.162
137	0.129
133/1	0.113
132/3	0.028
125	0.069
124	0.121
123	
122/1	0.162
122/2	

(1)	(2)
115	0.069
116/2	0.101
113/1	0.153
111/4	0.065
100/1	0.093
102/1	0.069
106/2	0.081
103	0.049
106/1	0.016
105/3	0.081
101/1	0.020
योग 31	2.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार सब डी. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 332/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-तुलसीडीह, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.335 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
101/1	0.117
103/2	0.065
101/2	0.012
102/1	0.012
102/2	0.032
103/1	0.069
104/2	0.028
योग	0.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरतुंगा ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना,जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 333/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़े सीपत, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.004 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1037/1	0.049
1074	0.008
1073/2	0.040
1072/1, 2, 3, 4	0.202
1050/1, 2, 3, 4, 5	0.227
1048/5	0.036

(1)	(2)
1048/4	0.028
1049/1	0.045
1028/11	0.073
1049/5	0.032
1028/12	0.089
1048/1	0.040
1049/3	0.057
1051/1 क	0.008
1028/10 1031	0.162
1028/3	0.020
1017/2 1018	0.081
1007	0.065
1017/1	0.049
1028/2	0.061
1025/1	0.032
1025/3	0.089
1020/1	0.016
1020/2	0.065
1008	0.109
1011/1	0.049
1015/4	0.020
1011/3 ख	0.065
1011/4	0.133
1625/1	0.040
1625/2	0.032
1626/1	0.045
1026/2	0.040
1637/1	0.045
1634	0.032
1658	0.040
1635	0.036
1636	0.032
1637/7	0.045
1654	0.032
1655/1	0.028
1653	0.061
1651	0.040
1647	0.045
1646/3	0.032
1649	0.028
1648	0.008
1562/1	0.045
1562/2	0.040
1564/1	0.040
1561	0.036
1708/1	0.061
1708/2	0.053
1710	0.057
1711/1	0.061
योग	3.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े सीपत माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 334/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़े सीपत, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.475 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1740/2 1087/28	0.028

(1)	(2)
1087/6 1087/27	0.049
1087/25	0.198
1087/10	0.008
1087/21	0.211
1082	0.121
1080/1	0.081
1073/1	0.061
1070 1071/7	0.125
1070 1071/4	0.040
1070 1071/3	0.085
1296/3	0.032
1296/4	0.109
1296/5	0.166
1296/8	0.173
1296/15	0.028
1296/17	0.158
1296/10	0.016
1296/16	0.319
1296/21	0.012
1312/7	0.016
1312/12	0.040
1312/1	0.157
1312/9	0.016
1309/5	0.085
1309/2	0.085
1308/1	0.162
1307	0.165
1298/16 ख	0.061
1298/16 ग	0.085
1298/8	0.028
1298/10	0.061
1298/ 2 ग	0.061
1305	0.032
1298/9	0.121
1301	0.032
1298/4 ख	0.101
1303	0.069
1300/9	0.049
1300/5	0.049
योग	3.475

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा सब डी. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 335/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नन्देली, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
307/2	0.032
319 327/2	0.012
योग	0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बावनबोडी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 336/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-शिकारीनार, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.153 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
335/3	0.040
335/4 क	0.081
335/2	0.032
योग	0.153

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमीडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 337/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दर्राभाठा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.308 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
520/1	0.069
520/4	0.049
531/2	0.097
610/3	0.093
योग	0.308

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मलनी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 338/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ओडेकेरा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.648 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
बिरदुली वितरक आर. डी. 676 से 3300 मी. तक	
49/1	0.034
47/1	0.050
46	0.026
38/1	0.034
38/3	0.034
38/2	0.010
34	0.058
33/1 ग	0.036
33/1 ख	0.042
40/1	0.004
31/1	0.018
33/2 क	0.013
32	0.127
29	0.068
197/1	0.070
197/2	0.066
196/1	0.054
200	0.058
196/2	0.008
209	0.030
242/1	0.125
244/6	0.006
242/2	0.107
243	0.004
415/2 415/5	0.064
415/4	0.026
415/3	0.018
415/8	0.052
415/7	0.058
415/8	0.068
415/9	0.072
494/1	0.125
199/2	0.008
493/3	0.026
480/2	0.086
417/8	0.004
480/2	0.004
492/1	0.056
492/2	0.032

(1)	(2)
484/1	0.018
491	0.008
484/5	0.059
484/2	0.078
484/7	0.007
966	0.161
462	0.016
967/2	0.064
967/1	0.042
968/4	0.042
968/1	0.026
968/3	0.078
3162/1	0.136
1067	0.006
1003	0.036
3162/2	0.087
1066	0.096
1064	0.076
1063/2	0.065
1075 1076	0.056
1077 1172/1	0.083
1063/5	0.015
1173/1	0.047
1173/2	0.063
1175/1	0.004
1174/1	0.055
1175/2	0.047
1179/2	0.035
1180	0.050
1181/2 1182/3	0.014
1167/6	0.064
1167/2	0.132
1166	0.074
1162	0.034
1163	0.062
1164	0.004
1234	0.008
1233	0.107
1237	0.050
1238	0.058
1240/2	0.054

(1)	(2)
1242/2	0.022
[illegible]/1	0.123
1250/1	0.004
1250/2	0.096
1227	0.107
योग	4.400

बरदुली वितरक आर. डी. 510 से 1050 मी. तक

594/1	0.002
594/2	0.006
595/2	0.034
597	0.020
596	0.136
598	0.038
648	0.078
646	0.070
645	0.068
652/1	0.066
669/12	0.084
669/11	0.014
669/16	0.084
669/18	0.047
669/13	0.044
669/14	0.018
669/19	0.077
573/1	0.040
652/5	0.029
669/4	0.121
652/4	0.039
672	0.065
योग	1.175

बरदुली वितरक आर. डी. 2862 से 4225 मी. तक

2497	0.012
2547/5	0.061
योग	0.075
कुल योग	5.648

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गाडामोर माइनर/बरदुली वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 339/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्गकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3776/2	0.081
2362/1-2	0.016
योग	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बावनबोडी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 340/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.349 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
830/2	0.172
831	0.040
847/1	0.036
848	0.036
849	0.044
1624	0.093
850	0.077
851/1	0.040
852/2	0.057
853	0.068
1968	0.040
1969	0.097
1590	0.069
1586/2	0.049
1586/1	0.081
1569/2	0.016
1566/2	0.012
1583/3	0.012
1584	0.012
1570	0.113
1571	0.105
1578	0.028
1853/1	0.040
1854	0.048
1579/2	0.121
1620 1902/2	0.040
1623/2	0.080
1625/2	0.004
1621	0.080
1635/1	0.061
1627	0.004
1641/2	0.129
1640	0.080
1827/1	0.004
1827/2	0.032
1828	0.080
1826	0.008
1829/1	0.056
1845	0.018

(1)	(2)
1844	0.004
1892/2	0.028
1850/1	0.056
1855	0.080
1853/2	0.028
1876/1	0.065
1874	0.049
1878/2	0.008
1873/2	0.121
1873/1	0.125
1891/1	0.077
1893/3	0.081
1894	0.053
1895	0.053
1897	0.121
1905	0.125
1900/1	0.004
1900/3	0.048
1903	0.117
1902/1	0.016
1899	0.008
योग	3.349

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुक्ता वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 341/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.335 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2308/1	0.040
2308/3	0.112
2310/2	0.060
2311	0.069
2313	0.081
2331/1	0.113
2332/1	0.125
2320/2	0.004
2321/1	0.125
2322	0.020
2326/2	0.057
2327/1	0.032
2328	0.040
2331/1	0.069
2396	0.360
2440	0.081
योग	1.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सेन्दरी वितरक शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 342/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-कचन्दा, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.236 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
456	0.041
454	0.169
455	
457/4	0.041
457/2	0.051
458/1	0.062
465	0.062
467/3	0.079
469/1	0.010
469/5	
464	0.062
463	0.044
470	0.096
574/2	0.157
574/1	0.116
573/1	0.028
572/1	0.030
573/2	0.060
572/2	0.078
563/2	0.087
565	0.058
566/1	0.060
564	0.004
591/1	0.051
591/2	0.095
591/3	0.011
599/2	0.004
593	0.023
594	0.071
598	0.054
597	0.075
600	0.042
601	0.095
603	0.004
1241	0.067
602/2	0.061
602/1	0.074
637/2	0.045
1239/1	0.003
1240/1	
637/5	0.033
1223/1	0.019
1164/1	0.011
1164/2	0.036
1165	0.087
1166/1	0.029
1223/3	0.004
1166/2	0.066
1167	
1168	
1169	0.066
1177	0.006
1178	0.056
1179	0.090
1180	
1181	
1212/2	0.014
1209/2	0.070
1209/1	0.056
1210	0.011
1205	0.018
1342/1	0.081
1342/2	0.068
1344	0.074
1365	0.026
1364	0.042
1363	0.016
1365/3	0.005
1365/4	
1365/1	0.088
योग	3.236

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कचन्दा उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 343/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.017 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4109/01	0.016
योग		0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-काशीगढ़ माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 344/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.772 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	149/2	0.089
	147	0.020
	144	0.016
	165/1	0.012
	166/1	0.008
	166/2	0.006
	167/3	0.106
	167/2	0.020
	167/1	0.016
	173/2	0.133
	122/1	0.024
	173/1	0.174
	120/1	0.020
	120/2	0.020
	201	0.040
	201/5	0.040
	201/7	0.008
	169	0.020
योग		0.772

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-महुआडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 345/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.130 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

बरदुली वितरक आर. डी. 1935 मी. से 2788 मी. तक

(1)	(2)
14/1	0.016
13/1 ख, 13/2	0.093
13/1 ग	0.036
11/10	0.109
11/2	0.012
11/3	0.120
11/9	0.010
728	0.016
योग	0.412

कचन्दा उप वितरक आर. डी. 00 से 750 मी. तक

(1)	(2)
384/2	0.062
384/1	0.015
378/5	0.088
378/4 क	0.030
378/4 ख	0.039
378/6	0.016
382	0.124
381	0.073
380/8	0.048
380/5	0.024
380/3	0.182
380/4	0.030
380/10	0.038
380/12	0.010
380/1	0.100
379/1 ग, 379/4 त	0.098
379/1 घ, 379/4 ग	0.108
योग	1.085

बरदुली वितरक आर. डी. 00 से 676 मी. तक

(1)	(2)
412	0.054
411	0.072
410	0.085
408	0.031
407/2	0.051
405	0.139
404/1, 404/2	0.033
639	0.085
638, 640	0.047
636	0.046
612/8	0.046
612/7	0.020
633	0.043
632	0.063
631/2	0.025
631/3	0.015
628	0.032
629/1	0.060
629/2	0.044
625/2	0.058
626/1	0.074
योग	1.123

(1)	(2)
आमाकोनी माइ. आर. डी. 00 से 853 मी. तक	
264	0.062
263	0.341
266	0.055
267/3	0.043
268/2	0.068
272/1	0.026
72/2	0.026
272/3	0.026
272/4	0.026
0273	0.086
275/1	0.039
285	0.102
286/2	0.069
289	0.047
495/1	0.110
490/2	0.082
490/1	0.068
502	0.039
489	0.040
503	0.048
512/4	0.032
512/3	0.032
516	0.065
475/3	0.057
474	0.014
520	0.047
521	0.037
525/1	0.093
525/2	0.005
योग	1.585
बरदुली वितरक आर. डी. 00 से 510 मी. तक	
230	0.057
236	0.051
237	0.057
247/1	0.040
247/2	0.020
247/3	0.019
246/1	0.020
246/2	0.020
246/3	0.015
248/1	0.063
248/2	0.063
250/1	0.061
250/2	0.060
251/1	0.019
योग	0.565
बरदुली वितरक आर. डी. 00 से 810 मी. तक	
418	0.053
416	0.020
419	0.053
420/2	0.036
421	0.013
420/1	0.033
426	0.033
431	0.056
437/1, 437/2	0.033
438/1	0.036
438/2	0.041
439	0.162
442/4	0.141
441	0.020
453/1	0.070
452/2	0.078
182/6, 452/1	0.109
182/5	0.064
182/4	0.050
449	0.064
447	0.195
योग	1.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-
(1) गलगला माइनर (2) आमाकोनी माइनर (3) ब्रांच माइनर 11 (4) माइनर 12 (5) गाडानोर माइनर (6) तुषार माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 346/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलादुला, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.240 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
328/1	0.030
328/2	0.012
329	0.076
330/4	0.007
330/1	0.050
330/2	0.098
330/3	0.109
330/5	0.067
332	0.151
322	0.060
337/3	0.111
334	0.006
320/4	0.193
337/2	0.041
337/1	0.161
344	0.004
21/3	0.090
21/5	0.056
21/4	0.039
31	0.036
21/7	0.003
21/8	0.030
32/1, 33	0.042
32/2	0.016
35/1	0.014
36/1	0.040
34	0.050
39	0.040
62/2	0.052
62/1	0.086
53	0.055
60, 61	0.040
158	0.033
157	0.146
161/3	0.357
161/1	0.129
161/2	0.687
192	0.174
191	0.032
189/1	0.097
190	0.040
331	0.187
333/1	0.155
333/2	0.053
334/4	0.014
334/2	0.023
334/1	0.134
337	0.096
338/3	0.018
योग	4.240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कचन्दा उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 347/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-जैजैपुर
 (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर प. ह. नं. 14
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.384 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5782/8	0.024
5775/5	0.065
5782/9	0.089
5716/1	0.049
5817	0.081
5753/3	0.040
योग	0.348

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सक्ती शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 348/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-जैजैपुर
 (ग) नगर/ग्राम-दतौद, प. ह. नं. 6
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.569 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1012/2	0.146
1011/1	0.028
479	0.202
894/1	0.036
997/1	0.016
488/3	0.061
966	0.028
1031	0.024
897/1	0.004
997/2	0.008
970	0.016
योग	0.569

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 349/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बोड़सरा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.592 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
924	0.067
915/1	0.066
915/2	0.066
917	0.079
426/2	0.043
425	0.036
422	0.102
421/1	0.043
420/1	0.032
420/2	0.032
419	0.057
418	0.088
926/2	0.065
928/1	0.038
928/3	0.037
928/3	0.037
907/1	0.075
907/2	0.050
905 906	0.096
904	0.073
967/1	0.020
900	0.034
896	0.076
897	0.001
894/3	0.067
894/2	0.031
893/1	0.032
889/2 888/2	0.034
889/1 888/1	0.034
890/1	0.034
890/2	0.034
योग	1.579

कचन्दा उप वितरक आर. डी. 00 से 220 मी. तक

(1)	(2)
827/12	0.013
योग	0.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-2 R माइनर, 3 L माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 350/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-परसाडीह, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.884 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1689	0.012
1642	0.028
1643	0.048

(1)	(2)
1644	0.053
1645	0.024
1667/2	0.060
1667/3	0.072
1666	0.032
1684	0.065
1686	0.181
1656	0.016
1658	0.014
1657/2	0.012
1690/1	0.028
1690/3	0.012
1655	0.052
1651	0.056
1654	0.060
1638/1	0.076
1629	0.004
1625	0.072
1604/1	0.016
1626	0.040
1603	0.060
1608/2	0.016
1608/1	0.016
1590	0.020
1600/1	0.016
1600/2	0.012
1603	0.020
1628	0.012
1596	0.080
1591	0.032
1592	
1593	0.028
1581	0.012
1580	0.032
1579/2	0.004
1578	0.020
1577	0.068
1576/1-2	0.032
1532	0.008
1533	0.036
1534/3	0.056
1535/1	0.077
1535/2	0.052
1535/5	0.060
1336	0.117
1337	0.036
1405/1	0.012
1410	0.064
1404	0.032
1391/2	0.008
1409	0.008
1394	0.028
1402/1	0.016
1402/2	0.024
1401	0.032
1400	0.004
1395	0.040
1412	0.008
1411	0.052
1391/1-ग	0.049
1391/1	0.076
1392/1	
1391/3	0.036
1393/3	
1390	0.024
1389	0.008
1380	0.032
1379	0.008
1377	0.092
2600/1	0.052
1376	0.004
2600/2	0.060
2601	0.097
2602	0.020
1392/2	0.008
योग	2.884

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोराडीपा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948, यथा संशोधित की धारा 29 (2) के अंतर्गत विन्ध्यांचल स्टेज-III पारेषण प्रणाली के लिये योजना की अधिसूचना

जैसा कि, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथा संशोधित की धारा 28 के अंतर्गत अपनी शक्तियों के कार्यान्वयन में देश में एकीकृत एवं प्रभावकारी बिजली पारेषण प्रणाली नेटवर्क को विकसित करने के उद्देश्य से पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक उत्पादक कम्पनी (अब से पावरग्रिड के रूप में विदित), द्वारा विन्ध्यांचल स्टेज-III पारेषण प्रणाली की स्थापना, निर्माण, परिचालन एवं रख-रखाव से संबंधित योजना का निर्माण किया गया है.

और जैसा कि, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 (2) के अंतर्गत पावरग्रिड को योजना के निर्धारण तथा उसकी सहमति के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उसको जमा करने के पश्चात् इस प्रकार की योजनाओं को संबंधित राज्यों के अधिकारिक गजट्स एवं ऐसे स्थानीय समाचारपत्रों जिसे पावरग्रिड उपयुक्त समझता हो, में प्रकाशित करना पड़ता है ताकि यदि आवश्यक हो, योजना पर कोई भी लाइसेंसी अथवा अन्य इच्छुक व्यक्ति अपना रिप्रजेन्टेशन प्रस्तुत कर सके.

अतः अब, पावरग्रिड एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 29 (2) के अनुसार इस योजना को प्रकाशित करता है जो इस प्रकार हैं :

योजना का नाम : इस योजना को ''विन्ध्यांचल स्टेज-III पारेषण प्रणाली'' के नाम से जाना जायेगा.

मुख्य विशेषताएं : इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से होंगी :

क. पारेषण लाइन

		लम्बाई कि.मी. में (लगभग)
1.	विन्ध्यांचल-सतना 400 केवी डी/सी (तीसरा एवं चौथा सर्किट)	270
2.	सतना-बीना (पावरग्रिड) 400 केवी डी/सी	277
3.	बीना (पावरग्रिड) में वर्तमान 400 केवी डी/सी सतना-बीना (एमपीएसईबी) लाइन का एलआईएलओ	5
4.	रायगढ़ में राउरकेला-रायपुर 400 केवी डी/सी लाइन का एलआईएलओ	30

ख. सब-स्टेशन कार्य

1. रायगढ़ एवं बीना (पावरग्रिड) में नवीन 400/220 केवी, 2×315 एमवीए सब-स्टेशन की स्थापना.
2. अतिरिक्त 1×315 एमवीए ट्रांसफार्मर एवं 4×50 एमवीएआर लाइन रियेक्टर द्वारा सतना सब-स्टेशन का विस्तार.

लोकेशन :

ये पारेषण लाइन एवं सब-स्टेशन मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है तथा नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण जिलों से होकर गुजरेंगे.

क्रम सं.	पारेषण लाइन/सब-स्टेशन	राज्य	जिला
1.0	विन्ध्यांचल-सतना 400 केवी डी/सी (तीसरा एवं चौथा सर्किट)	मध्यप्रदेश	सीधी, रीवा एवं सतना
2.0	सतना-बीना (पावरग्रिड) 400 केवी डी/सी	मध्यप्रदेश	सतना, पन्ना, दमोह और सागर
3.0	बीना (पावरग्रिड) में वर्तमान 400 केवी डी/सी सतना-बीना (एमपीएसईबी) का एलआईएलओ.	मध्यप्रदेश	बीना/सागर
4.0	रायगढ़ में राउरकेला-रायपुर 400 केवी डी/सी लाइन का एलआईएलओ	छत्तीसगढ़	रायगढ़
5.0	रायगढ़ में नवीन 400/220 केवी सब-स्टेशन	छत्तीसगढ़	रायगढ़
6.0	400 केवी सतना (वर्तमान) सब-स्टेशन	मध्यप्रदेश	सतना
7.0	बीना (पावरग्रिड) में नवीन 400/220 केवी सब-स्टेशन	मध्यप्रदेश	बीना/सागर

कमीशनिंग :

इस योजना को जीओआई की स्वीकृति/फंडिंग टाई-अप जो भी बाद में होता है, की तिथि से 30 महीनों के भीतर कमीशन्ड किये जाने की योजना है. लेकिन, ये लाइन उत्पादन परियोजना की कमीशनिंग अनुसूची के अनुसार कमीशन्ड होंगे.

अनुमानित लागत :

इस योजना की अनुमानित आधार लागत रु. 606.37 करोड़ है (रु. 58.30 करोड़ की आईडीसी सहित), चौथे क्वार्टर 2002 मूल्य स्तर पर तथा इंडिकेटिव पूर्णता लागत रु. 637.08 करोड़ है (रु 60.24 करोड़ की आईडीसी सहित).

औचित्य एवं लाभ :

(i) प्रस्तावित प्रणाली की परिकल्पना विन्ध्यांचल स्टेज-III से बिजली के इवैक्युएशन के लिये की गई है.

(ii) विन्ध्यांचल स्टेज-III पारेषण प्रणाली एक क्षेत्रीय परियोजना है तथा इस परियोजना की बिजली के हिस्सेदार पश्चिमी क्षेत्र के घटक होंगे.

(iii) इस पारेषण प्रणाली के चालू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को उपयुक्त राहत के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कृषि एवं उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा.

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुपालन में उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी में निहित सभी शक्तियों का कार्यान्वयन किया जायेगा. एतद्द्वारा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथा संशोधित की धारा 42 के अनुसार पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. इस स्वीकृत योजना को शुरु एवं कार्यान्वित कर रही है तथा उसे भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 16, 18 एवं 19 के प्रावधानों का विचार किये बिना स्थापित एवं प्रबंधित अथवा इस तरह से स्थापित अथवा प्रबंधित होने वाली टेलीग्राफ्स के संदर्भ में भारतीय टेलीग्राफ्स अधिनियम, 1885 के भाग-III के अंतर्गत जो टेलीग्राफ्स प्राधिकरण के कब्जे में है, उस ऊपर दर्शाये गये क्षेत्रों के लिए उत्पादक कम्पनी के कार्यों के उपयुक्त समन्वय के लिये आवश्यक बिजली के पारेषण एवं वितरण अथवा टेलीग्राफिक या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के ट्रांसमिशन के लिये कोई भी वायर्स, पोल्स, वाल ब्रैकेट्स, स्टे एपरेट्स एवं एप्लिएंसेस को लगाने के लिये सभी शक्ति प्राप्त होगी.

उक्त अधिनियम की धारा 29 (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इच्छुक कोई भी लाइसेंसी अथवा अन्य व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो महीने के भीतर उपरोक्त योजना के संदर्भ में अपना रिप्रजेन्टेशन प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके बाद किसी प्रकार के रिप्रजेन्टेशन पर विचार नहीं किया जायेगा.

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के आदेश से एवं उसकी आरे से

(दिव्या टंडन)

कम्पनी सचिव.

POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Government of India Enterprise)

B-9, QUTAB INSTITUTIONAL AREA, KATWARIA SARAI,
NEW DELHI-110016

Notification of the Scheme for Vindhyachal Stage-III transmission system under Section 29 (2) of Electricity (supply) Act, 1948, as amended

Whereas, in exercise of its power under Section 28 of the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended, the scheme relating to the establishment, construction, operation and maintenance of **Vindhyachal Stage-III transmission system** has been prepared by Power Grid Corporation of India Ltd., having its registered office at B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016, a Generating Company set up by the Government of India under the aforesaid Act (hereinafter referred to as POWERGRID), with a view to develop an integrated and efficient Power transmission system network in the country.

And whereas, under Section 29 (2) of the Electricity (Supply) Act, 1948, POWERGRID after finalisation of the scheme and submission thereof to the Central Electricity Authority for concurrence, is required to cause such schemes to be published in the official gazettes of the states concerned and in such local newspapers as POWERGRID may consider necessary so that any licensee or other person interested may make representations, if necessary, on the scheme.

Now, therefore, POWERGRID hereby publishes the scheme in terms of Section 29 (2) of the aforesaid Act as follows :

Name of the scheme : The scheme shall be called "Vindhyachal Statge-III transmission system."

Salient Features : The salient features of the scheme shall be as given below :

A.	**Transmission Line**	Lenght in Kms (Approx.)
1.	Vindhyachal-Satna 400 KVD/C (3rd & 4th Circuit)	270
2.	Satna-Bina (POWERGRID) 400 KV D/C	277
3.	LILO of existing 400 KV D/C Satna-Bina (MPSEB) line at Bina (POWERGRID)	5
4.	LILO of Rourkela-Raipur 400 KV D/C line at Raigarh	30

B. Substation Works

1. Establishment of New 400/220 KV, 2x315 MVA substation at Raigarh & Bina (POWERGRID)
2. Augmentation of Satna substation by additional 1x315 MVA transformer and 4x50 MVAR line reactor.

Location :

The transmission lines and substations are located in the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh and shall pass through the following significant Districts as per the details given below :

Sl.No.	Transmission Line/Substation	State	District
1.0	Vindhyachal-Satna 400 KV D/C (3rd & 4th Circuit)	Madhya Pradesh	Sidhi, Rewa and Satna.

Sl.No.	Transmission Line/Substation	State	District
2.0	Satna-Bina (POWERGRID) 400 KV D/C	Madhya Pradesh	Satna, Panna, Damoh and Sagar.
3.0	LILO of existing 400 KV DC Satna-Bina (MPSEB) line at Bina (POWERGRID).	Madhya Pradesh	Bina/Sagar
4.0	LILO of Rourkela-Raipur 400 KV DC line at Raigarh	Chhattisgarh	Raigarh.
5.0	New 400/220 KV substations at Raigarh	Chhattisgarh	Raigarh
6.0	400 KV Satna (Existing) substation	Madhya Pradesh	Satna
7.0	New 400/220 KV substation at Bina (POWERGRID).	Madhya Pradesh	Bina/Sagar

Commissioning :

The scheme is scheduled to be commissioned within 30 months from the date of GOI approval/funding tie-up whichever is later. However, the lines should be commissioned matching with the commissioning schedule of the generation project.

Estimated Cost :

The Estimated base cost of the scheme is Rs. 606.37 crores (including IDC of Rs. 58.30 Crores) at IVth Quarter 2002 price level and indicative completion cost is Rs. 637.08 crores (including IDC of Rs. 60.24 crores).

Justification and Benefits :

(i) The proposed system has been envisaged for evacuation of power from Vindhyachal Stage-III

(ii) Vindhyachal Stage-III transmission system is regional project and power from this project would be shared by the Western region constituents.

(iii) With the commissioning of this transmission system, there shall be boost to agriculture & industry in the Region besides appreciable relief to domestic consumers.

In pursuance of the provision of Electricity (Supply) Act, 1948, the Power Grid Corpn. of India Ltd., shall exercise all powers vested in a generating company under the said Act for the purpose of implementation of the aforesaid scheme. It is also hereby notified that in terms of Section 42 of the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended, the Power Grid Corporation of India Ltd., is undertaking and executing the sanctioned scheme and shall have all the powers for placing of any Wires, Poles, Wall Brackets, Stays, Apparatus and Appliances for the transmission and distribution of Electricity or for transmission of Telegraphic or Telephonic communications necessary for proper co-ordination of the works of the generating company for the areas indicated above, which the telegraphs authority possesses under Part-III of the Indian Telegraphs Act, 1885 in respect of Telegraphs established and maintained or to be so established or maintained notwithstanding the provisions of Section 12 to 16, 18 and 19 of the Indian Electricity Act, 1910.

Notice is hereby given under Section 29 (2) of the said Act that any licensee or other persons interested may make representation in respect of the above scheme within two months from the date of publication of this notification after which no representation will be considered.

by the order and on behalf of Powergrid Corporation of India Ltd.
(Divya Tandon)
Company Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 351/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अरसिया, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.878 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1271/5	0.060
1309/1	0.044
1309/2	
1276	
1300/2	0.052
1298/1	0.004
1295	0.016
1293/1	0.032
1296	0.004
1274	0.036
1275/1	
1275/2	0.036
1277	0.060
1278	0.101
1279	0.072
1280/1	0.097
1280/2	
1281/1	0.008
1282	0.012
1286	0.056
1509	
1284	0.080
1506	0.044
1285	0.076
1507	0.137
1505	0.028
1502	0.048
1519	0.028
1501	0.004
1503	0.020
1516	0.032
1520	0.052
1523	0.040
1518	0.097
1524	0.028
1527	0.048
1525	0.093
1515	0.032
1521	0.024
1526	0.016
1531	0.117
1986/1	0.056
1987	0.056
1530	0.032
योग	1.878

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अरसिया माइनर क्र. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 352/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-सेन्दरी, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.018 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
246/1	0.092
246/3	0.008
244	0.089
254/1	0.012
254/2	0.016
254/3	0.044
254/4	0.040
255	0.048
256	0.032
264	0.097
265	0.093
267	0.016
268	0.072
273	0.060
274	0.032
275	0.028
2093	0.016
276	0.048
278	0.06
280/2	0.032
279/1, 2	0.024
279/3	0.024
280/2	0.040
280/1	0.040
1222	0.060
1224	0.036
1223	0.048
1221	0.064
1215	0.032
1216	0.032
1214	0.053
1210 1212	0.189
1211	0.008
1207/1	0.065
1207/2	0.060
1207/3	0.052
1258	0.024
1288/1 1290/1	0.161
1289/1	0.036
1181	0.044
1180	0.028
1177	0.053
1176	0.012
1175/2	0.153
1262/1 1103/1	0.113
1162/3 1104 1103/2	0.044
1105 1106	0.016
1107/1	0.032
1110/1	0.008
1111/2	0.048
1112/1-ट	0.006
1112/1 क	0.064
1109/1	0.008
1109/2	0.008
1131	0.073
1132/1 1133/1	0.064
1132/2 1133/2	0.048

(1)	(2)
1130	0.008
1103/2 1162/2	0.032
1004/2 1006	0.04
978/3 1000/4	0.069
1004/1 1005	0.020
985/1	0.024
985/2	0.028
982	0.048
981/1	0.052
915/2	0.060
910	0.052
911/2	0.008
906/2 906/1 906/3	0.021
905	0.020
902/1 901/4	0.133
900/1	0.053
895/2	0.032
894/3	0.025
582/1	0.024
582/2	0.048
576/2	0.024
581/1	0.016
581/2	0.016
564/3	0.032
2087/1	0.084
579	0.141
2087/2	0.008
617/2	0.008
589/1	0.052
589/2	0.036
665/1	0.024
592/3	0.040
591	0.109
583	0.004
592/2	0.017
592/3	0.040
664	0.036
663	0.040
593	0.016
662	0.048
656	0.020
655	0.012
657 658 659	0.057
660/1	0.032
660/2	0.080
612/2	0.044
616/1	0.040
616/2	0.016
617/1	0.008
615	0.020
618	0.048
619	0.060
620/1	0.020
620/2	0.032
योग	5.018

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सेन्दरी उप शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 353/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.138 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
252	0.004
253	0.020
254	0.036
255	0.089
272	0.089
282	0.045
281	0.121
280/2	0.045
284	0.045
285/1	0.024
285/2	0.053
295	0.045
294/1	0.129
310/2	0.069
310/1 324	0.045
223/1	0.032
323/2	0.012
322	0.045
32	0.008
321	0.073
318	0.053
317	0.032
319	0.024
योग	1.138

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-7 R टेल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 354/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-अरसिया, प. ह. नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.223 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
881/3 914	0.166
881/1 ख 924/1	0.109
925	0.093
927	0.101
934	0.02
935/1	0.057
936	0.134

(1)	(2)
1224/1	0.121
1225/3	0.101
1250/1	0.032
1250/2	0.032
1261/4	0.004
1265/2	0.121
1268	0.101
1269	0.057
1271/1	0.093
1271/5	0.093
1271/6	0.053
1311/1	0.081
1311/2	0.032
1312/1	0.032
1312/3	0.02
1312/4	0.032
95	0.126
96	0.093
104	0.081
106/1	0.089
106/2	0.024
107/1	0.089
108/1 क	0.182
109	0.045
113	0.065
334/1	0.101
384	0.02
335/4	0.065
335/6	0.061
336/2	0.008
935/2	0.096
383	0.032
881/2 क 924/2	0.121
884/2	0.134
885/2	0.053
885/3 885/1	0.053
योग	3.223

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सेन्दरी उप शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 355/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सकरेलीकला, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.869 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21	0.028
22/1 22/2	0.077
27/1 से 9	0.368
149/1 से 15	0.251
148/1 से 8	0.129
150	0.016
योग	0.869

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सकरेली माइनर-I

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 356/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जुनवानी, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.295 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.040
3/2	0.049
3/1	0.069
2/1 ख	0.077
2/1 क	0.056
2/1 ग	0.004
योग	0.295

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हरेठीकला माइनर ब्रांच माई. 2

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 357/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पोरथा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29/1	0.279
29/2	
29/3	
29/4	
29/5	
29/6	
योग	0.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुवाडेरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 358/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नन्देली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174/1	0.020
174/2	0.020

(1)	(2)
177/3	0.081
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-काशीगढ़ माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 359/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केकराभाठ, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
813/3	0.045
813/2	0.032
593/3	0.028
581/2	0.040
योग	0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुरलीडीह माइनर का पूरक प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 360/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथीडीह, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
241/2	0.032
239/1	0.040
योग	0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुरलीडीह माइनर का पूरक प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 361/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-जोंगरा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.918 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29/2	0.312
83	0.219
29/1	0.04
29/3	0.161
151	0.016
10/3	0.101
175/1	0.069
योग	0.918

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 362/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.183 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
162/2	0.016
1822/2	0.040
162/1	0.016
160	0.057
161	0.008
162/3	0.028
163	0.044
164/2	0.052
146/1	0.020
146/2	0.040
150/1	0.008
150/2	0.008
149/1	0.291
149/2	0.008
128	0.012
132/1	0.141
132/2	0.048
130	0.077
131/2	0.060
131/4	0.004
106/2	0.141
योग	1.183

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मौहाडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 363/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-घोराडीपा, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
246	0.028
247	0.024
योग	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोराडीपा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 364/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-बेलकर्री, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1407/2	0.020
1392	0.060
1270/3	0.024
1587	0.060
1431/1 1431/2	0.016
योग	0.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बावनवोडी माइनर के पूरक प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 365/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-बैहागुडरू, प. ह. नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.741 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
728	0.032
727	0.008
730/2	0.016
730/1	0.053
731, 732	0.049
725/2	0.008
726	0.057
725/1	0.004

(1)	(2)
719/1, 2	0.004
721	0.053
720	0.069
802	0.012
801	0.024
815	0.053
813	0.008
800/2	0.004
825	0.032
819	0.008
821/2	0.040
823	0.045
821/1	0.004
826/4	0.093
820	0.024
826/5	0.061
826/6	0.008
826/12	0.024
918/1	0.040
916/1	0.012
915	0.008
920/1	0.045
919/1	0.012
934/1	0.085
933/1	0.012
936	0.036
935 937	0.049
938/1	0.109
938/2	0.012
939/3	0.020
939/1	0.024
940/2	0.012
940/3	0.053
940/9	0.012
940/4	0.065
942	0.008
943	0.077
944	0.028
945	0.057
951	0.020
952	0.028
953	0.036
954	0.004
955	0.032
956	0.004
957/3	0.032
960	0.016
योग	1.741

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गुडरू माइनर निर्माण के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 366/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
188/1	0.154
योग	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 फरवरी 2003

क्र. 367/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-मानिकपुर, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.749 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/5	0.749
योग	0.749

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरसिया शाखा शाखा नहर (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 368/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-सेन्दरी, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.726 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1521	0.121
1522	0.056
1547/1	0.008
1549	0.016
1550	0.032
1547/2	0.008
1546	0.012
1557	0.028
1544	0.016
1543	0.020
1560	0.020
1558, 1559	0.016
1562/1	0.016
1539	0.072
1562/5	0.020
1562/3	0.113
1538	0.032
1620/1, 1620/3	0.032
1620/2, 1621, 1622	0.080
1623/1	0.008
योग	0.726

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-परसा-डीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 369/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.554 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
79	0.101
54/2	0.049
54/3	0.053
53/1	0.101
55/1	0.085
55/2, 3	0.053
52/2, 2 च	0.057
52/2ङ	0.040
52/2 क	0.065
52/2 ख	0.008
39	0.077
40	0.036
41/3	0.012
41/2	0.101
41/1	0.004
42/2	0.020
42/3	0.045
42/1	0.101
44/1	0.032
44/2	0.008
44/3	0.040
44/4	0.081
45	0.028
46	0.008
25/1 घ	0.214
26/1 च	0.117
26/1 द	0.142
26/1 ढ	0.012
26/1 छ	0.032
योग	1.742
284	0.081
283	0.101
288	0.081
282/1	0.004
289/1	0.089
289/3	0.069
303/1	0.032
302/2, 302	0.218
303/3	0.020
301/2 ख	0.089
301/1	0.028
योग	0.812
कुल योग	2.554

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बोईरडीह माइनर, ब्रांच माइनर 3 R.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 370/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-परसाडीह, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.474 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1639	0.100
2645	0.057
1268	0.121
1559/2	0.176
1259/1 ग	0.065
1273/1	0.121
1279	0.093
1280	0.024
1278	0.024
1291/2	0.032
1293/1	0.113
1294	0.060
1297	0.020
1299/1	0.137
1304	0.080
1315/2	0.040
1305/2	0.016
1315/1	0.020
1305/1	0.012
1314	0.060
1316	0.016
1324/1	0.121
1325/2	0.056
1326/1	0.081
1334	0.012
1335/1 1335/2	0.040
1336	0.028
1466	0.060
1465	0.036
1464/2	0.016
1464/1	0.068
1467	0.012
1463	0.048
1462	0.049
1460	0.004
1461	0.024
1461/1	0.052
1448/1	0.016
1459/1	0.036
1448/1	0.020
1453/1	0.044
1444/2	0.004
1441	0.049
1442/3	0.060
1443/2	0.048
1442	0.072
1428/2	0.020
1360	0.012
योग	2.474

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-परसाडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 371/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-कचन्दा, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.712 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ब्रांच माइनर-2 एल. माइनर-2 आर. के निर्माण हेतु.	
1811/4	0.046
1811/4	0.049
1807/3	0.045
1807/2	0.038
1807/1	0.051
1805/1	0.028
1813	0.023
1778/2	0.044
1778/1	0.028
1779/1	0.044
1782	0.036
1781	0.092
1783/7	0.140
1708/7	0.192
1708/5	0.005
1708/4	0.004
1697/1	0.014
1697/2	0.046
1700/2	0.072
1707	0.070
1701/1	0.025
1701/2	0.020
1701/3	0.053
1701/4	0.023
1712/2	0.042
1703	0.072
1705	0.002
1704	0.037
1657	0.080
1658	0.018
योग	1.439
माइनर 7 आर./कचन्दा उप वितरक	
1361	0.083
1362	0.003
1346	0.038
1351	0.056
1358	0.026
1347	0.018
1350	0.038
1352	0.097
1353	0.009
2025/2	0.037
2024	0.040
2022	0.043
2023	0.040
2021/1	0.003
2021/3, 2021/4	0.002
2105/2	0.026
2106	0.030
2107/1	0.002
2115	0.185
2113	0.158
2107/2	0.004
2653/1	0.156
2652/2	0.112
2673/1, 2673/2	0.002
2672/2	0.037
2672/1	0.037
2664	0.061
2671	0.002
2670, 2668	0.056
2667	0.009
2669	0.045
2707	0.040

(1)	(2)
2709/1	0.068
2709/2	0.037
2708/3	0.001
2721/1	0.147
2709/3	0.021
2720/1	0.120
2721/2	0.039
योग	1.928

माइनर 6 एल/कचन्दा उप वितरक नहर के निर्माण हेतु

(1)	(2)
1345/1	0.070
1347	0.030
1346	0.043
1342/1	0.014
2036/1	0.154
2043	0.082
2044/1	0.103
2044/2	0.010
2045/2 2046/2	0.016
2045/22 2046/18	0.003
2045/13 2046/11	0.040
2088/2	0.048
2088/1	0.054
2036	0.055
2084/10 2172/10	0.003
2087/1	0.030
2084/1 2172/1	0.055
2173	0.054
2174	0.076
2181	0.001
2186	0.045
2187	0.022
2188/2	0.017
2288 2289 2298	0.057
2240/18 2242/1 2243/1 2244/1 2293/1 2295/1 2296/1	0.140
2299	0.040
2300	0.021
2313	0.030
2312	0.023
2326	0.042
2328 2329 2330	0.028
2325/1	0.032
2364/4	0.038
2369/2	0.009
2364/2	0.060
2364/3	0.024
2364/1	0.050
2363	0.053
1059/3 2351/3	0.068
1056	0.012
2055	0.039
1061	0.069
1054/1 1062 1051	0.040
1068/1 1068/2 1068/3 1069/2 1070/6	0.135
1070/7 1070/8	0.028
993	0.
994	0.012
995	0.012
996	0.025
998	0.020

(1)	(2)
999	0.005
962/1	0.113
1001/3	0.005
योग	2.244

माइनर 5 एल./कचन्दा उप वितरक नहर निर्माण हेतु

447, 448	0.070
451/2	0.022
445	0.005
443	0.030
442/5	0.100
442/2	0.032
442/1	0.031
440/1	0.030
442/3	0.009
438	0.014
439	0.040
404/1	0.059
403	0.038
402/2	0.036
402/3	0.051
402/1	0.032
381/5	0.054
381/1	0.004
384	0.036
371/1	0.021
371/3	0.053
369	0.105
366	0.018
367/1	0.038
367/2	0.042
349	0.032
347/2 क, 348/1	0.063
60/3	0.036
योग	1.101
कुल योग	6.712

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरदुली वितरक के अंतर्गत ब्रांच माइनर 2 एल./माइनर 2 आर. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 373/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कलमी, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.166 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
178/6, 180/1, 181/1	0.141
178/1	0.012
177	0.109
468/2	0.101
179/3	0.173
176	0.145
210	0.008
211	0.169
179/1	0.008
192/2	0.117
175	0.028
194/1	0.202
468/1	0.004
193	0.162
194/2	0.053
175	0.141
192/1	0.057
195/5	0.008
177/2, 198/2	0.283

(1)	(2)
511/2	0.113
208	0.049
205	0.024
207	0.024
204	0.069
203/2	0.032
212	0.109
213	0.133
223/1	0.020
564/6	0.008
495/2	0.057
469	0.061
453/3	0.040
453/16	
454	0.073
455	0.202
214	0.004
220	0.065
453/13	0.490
216/4	0.053
216/6	0.065
216/7	0.065
216/2	0.065
223/6	0.012
453/27	0.053
453/28	
167/3	0.004
496/2	0.133
219	0.146
485	0.089
453/1	0.340
223/2	0.008
564/2	0.012
729/1	0.032
223/3	0.012
453/24	0.040
453/25	
495/1	0.206
223/4	0.008
564/4	0.012
474/1	0.053
483	0.053

(1)	(2)
453/2	0.134
729/4	0.028
223/5	0.004
223/7	0.004
223/8	0.004
453/29	0.141
453/30	
223/9	0.004
223/10	0.004
224/2	0.012
224/3	0.020
226/3	0.012
476	0.154
471	0.040
224/4	0.012
224/5	0.008
226/17	0.008
225/3	0.101
225/8	
225/9	0.004
516/1	0.230
225/10	0.004
516/3	0.069
225/7	0.012
487/4	0.012
225/4	0.008
453/20	0.210
226/1	0.012
226/4	0.028
226/5	0.008
226/6	0.032
226/7	0.012
226/16	0.012
226/8	0.032
226/9	0.012
226/10	0.012
226/11	0.008
226/13	0.008
226/12	0.008
510/3	0.028
226/14	0.008
226/15	0.008

(1)	(2)
242/1	0.125
559/1	0.028
558/2	0.045
558/1	0.032
559/2	0.004
241/4	0.040
241/7	0.008
241/3	0.004
242/4	0.121
243/3	0.065
725/1	0.049
242/2	0.077
479	0.061
243/1	0.173
511/1	0.012
496/1	0.073
512/2	0.004
453/39	0.053
474/2	0.049
512/5	0.165
494/4	0.142
512/7	0.202
512/1	0.470
512/8	0.004
517/1 ग	0.186
484	0.049
497/2	0.004
465/2	0.073
496/4	0.012
494/6	0.141
453/11	0.024
487/1	0.040
487/2	0.040
487/3	0.028
453/9	0.065
486/5	0.040
486/4	0.032
486/3	0.016
486/2	0.032
722/1 ख	0.012
482	0.153
489	0.049
483/1	0.061
475/5	0.004
483/2	0.065
480	0.045
481	0.045
478	0.081
470	0.113
472	0.040
467	0.222
466	0.214
465/1	0.069
463/3	0.129
463/5	0.069
463/2	0.089
456	0.077
464	0.202
459/2	0.028
453/37	0.057
453/40	0.053
453/19	0.105
453/18 ख	0.105
453/39	0.214
453/5	0.571
453/31	0.040
722/1 ख	0.134
722/1 क	0.182
722/1 च	0.234
726/3	0.016
722/1 ग	0.153
722/2 क	0.040
722/2 घ	0.405
240	0.032
723	0.097
721/4	0.040
721/9	0.036
731	0.502
730/2	0.141
226/2	0.032
योग	14.166

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 374/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.107 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
237/2	0.085
237/2	0.466
237/3	0.479
237/6	0.248
237/7	0.028
229/2	0.373
229/4	1.019
229/5	0.032
229/6	0.057
229/7	0.214
229/9	0.053
229/12	0.154
229/13	0.535
229/19	0.179
229/21	0.211
229/23	0.235
262/3	0.348
263/1	0.623
262/4	0.151
262/5	1.015
262/13	1.019
263/2	0.053
283/1	0.146
282/6	0.129
282/4	0.036
331/2	0.131
331/5	0.081
331/1	0.088
331/3	0.186
332/1	0.551
333/1	
284	0.057
286/5	0.021
286/6	0.057
289	0.049
335/1	0.062
333/2	0.028
334	1.044
673/2	0.716
673/7	0.438
685/1	0.263
685/2	0.320
684/2	0.573
687	0.044
690	0.186
812/2	0.681
812/3	0.463
812/10	0.255
812/13	0.113
812/14	0.337
825/1	0.372
171/9	0.073
171/10	0.352
169	0.097
171/14	0.485
171/11	0.073
171/15	0.267
171/1	0.247
171/16	0.113
171/17	0.016
172	0.963
171/1	1.085
178/7	0.186
192/9	0.275
192/3	0.425
178/9	0.105

(1)	(2)
178/3	0.093
171/14	0.218
178/6	0.040
178/2	0.834
192/11	0.085
192/5	0.210
192/4	0.214
192/2	0.012
181/4	0.299
182/3	0.263
181/2	0.275
योग	22.107

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कुरदा नहर वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 375/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़े सीपत, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.657 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1096/2	0.049
1096/5	0.057
1096/1	0.032
1096/4	0.045
180/5	0.049
180/6	
1096/3	0.040
1097/1 से 6	0.150
1100/1	1.063
1101/1	
1099	
1098/1	
444/2	
445/1	
446/2	
453	
456/1, 2	
457/1, 2	
458/3	
458/4	0.036
435/3	
181	0.222
182	
183	
194/4	0.097
184/2	
184/3	
184/5	0.036
184/6	0.049
184/4	0.036
184/1	0.097
184/8	0.142
185/2	0.045
186/2	
193/8	0.028
188/1	0.036
188/2	0.032
188/3	0.057
187/1	0.040
187/2	0.040
187/3	0.036
194/3	0.024
193/5	0.061

(1)	(2)	(1)	(2)
2750	0.009	3308/1	0.085
2746/1	0.012	3308/2	
2747/2	0.125	3306/2	0.052
2740	0.024	3308/4	0.076
2747/3	0.052	3309	0.016
2939	0.040	3314/1	0.056
2927	0.008	1313	
2911/1	0.072	3328/2	0.126
2923/1		3328/1	
2921/2	0.076	3045	0.025
2923/2		3060	0.036
2931	0.085	3059/1	0.041
2932/1	0.012	3048	0.008
2930	0.020	3099	0.062
2935	0.080	3061	0.004
2939	0.028	3060/2	0.024
2949	0.037	3187	0.020
2950		3168	0.012
2567	0.048	3167	0.052
2566	0.016	3157/1	0.052
2957	0.081	3159/1	0.073
2958	0.028	3165	0.020
2959		3160	0.096
2962	0.053	3161	0.008
2973/1	0.045	3159/2	0.036
2972	0.032	3158	0.101
2971	0.052	3226/1	0.072
2970	0.068	3225	0.080
2969/1	0.020	3224/1	0.101
2969/2	0.020	3273/1	
3020/1	0.044	3224/2	0.036
3020/2	0.048	3273/2	
3005	0.012	3272	0.101
3018/2	0.053	3272/2	
3017	0.025	3312	0.024
3014	0.028	3311	0.016
3010	0.020	3315/6	0.048
3013	0.025	3315/5	0.008
3046	0.036	3329/1	0.064
3011	0.040	3309/2	0.121
3298	0.028	3317	0.004
3271	0.024	3327/2	0.016

(1)	(2)
3327/3	0.073
3327/1	0.060
3322	0.060
3325	0.032
3345/1	0.059
3324/1	
3346	0.080
3347/2	0.056
3347/3	
2595/1	0.040
375	0.080
376/1	0.040
377	0.028
378	
योग	4.236

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जैजैपुर माइनर नं. 3.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 379/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-गलगलाडीह, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
310	0.018
296	0.072
297/1 क	0.150
297/1 ख	0.013
313	0.007
311	0.018
312/3	0.008
312/4	0.008
322	0.052
323	0.011
336	0.036
327	0.079
276/1	0.001
276/2	0.047
275	0.038
256	0.012
257/1	0.040
257/2	0.035
258/2	0.028
260/1	0.016
260/2	0.012
261	0.002
259	0.045
219	0.010
217	0.128
218	
204	0.018
205	0.035
206	0.014
207	0.017
202/3	0.015
202/2	0.038
208	0.051
215/2	0.030
214/4	0.054
214/7	0.029
214/6	0.012
214/5	0.036
213	0.024
175/2	0.033

(1)	(2)
190	0.032
191	0.012
193	0.038
186	0.016
189	0.007
188	0.032
175	0.030
171/1	0.039
170/3	0.012
170	0.012
557/1	0.019
565	0.024
564	0.021
566	0.007
563	0.108
562	0.009
570/2	0.003
570/1	0.056
612	0.007
615	0.012
616	0.016
617	0.028
611/3	0.027
318/2 डी	0.138
631/1	0.065
661/1	0.042
662/2	0.054
659	0.002
666	0.062
611/1	0.001
667	0.024
656	0.009
655	0.051
654	0.054
653	0.031
652	0.080
715/1 फ	0.111
715/1 ब	0.024
715/1 क्ष	0.132
715/1 ह	0.030
715/15	0.288
योग	3.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गमलगलाहीड माइनर/बरदुली वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 380/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.418 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5971/1	0.003
5971/2	0.235
5984/2	0.003
5985	0.090
5986	0.024
5987	0.007
5988	0.009
5989	0.030
5990	0.024

(1)	(2)
5991/1	0.040
5999/3	0.031
5999/4 5999/5	0.031
6013	0.105
6011	0.021
6014	0.027
6016	0.121
6017	0.003
6018	0.003
6019	0.015
6324	0.038
6325	0.050
6336/2	0.058
4652	0.009
4751/1	0.050
4751/2	0.010
4751	0.010
4748	0.012
4749	0.064
योग	1.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरदुली वितरक /जैजैपुर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 381/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.834 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
707	0.099
708/1	0.007
709/4	0.049
709/1	0.053
3099/2	0.053
710/2 डी	0.053
331	0.138
332	0.017
330/2	0.043
330/3	0.088
324/2	0.018
329/2	0.052
326/1 क	0.020
325/1 ख	0.020
325/2	0.040
325	0.053
216	0.032
218	0.036
219/1 214	0.092
219/2	0.038
213	0.059
208	0.036
211	0.045
209/3 203/5	0.049
210	0.049
203/4	0.060
203/1	0.075
302/1	0.060
302/4	0.010

(1)	(2)
302/2	0.143
304	0.051
306	0.051
335	0.021
338	0.061
339	0.060
334/2 डी	0.068
340	0.067
344/4	0.016
346	0.068
345	0.004
360/1	0.058
359/1	0.026
359/2	0.081
366	0.070
365	0.051
367	0.018
851, 365	0.050
369/1 क, 369/1 ख	0.063
369/4	0.008
369/6	0.116
369/10	0.070
369/3	0.109
397	0.067
396/1, 396/4	0.058
378/6	0.165
378/5	0.097
378/4 क	0.050
378/1	0.250
388/3	0.081
388/2	0.014
305/2	0.032
305/1	0.030
385/1	0.010
385/2	0.010
389	0.124
336	0.072
योग	3.834

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कचन्दा उप वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 382/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-डोमा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.234 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
735	0.012
742/3	0.045
750	0.215
736/2	0.053
765/2	0.077
736/1	0.028
737/2	0.028
759, 760	0.069
740	0.049
735/2	0.036

(1)	(2)
1028/4	0.004
739/3	0.032
755	0.053
756	0.004
838	0.008
842	0.008
757	0.008
758	0.012
768/2	0.004
761/1	0.004
765/1	0.089
766	
767	0.016
782	
785	0.053
783	0.057
784	
786	0.028
1009	0.016
798	
799	
802	
837	0.045
845	
846	
847	
803	0.105
836	0.004
840	0.024
841	0.024
843	0.004
835/3	0.024
1038/7	0.032
1028/3	0.101
1028/6	0.012
1028/1	0.142
899	0.024
1028/5	0.024
1027	0.016
1035	0.016
1036/2	0.016
1026/1	0.012
1025/2	0.049
1036/1	0.004
1022/5	0.024
1022/3	0.032
1022/7	0.032
1024	0.036
1034	0.008
950	0.004
951	0.004
954	0.004
955	0.093
1011	0.041
1010/1	0.032
1010/2	0.024
1012/2	0.146
1012/3	0.028
1012/4	0.036
1013	0.004
योग	2.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 383/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-छोटे सीपत, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.932 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78/1	0.04
342/2	0.032
58/2	0.093
58/3	0.081
58/4	0.036
57/1	0.008
58/1	0.008
222/1	0.028
341/2	0.073
221	0.065
232, 236	0.061
278	0.069
235	0.061
234	0.008
268	0.036
267	0.069
275/4	0.077
275/2	0.093
338/5	0.069
231/1	0.02
231/2	0.02
276	0.049
279	0.085
280/3	0.016
337	0.028
471/6	0.049
406/1	0.016
339/5	0.097
471/7	0.049
339/2	0.049
342/1	0.028
391/1	0.049
391/2	0.02
408	0.024
406/4	0.069
406/2	0.016
407/1	0.028
471/8	0.061
471/1	0.049
474	0.057
473	0.02
56/3	0.016
योग	1.932

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चारपारा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 384/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े रवेली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.223 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
551	0.045
552	0.166
531/1	0.159
531/2	0.008
532/3	0.008
532/5	0.158
479/4	0.008
481/1	0.129
501/1	0.02
496	0.016

(1)	(2)
632	0.182
501/2	0.053
500	0.125
505	0.114
499/1	0.049
504	0.016
614/1	0.121
637/1	0.008
636/2	0.134
615	0.012
634	0.125
633/1	0.186
631/2 631/1	0.077
630/3	0.101
630/2	0.008
626/2	0.121
1304/1	0.077
630/3	0.101
630/2	0.008
624/2	0.121
1304/1	0.077
630/1	0.084
626/1	0.008
626/3	0.032
626/2	0.081
1305/3	0.028
1305/1 624/1	0.053
1305/2	0.02
1306/4	0.004
1307/1	0.28
1383	0.21
1354/1	0.101
1355/1	0.089
1355/2	0.121
1352	0.15
1353/1	0.024
1350/1	0.158
1350/2	0.016
1356/1	0.061
1356/2	0.19
योग	4.223

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रवेली उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 385/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.439 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
331/1	0.175
290/7	0.230
290/6	0.036
290/5	0.166
290/3	0.166
290/4	0.065
289/2	0.064
289/3	0.052
289/4	0.049

(1)	(2)
291/1	0.088
291/2	0.128
291/3	0.262
288/1	0.177
288/5	0.016
288/6	0.180
287 288/2	0.161
286 292/1	0.022
292/2	0.063
293/3	0.108
284/1, 2	0.032
263/1	0.020
263/2	0.081
263/3	0.020
264	0.092
265	0.101
262/1 द	0.096
254	0.041
255	0.045
256	0.040
257/1	0.012
257/2	0.004
258	0.112
234/1	0.073
234/2	0.227
234/3	0.095
233	0.032
297/2	0.004
231/1	0.008
231/3	0.004
231/4	0.020
231/5	0.020
231/6	0.020
231/8	0.032
योग 43	3.439

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है--हरदी उप-वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 386/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-दर्राभांठा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.176 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
174/1	0.089
174/2	0.081
176/1	0.186
179	0.089
178	0.138
177	0.077
445/2	0.008
446	0.162
448/3	0.174
448/2	0.008
456/10	0.057
456/3	0.028
456/4	0.028
456/7	0.089
457 460	0.125
464	0.125
326	0.243
468/1, 2	0.093
467/2	0.077
469/2	0.020
470	0.097
493/1	0.065
491/1	0.012

(1)	(2)
461/2	0.008
511	0.097
योग	2.176

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भागोडीह माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 387/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-देवगांव, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.390 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
597/5	0.041
594/1	0.077
594/2, 3	0.057
597/1	0.101
409/10	0.028
597/3	0.004
596/2	0.061
596/1	0.040
596/3	0.028
589	0.040
588/1	0.024
414/1	0.012
588/2	0.024
572/2	0.016
586/1	0.008
586/2	0.016
571	0.004
572/1	0.040
574/1 575/3	0.061
409/8	0.008
562	0.202
546/7	0.045
546/17 561/11	0.012
546/16 561/10	0.069
547/1	0.053
547/6	0.065
547/2	0.045
405	0.028
409/11	0.049
409/3	0.032
415/2	0.008
415/1	0.024
413	0.012
412	0.012
411	0.024
410 435	0.016
437/2	0.004
योग	1.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छपोरा माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 392/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-चरौदी, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.184 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
314/1	0.089
314/2	0.077
314/6	0.056
314/7	0.008
312/1	0.004
313/1,3	0.150
313/10	0.028
313/8	0.089
433/1	0.032
430/1	0.150
430/3	0.028
433/4	0.016
426	0.068
427/1	0.080
424/1	0.037
423/2	0.223
423/1	0.028
422/1	0.101
423/1	0.016
422/2	0.125
422/11	0.101
422/6	0.081
515	0.028
193/1	0.392
193/5	0.012
193/8	0.016
194/1	0.04
194/2	0.0109
यो	2.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चरौदा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 397/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कटौद, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.100 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
393/1	0.077
392/1	0.057
389	0.016
393/2	0.012
388 390	0.243

(1)	(2)
386	0.045
39	0.149
381	0.008
384	0.073
385	
80/2	0.069
37/1	0.012
46	0.077
1005/1	0.020
36	0.008
47/1	0.032
48	0.073
49/1	0.109
64/1	0.028
51/2	0.057
81/1	0.008
81/2	0.133
1292	0.004
77	0.117
63/2	0.028
76/2	0.045
75/1	0.125
115/1	0.016
116	0.020
1306/2	0.186
1278	
114	0.061
128	0.065
126	0.032
127/1	0.065
156	0.024
171	0.020
223/1	0.069
124	0.166
157	0.032
172	0.049
230/1	0.008
233/1	
944	0.036
158	0.069
159	0.004
173/1	0.012
179/1	0.024
179/2	0.032
178	0.060
185/1	0.016
181	0.020
180	0.036
183	0.049
182	0.040
184	0.012
223/3	0.069
222	0.073
224	0.020
1164/2	0.028
1161	0.024
221	0.061
116/3	0.077
1005/2	0.057
953	0.012
954	0.149
1171	0.089
1008	0.073
1006/1	0.097
1287	0.008
1288	0.008
1290	0.004
1291	0.004
1293/3	0.004
1004	0.032
952/1	0.061
951	0.057
943	0.028
945	0.109
1286/3	0.109
योग 77	4.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कांसा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 401/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.911 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
257/3	0.024
257/4 क	0.157
258/1	0.076
259/2	0.101
259/1	0.121
263	0.016
260	0.109
279	0.084
381	0.008
1184	0.084
384	0.121
1144	0.052
383/1	0.153
386	0.012
387	0.129
399	0.149
398	0.129
397/2	
401/1	0.149
1108/2 क	0.101
1108/2 ख	0.076
1109/1 क	0.076
1110/1 ख	0.036
1111/1	0.404
1134/3	0.068
1133	0.004
1135	0.056
1136	0.012
1132	0.012
1139	0.060
1143	0.060
1138/1	0.012
1140/2	0.004
1140/1	0.076
1140/3	0.040
1142	0.048
1183	0.052
1110/1 क	0.040
योग	2.911

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छुहीपाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 402/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-कुटराबोर, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.289 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
815/3	0.032
815/2	0.020
816	0.065
791/2	0.057
791/4	0.121
790/2	0.129
789/4	0.020
790/1	0.053
793	0.101
799/2	0.020
798, 796/1	0.016
797/1	0.008
797/2	0.012
987/2	0.057
988/1	0.004
983/1	0.032
984/2, 3	0.089
980	0.057
976/1	0.073
976/5	0.004
976/4	0.012
976/2	0.101
976/3	0.117
957/1	0.036
956/1	0.170
947/4	0.170
947/1, 3, 5	0.089
1027	0.142
1029/1	0.138
576/2	0.053
576/1	0.077
567/2	0.101
567/1	0.008
566	0.069
565/3	0.089
565/4	0.045
565/1	0.020
565/5	0.016
351	0.012
356/2	0.085

(1)	(2)
359/2	0.101
562/1 क, 2 क	0.117
561/2	0.028
558, 559	0.085
561/1	0.036
352	0.008
578	0.008
577/1	0.012
577/2	0.020
559/1	0.008
554	0.028
552	0.020
549/3	0.020
549/2	0.117
549/3	0.020
549/4	0.020
549/5	0.020
555/1, 556/1	0.028
556/2, 555/2	0.016
555/3, 556/3	0.028
551/4	0.020
551/5	0.012
योग	3.292

बरदुली वितरक नहर/हरेठीकला माई. 2, आर. डी. 00 से 1298 मी.

(1)	(2)
1151	0.093
1149	0.069
1150	0.069
1148/1	0.077
1148/1	0.004
1147	0.036
1146	0.032
1231/2	0.012
1232/1, 2	0.117
1233/1	0.045

(1)	(2)
1234	0.012
1235	0.008
1236	0.053
1237	0.004
1223/2	0.032
1246, 1247	0.061
1248, 1249, 1251	0.036
1250	0.073
1258/1	0.016
1257/3	0.040
1265/2	0.045
1265/1	0.004
1256/3	0.028
1266	0.069
1268	0.028
1269	0.028
1270	0.032
1511/4	0.028
1505/2	0.057
1506/3	0.081
1272/1	0.012
1271/2	0.032
1271/3	0.020
1279, 1704	0.081
1281	0.077
1282	0.012
1500, 1501	0.227
1503/1, 1504/1	0.016
1503/2, 1504	0.081
1505/3	0.053
1505/1	0.028
1505/2	0.057
1258/2	0.012
योग	1.997

(2) **सार्वजनिक प्रयोजन जिसके** लिये आवश्यकता है-बरदुली **वितरक नहर.**

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 403/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-छिर्राडीह, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.200 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
छिर्राडीह माइनर नहर निर्माण के लिये	
31	0.020
32/1	0.048
32/4	0.024
45/2, 46/2	0.028
45/1, 46/1	0.012
47, 48	0.004
44/1	0.012
49	0.036
50/2	0.032
52	0.036
53/3	0.073
56	0.024
54	0.113
59	0.085
32/5	0.028
योग	0.575

(1)	(2)
छोईरडीह ब्रांच माइनर 1 एल. नहर निर्माण	
506	0.024
507	0.040
508	0.049
510	0.073
511	0.020
512	0.040
514	0.045
515	0.024
517	0.040
516/1	0.004
524	0.040
522/3	0.028
493/6, 7	0.101
493/5	0.049
534/3	0.032
535	0.016
योग	0.625
	0.575
शुद्ध योग	1.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छिर्राडीह माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003.

क्र. 404/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोटेतरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-049 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
615/3	0.049
योग	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-शक्ती शाखा

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 405/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहंदीकला, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.968 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
265/2	0.028

(1)	(2)
266/1 267/1 268	0.028
660/4	0.008
266/2 267/2 268/2	0.021
288/2	0.194
288/4	0.036
292/1	0.146
567/3	0.138
724/2	0.081
292/2	0.154
382/1	0.008
382/2	0.032
385/2	0.053
386	0.008
387	0.085
560/1	0.109
560/5	0.021
566/2	0.049
566/3	0.049
567/4	0.041
724/3	0.032
567/9	0.105
567/10	0.028
568	0.057
654/1	0.020
654/2	0.028
655	0.081
658/1	0.101
657/1	0.041
657/3	0.041
659	0.012
660/1	0.085
724/4	0.020
733/2 733/4	0.028
योग	1.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहदीकला (तिऊर) शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 406/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 22/14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.100 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1440	0.049
1446 1447	0.125
2745	0.004
1436	0.020
1438	0.117
1435/3	0.016
2715/3	0.012
1439/1	0.049
1439/2	0.004
1556	0.028
1424/2	0.004
1425/2 1433	0.100
1435/2	0.008
1435/4	0.016
1442/1 1443/1	0.050
1442/2 1443/2	0.077
1448	0.012

(1)	(2)
1449	0.177
1450	
1500	
1501	0.049
2716	0.028
2717	
1502	0.133
1503	0.053
1504/1	0.028
1504/2	0.069
1548	0.028
2598/2	0.053
2599	0.053
2604	0.004
2605	0.061
2606	0.045
2607/1, 2	0.020
2607/3	0.315
2708/3	0.004
2708/5	0.084
2708/6	0.048
2727/1	0.080
2708/7	0.223
2709	0.101
2715/2	0.032
2718	0.004
2720	0.004
2725/2	0.040
2726	0.057
2598/1	0.040
2724	0.057
2727/2	0.101
2727/1	0.020
2735/2	0.049
2736	0.045
2737/1	0.028
2737/2	0.053
2742	0.016
2743	0.121
2744	0.101
1545	0.045
1546	
योग	3.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-परसाडीह वितरक माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 408/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-डिक्सी, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.028 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
297	0.049
301/1	0.057
298	0.032
299	0.016
301/2	0.065
302/4	0.045

(1)	(2)
303/3	0.065
746/2	0.085
303/2	0.036
304/1	0.065
304/2	0.073
286	0.053
287	0.328
744	0.089
439/1	0.057
440	0.129
441	0.142
448	0.101
449	0.053
447	0.113
745	0.004
746/1	0.008
743	0.089
742	0.185
741	0.032
765	0.053
766	0.004
योग	2.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहदीकला (तिऊर) शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 409/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मोंहदी खुर्द, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.895 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
127	0.049
129/2	0.113
133/ख	0.073
132/2	0.049
133/1 क/2	0.049
133/1 क/1	0.001
133/1 ग	0.040
133/3	0.020
137	0.247
138/1	0.344
158	0.129
159	0.069
230/2	0.073
231/1	0.146
235/2	0.121
235/3	0.045
236/1	0.105
247/1	0.105
247/4	0.040
247/5	0.077
योग	1.895

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंहदीकला (तिऊर) शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 413/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नवापारा कला, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.494 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
289/1	0.105
289/2	0.073
289/3	0.142
289/4	0.016
292	0.129
362/9	0.020
362/10	0.004
363/1	0.069
364/4	0.182
370	0.186
371/1	0.158
371/2	0.069
371/3	0.012
372/2	0.073
372/4	0.021
402/1	0.069
402/2	0.008
402/3	0.020
403	0.049
404	0.032
405/1	0.089
405/4	0.012
405/5	0.021
410/2	0.053
477/1	0.004
478/1	0.077
478/3	0.105
479/1	0.028
480/2	0.146
480/4	0.085
481/1	0.004
481/2	0.077
481/3	0.073
484/1	0.109
484/2	0.053
486	0.121
योग	2.494

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहदीकला (तिऊर) शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. 528/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-केरीबंधा, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.494 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9/6	0.024
10	0.340
316/3	0.008
316/5	0.073
385/1	0.202
18/1	0.069
19	0.093
22/4	0.081
316/7	0.190
20	0.016
21/1	0.020
22/1	0.085
22/3	0.081
387/3	0.109
22/5	0.085
316/1	0.004
316/4	0.061
316/6	0.089
318/2	0.004
395/6	0.142
319	0.032
351	0.109
322/1	0.061
322/3	
323/2	0.121
323/3	0.004
352/1	0.081
352/2	0.004
357/1	0.190
358/1	0.008
358/2	0.020
358/3	0.081
359	0.146
365	0.049
382/3	0.004
382/5	0.024
386	0.008
382/4	0.158
384	0.053
385/2	0.109
387/2	0.065
387/4	0.045
394/3	0.004
395/1 क	0.142
395/1 ख	0.069
395/5	0.004
योग	3.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहदीकला वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 मई 2003

क्र. 529/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-टेमर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.425 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1335	0.040
1336	0.004
1337	0.089

(1)	(2)
1342/4	0.004
1344	0.053
1338	0.040
2035	0.049
2036	0.041
1341/3	0.024
1343/2	0.077
1343/1	0.137
1370	0.053
1372	0.004
1345	0.032
1347	0.085
1352	0.057
1346	0.077
1349	0.036
2033/2	0.065
2034	0.045
2042/1	0.045
2044	0.041
2046/7	0.028
2046/6	0.016
2046/4	0.016
2046/1	0.036
2046/2	0.085
1342/1	0.069
2043	0.045
2045/1	0.032
योग	1.425

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नवापारा कला माइनर 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 मई 2003

क्र. 530/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नवापाराकला, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.768 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
487/4	0.109
485 487/2	0.182
487/1	0.012
488	0.004
490/1	0.109
491/2	0.020
491/4	0.065
491/5	0.004
491/1	0.028
491/7	0.061
491/8	0.028
473	0.085
499	0.073
471/1	0.101
505/2	0.352
507	0.126
508/2	0.004
509/7	0.016
509/5	0.077
509/1	0.126
509/8	0.081
450/1	0.004
508/1	0.101
योग 23	1.768

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नवापारा कला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 मई 2003

क्र. 534/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-परसदाखुर्द, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
358/1	0.036
358/2	0.113
359/1	0.081
359/2	0.040
360/1	0.053
360/2	0.008
360/3 ख	0.061
360/4	0.065
360/5	0.129
365/1	0.081
402	0.081
545	0.057
384	0.040
403	0.142
425	0.008
427	0.142
404	0.146
406 407/2	0.016
407/1	0.154
410/1	0.121
411	0.121
410/2	0.040
428	0.105
429	0.162
549/2	0.109
483/2	0.049
484/1	0.012
733/1	0.049
484/2	0.008
733/2	0.032
485	0.032
486/1	0.146
486/2	0.057
487/1	0.093
487/2	0.093
737/2	0.121
486/4	0.053
488/3	0.004
488/5	0.081
489	0.081
490	0.069
548/2	0.093
541/1	0.004
735/3	0.053
542/1	0.024
542/2 542/3	0.202
543	0.097
547	0.057
544/1	0.004
548/1	0.170
548/3	0.093
549/3	0.121
721/3	0.073
572/2	0.093
589/3 590	0.162
592/2	0.142
572/3	0.263
580/1	0.117
592/1	0.065
729/1	0.146

(1)	(2)
591/4 591/2	0.093
589/4	0.170
591/1	0.040
591/3	0.097
614/1	0.004
721/2	0.097
729/2	0.267
722/1	0.218
728/2	0.053
728/1	0.202
735/1	0.170
733/3	0.061
732/2	0.101
593	0.125
383/2	0.061
योग	6.829

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहंदीकला वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 मई 2003

क्र. 531/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-शक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नवापाराकला, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.335 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
123/10	0.004
123/11	0.056
123/14	0.077
123/7	0.004
123/6	0.069
123/2	0.125
योग	0.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नवापारा माइनर नम्बर 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 मई 2003

क्र. 532/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-शक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीटीकरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.441 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12/1	0.170

(1)	(2)
13	0.154
15	0.117
योग	0.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मरकाम-गोढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 मई 2003

क्र. 533/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.741 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
178/1	0.190
127/2	0.040
182/2	0.049
182/1	0.288
156	0.093
157/1	0.130
153/1	0.040
152/1	0.077
120/9	0.036
152/4	0.024
120/10	0.126
152/2	0.036
151	0.049
148	0.093
514/2	0.057
134/1	0.081
147	0.016
134/2	0.097
132	0.020
570/1	0.069
127/1	0.158
126	0.028
121	0.182
292	0.045
110	0.008
463	0.053
465	0.004
515	0.065
513	0.283
529/1	0.069
529/3	0.053
530	0.101
540/1	0.101
542/1	0.089
547	0.020
548	0.247
549/2	0.134
593	0.134
591	0.028
592	0.024
602/3	0.219
590	
603	
607/1	0.028
570/2	0.150
584/1	0.089

(1)	(2)
576/7	0.093
577/2	0.061
578/2	0.109
571/1	0.012
568/1	0.105
567/3	0.093
550/3	0.061
604	0.126
578/1	0.093
587/3	
543	0.065
योग	4.741

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मरकाम-गोढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 560/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.309 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
229/8	0.353
263/2	0.072
690/2	0.283
825/1	0.541
262/5	0.202
684/2	0.325
172	0.855
171/8	0.073
171/15	0.117
171/14	0.437
331/5	0.008
284	0.028
283/4	0.117
283/3	0.150
673/8	0.340
181/5	0.243
181/7	

(1)	(2)
179/1	0.020
283/2	0.145
योग	4.309

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 563/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कलमी, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.512 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
721/8	0.036
721/2	0.142
725/2	0.053
722/3 क	0.040
122/1 च	0.040
453/32	0.040
453/12	0.138
463/6	0.008
453/9	0.040
516/3	0.008
243/3	0.028
242/1	0.004
243/1	0.012
227	0.570
210	0.008
203/1	0.065
177/2	0.008
198/2	
208	0.053
179/1	0.004
176	0.004
205	0.016
214	0.040
955	0.135
216/3	
559/1	0.012
168/1	0.008
योग	1.512

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 418/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नंदौर खुर्द, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.784 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
96, 97/1-2	0.077
98/2	0.093
98/3	0.077
102/1	0.057
104/1	0.008
105, 106	0.032
102/2	0.004
103	0.049
104/2	0.040
109	0.032
110	0.032
111, 112	0.016
119	0.032
117	0.024
108	0.053
122	0.008
120	0.093
115	0.008
116	0.049
योग	0.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—मल्दी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 419/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा खुर्द, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.283 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
575	0.020
574/1, 2, 3	0.105
573/1	0.069
577/1, 2, 3	0.089
योग	0.0283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सुवाडेरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 420/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-जगदल्ली, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल हेक्टर-0.764 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
268/1	0.182
267	0.146
266	0.016
272	0.004
284	0.170
285	0.125
286	0.121
योग	0.0764

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—ढोलनार उप वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 421/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-पोरथा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.426 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
7	0.150
8	0.073
9/1 से 19	0.571
46/1 से 8 तक	0.660
411	0.283
416/3, 417	0.085
418/1 से 4	0.138
431/1	0.057
431/5	0.024
431/15	0.045
402/6	0.053
431/3	0.032
431/21	0.020
431/4	0.040
402/2	0.150
402/1	0.045
योग	2.426

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सुवाडेरा सब माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 422/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नन्दौर खुर्द, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
629/2	0.036
योग	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—घोघरा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 423/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पोरथा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.687 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1549/3	0.077
1642/6	0.061
1547	0.162
1555/7	0.004
1555/1	0.053
1555/2	0.036
1556/1	0.105
1556/5	0.121
1557/1, 1557/2, 1557/3	0.401
1560/1	0.174
1591	0.380
1589	0.004
1599/1, 2	0.004
1598/8	0.138
1598/6	0.089
1598/2	0.012
1598/5	0.097
1623/2	0.239
1628/7	0.073
1628/6	0.105
1633/1, 3	0.239
1628/1	0.012
1632	0.045
1647/2	0.020
1642/1	0.036
योग	2.687

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सराईपाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 424/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सकरेली कला, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.942 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1077	0.073
1076	0.040
1078	0.065
1075/3, 1075/4	0.057
1080/1 से 8 तक	0.069
1087/1, 2, 3, 4, 5	0.125
1088/1, 2	0.113
1089	0.040
1090/1 से 9 तक	0.239
1093/1 से 9 तक	0.121
योग	0.942

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सकरेली कला माइनर नं. 3.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 425/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-डोडकी, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.165 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
283/1 से 6 तक	0.053
284	0.186
285/1, 2, 3	0.142
292/1, 2	0.045
291	0.202
383/1 से 9	0.182
384/1, 2, 3	0.129
385/1 से 11	0.109
399/1 से 8	0.085
400	0.032
योग	1.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बगबुड़वा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 426/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पोरथा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.520 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1599/1, 1599/2	0.097
1589	0.138
1603/1	0.004
1602	0.150
1604	0.057
1617	0.121
1616	0.089
1605/1, 1612, 1613	0.287
1651/3	0.012
1611/1 से 9, 1655/1	0.101
1655/2	0.032
1648/2	0.121
1648/4	0.089
1648/18	0.008
1648/19	0.097
1652	0.117
योग	1.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सरईपाली सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 427/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  (ख) तहसील-सक्ती
  (ग) नगर/ग्राम-सक्ती, प. ह. नं. 8
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.487 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
680/1-2	0.032
676	0.186
677	0.012
652	0.053
653	0.012
654	0.316
650	0.021
646	0.308
459/1-3, 460	0.308
647	0.036
688/1	0.008
691/1	0.057
692/2	0.121
694	0.050
644/7	0.024
641/1	0.004
6999/1	0.134
700	0.101
704/1	0.251
477	0.296
463/1	0.097
517/1 ग	0.121
517/1 ख	0.219
528/1	0.154
529/1	0.138
529/4	0.121
464	0.150
457/1 ख	0.146
453	0.243
554/1	0.170
348/1	0.478
337/1	0.020
113/4	0.028
320	0.024
321	0.057
319	0.243
291/1	0.024
291/2	0.219
291/3	0.040
292/1-2	0.121
293	0.081
129, 254, 255	0.243
458	0.020
योग	5.487

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सक्ती उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 428/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  (ख) तहसील-सक्ती
  (ग) नगर/ग्राम-नवापारा खुर्द, प. ह. नं. 5
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.587 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
574/1, 2, 3	0.024
577/1, 2	0.081
580	0.032
585/1, 2	0.219
585/3	0.085
794/1, 794/2, 794/3	0.146
योग	0.587

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सुवाडेरा सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 429/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-टेमर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.150 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
350/2	0.020
715/3	0.053
1206	0.109
351	0.008
400	0.073
352	0.016
382/2	0.069
389/2	0.053
382/8	0.004
387/3	0.121
390	0.065
517/1 घ	0.097
716	0.081
1315	0.028
387/4	0.113
716/2	0.036
388	0.186
398	0.097
721	0.016
1169/1	0.089
389/3	0.020
391	0.040
517/1 क	0.113
392	0.061
397/2	0.012
399/1	0.093
399/2	0.162
506/1	0.012
507/2	0.113
508	0.162
1163	0.049
517/1 ख, 517/2,	0.032
517/1	0.065
518/2	0.004
518/4	0.061
554/1	0.150
554/2	0.045
618/1	0.012
638	0.004
554/3	0.016
555/1	0.004
556	0.105
703/3	0.040
559	0.016
557	0.049
558/1	0.061
558/2	0.028
713	0.077
712	0.263
560	0.065
563/3	0.065
618/2	0.008
621/3	0.134
619	0.142
620/1	0.077
620/2	0.049
620/3	0.036
621/1	0.129
621/2	0.057
631, 632	0.129
639	0.0271
640/3	0.040
640/4	0.040
641/1	0.008
641/2	0.129
703/2	0.028
704/1	0.142
704/4	0.004
715/2	0.004
1145	0.053
1155/1	0.065
1161/3	0.008
1164/2	0.036
1164/3	0.073
1162	0.004
1319/5	0.012
1169/2, 3	0.008
1170	0.061

(1)	(2)
1171	0.061
1211/2	0.049
1172/1	0.057
1172/2	0.016
1177	0.016
1178/1	0.012
1207	0.190
1178/2	0.032
1189/2	0.049
1205/1	0.028
1205/2	0.113
1210	0.210
1222/1	0.089
1222/2	0.061
1223	0.028
1312/2	0.085
1312/6	0.032
1312/3	0.073
1312/7	0.053
1313	0.093
1316	0.150
1317/1	0.085
1317/2	0.032
1334/1	0.073
1334/3	0.020
1334/5	0.036
1334/6	0.065
1335	0.040
1066/1	0.004
1067/1	0.166
2067/2	0.134
2074/1, 2075/1	0.158
2069/2	0.008
2073	0.073
2074/4 क, 375/3	0.012
2074/4 ख	0.081
2018/2	0.020
2089/2	0.101
2085	0.093
2086/1	0.040
2089/1	0.170
2092	0.065
2093/1, 2094/1	0.032
2089/3	0.037
1318	0.004
1319/4	0.004
1320	0.004
517/1 ङ	0.016
योग	8.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—मोंहदीकेला वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 430/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-केरीबंधा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.591 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
352/1	0.004
352/2	0.073
366	0.158
369	0.061
370	0.069
371	0.125
373	0.061
374	0.020
364/1	0.020
योग	0.591

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—चारपारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 431/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-सक्ती
   (ग) नगर/ग्राम-टेमर, प. ह. नं. 8
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.432 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
122/1	0.020
1222/2	0.020
1222/3	0.113
1226/4	0.020
1228	0.053
1227/5	0.105
2119	0.036
2120	0.012
1232/2	0.020
1231/3	0.133
1243, 1241	0.093
1244/ 2 क	0.049
2117/2	0.041
1240	0.077
1239/2	0.053
1289/2	0.069
1289/1	0.020
1290	0.069
1291	0.073
1292	0.020
1281/3	0.053
1279	0.024
2115/3	0.061
2118	0.032
2125	0.008
2126/1	0.024
2127	0.069
1281/2	0.016
1242	0.041
1221	0.008
योग	1.432

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--टेमर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 432/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-सक्ती
   (ग) नगर/ग्राम-टेमर, प. ह. नं. 8
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.900 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
438/2	0.053
439	0.045
438/1	0.057
424/1	0.012
424/3	0.053
444/7	0.049
435/6	0.032
422/2	0.028
422/1	0.028
419/1	0.032
419/2	0.069
419/3	0.016
427/2	0.069
416/1	0.012
414/3	0.040
416/2	0.045

(1)	(2)
414/9	0.053
414/5	0.069
414/6	0.085
414/2	0.053
योग	0.900

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—चारपारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 433/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-सक्ती
   (ग) नगर/ग्राम-सपनईपाली, प. ह. नं. 10
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.128 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.041
40/2	0.061
40/3	0.057
38/2	0.053
39	0.081
38/1	0.073
37/1, 37/2	0.097
37/6, 37/7	0.141
34/1	0.161
33	0.230
25/5	0.012
25/2	0.093
28	0.008
27	0.020
योग	1.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सपनईपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 434/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-सक्ती
   (ग) नगर/ग्राम-कनेटी. प. ह. नं. 10
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.040 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
62/2	0.105
55/1	0.069
36/3	0.045
54/1	0.085
46/3	0.089
49	0.024
48	0.185
39/2	0.004
47	0.004
39/5	0.081
34/5	0.053
39/4	0.008
39/7	0.012
34/2	0.061
37/3	0.073
36/2	0.061
34/4, 35/1	0.032
32/2	0.008
31/1, 33	0.041
योग	1.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--चारपारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 435/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-चारपारा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.436 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.109
5/1	0.012
58/4	0.130
58/2	0.138
6/3, 7/1	0.081
6/1	0.105
58/5	0.024
58/3	0.045
64/2	0.028
63	0.032
62/2	0.057
31/1, 61/5	0.093
90/1	0.028
93	0.032
94	0.101
97	0.065
61/1	0.012
91/1	0.065
91/2	0.093
91/3	0.105
92, 91/4	0.081
योग	1.436

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--चारपारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 436/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-चारपारा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.299 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15/2	0.052
18/2	0.008
18/1	0.045
19/2	0.045
20	0.089
21/5	0.020
21/12	0.040
योग	0.299

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--सपनईपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 437/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-सक्ती
   (ग) नगर/ग्राम-टेमर, प. ह. नं. 8
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.710 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
386/1	0.105
387/4	0.049
388	0.016
387/3	0.016
505/1	0.069
504/1	0.045
504/2	0.117
505/2	0.020
485/5	0.061
488	0.101
464/1	0.089
463/1	0.077
463	0.065
466	0.049
467/1	0.057
468/2	0.065
469/5	0.036
468/2	0.012
469/6	0.061
929/2	0.028
469/3	0.016
793	0.024
793/1	0.045
793/6	0.024
793/8	0.024
785/2	0.101
824	0.069
829/1	0.045
776/1	0.057
909/1	0.113
787/2	0.028
828	0.032
825/2	0.036
826/1	0.040
861/1	0.049
822	0.053
825	0.020
864	0.045
867	0.069
865/1	0.045
923	0.020
876/2	0.032
876/1	0.036
876/3	0.024
875/1	0.061
906	0.057
905	0.069
920/1	0.113
921/5	0.081
931/1	0.097
935	0.077
936	0.089
930/1	0.065
948/3	0.077
947	0.077
948/1	0.044
946	0.081
944	0.093
469/3	0.024
470	0.109
795/1	0.303
833	0.008
योग	3.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सपनईपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 438/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-हरदा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.179 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
341	0.016
340/1	0.053
221/3	0.093
340/2	0.049
340/3	0.045
343	0.081
193/1 क/1	0.109
344/2	0.061
345/3	0.016
345/2	0.081
344/1	0.008
345/1	0.012
208	0.081
306	0.040
305/1	0.081
302/1 ख	0.016
304/2	0.146
302/2 क	0.004
220/3	0.142
223/4	0.016
223/2	0.106
228	0.254
220/2	0.016
221/4	0.008
219/2	0.004
223/3, 223/7	0.166
194/8	0.069
229/1, 229/2	0.049
194/6	0.085
194/1	0.081
194/2	0.045
193/2 क	0.146
योग	2.179

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी. हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 439/सा 1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ओडेकेरा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.876 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2652/1	0.049
2652/2	0.053
2652/3	0.061
2649/6	0.032
2651	0.149
2650/1	0.012
2650/2	0.020
2671/8	0.057
2671/9	0.053
2671/10	0.012
2671/7	0.125
2671/4	0.20
2671/3	0.085
2671/6	0.004
2671/5	0.182
2750/2	0.089
2751	0.016
2749	0.024
2773/1	0.008
2773/2	0.085
2773/3	0.036
2774	0.008
2775/1	0.012
2775/2	0.077
2787	0.121
2789	0.077
2790	0.097
2788/2	0.061

(1)	(2)
2806	0.053
1432	0.036
1433	0.024
1431	0.057
1427	0.085
1428	0.053
1423	0.065
1422	0.161
2898	0.109
2899	0.149
2893	0.004
2905/1	0.049
2905/2	0.028
2891/2	0.032
2890, 2891/1	0.081
2906	0.004
2886/4	0.057
2886/2	0.004
2885/1	0.032
2885/4	0.028
2885/2	0.036
2874/2	0.028
2874/1	0.073
2873	0.040
2872/2	0.008
2871	0.069
2866/2	0.057
2866/1	0.040
3078	0.045
3077/1	0.045
3076/1	0.049
3082	0.149
3100	0.057
3102/2	0.049
3102/1, 3095/2, 3101/1	0.053
3103/2	0.045
3103/1	0.049
3105/1-2	0.036
3104	0.065
3106/1 क	0.101
3115/1	0.073
3115/2	0.113
3114/1	0.036
3116/2, 3117/2	0.077
3117/5	0.093
3113	0.065
3116/1, 3112	0.089
3117/7	0.032
3117/8	0.109
3117/3	0.008
ग	4.525

हरेठीकला ब्रांच माइनर 1 R

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2659/5	0.085
2649/4	0.052
2648	0.109
2649/3	0.004
2647/1	0.109
2675/1	0.069
2676	0.040
2677	0.085
2682	0.049
2688	0.016
2681	0.081
2685	0.202
2704	0.024
2691/2	0.145
2702	0.125
2692, 2693	0.020
2701	0.020
2700	0.049
2699	0.028
2694/2	0.016
1809/2	0.016
1809/5	0.061
1810/2	0.028
1814/2	0.045
1815/1 से 4	0.032
1798	0.045
1792, 1793	0.040
1794	0.012
1788	0.028
2680	0.089
1789/1	0.004
1786/2, 1787/2	0.020
1786/1, 1787/1	0.008
1761	0.032
1760/2	0.016
1760/1	0.020
1756	0.024
1754	0.028
1719	0.065
1718	0.004
1720	0.012
1721/2	0.036
1722/2, 1724	0.065
1725	0.020
1714/2	0.032

(1)	(2)
1713/2	0.073
1726/2	0.040
1733/3	0.028
1480/1	0.061
1480/5	0.040
1480/2	0.036
1491	0.028
1478/2	0.032
1478/1	0.069
1477	0.040
1476/2	0.008
1810/1	0.069
1809/3	0.020
1791	0.045
2649/6	0.032
योग	2.731

हरेठीकला ब्रांच माइनर 2 R

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2866/2	0.065
2871	0.004
2876	0.117
2878	0.125
2879	0.004
2930	0.024
2931	0.004
2929	0.029
2934/2	0.077
2934/1	0.157
2933/3	0.004
3057/5, 7	0.032
3057/6	0.045
3057/13	0.036
3058	0.049
3057/8	0.065
3062/7	0.045
3062/1	0.133
3050/17	0.045
3063/3	0.004
3063/2	0.020
3063/1	0.020
3064/1	0.028
3064/3	0.016
3064/4	0.065
3049/9	0.045
3049/14	0.024
3049/5	0.061
3049/4	0.008
3049/2	0.020
3049/1	0.008
3047/1-2	0.065
3064/3	0.040
3064/4	0.008
3064/2	0.016
3064/1	0.121
योग	1.620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—हरेठीकला माइनर ब्रांच माइनर 1 R एवं 2 R.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 440/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.518 है.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
370, 371, 372	0.069
338	0.081
339	0.008
332/1	0.049
332/2	0.049

(1)	(2)
333/1	0.053
333/2	0.028
316/2	0.024
318/2	0.032
318/4	0.032
318/5	0.036
318/3	0.045
319/1	0.045
307	0.170
267/2	0.016
267/1	0.077
268/1	0.004
268/2	0.036
300	0.065
योग	0.919

(1)	(2)
368/1-2	0.069
370, 371, 372	0.089
369	0.016
341/3	0.032
340	0.045
341/4	0.004
329/2	0.008
328/2	0.004
328/1	0.049
323/12	0.028
323/10	0.008
323/8	0.008
323/9	0.040
322/4	0.045
322/5	0.012
322/2	0.008
322/1	0.036
263/1	0.117
263/3	0.028
262/3, 4	0.061
262/2	0.032
260/3	0.048
260/2	0.024
258/1	0.008
171/2	0.028
257/1	0.129
254/2, 265/1-5	0.105
253/2	0.065

(1)	(2)
250/3, 6	0.053
246/2	0.049
247/1	0.085
241/2	0.057
242	0.065
239	0.008
222/9	0.024
222/14	0.077
222/12	0.057
219	0.049
215	0.004
216	0.032
214	0.032
257/2	0.008
222/17	0.016
योग	1.746

(1)	(2)
361/2	0.20
361/3, 362	0.069
363/1	0.194
378/1	0.057
378/2	0.057
379/5	0.032
379/8	0.028
382/2	0.028
380/2, 3	0.093
380/1	0.020
381/1	0.020
450, 458, 459	0.077
441/12, 442	0.089
439/2	0.045
444	0.243
929	0.045
930	0.024
928/1-2	0.138
979/1	0.012
979/2	0.138
981/2	0.138
983	0.093
982	0.004
योग	1.664

(1)	(2)
96	0.028
95/3	0.036
94/1	0.016
94/2	0.024
88	0.032
87	0.053
योग	0.189

(1) मनेतरा मायनर	0.919
(2) बरकेल मायनर	1.746
(3) देवरघटा मायनर	1.664
(4) बरदुली मायनर 2	0.189
महायोग	4.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है–मनेतरा, बरकेल, देवरघटा एवं बरदुली माइनर 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 441/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बहेराडीह, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.249 हे.

आमाकोनी नहर निर्माण के लिये

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.16
12	0.045
13	0.008
15	0.198
19/2, 20/1	0.004
21	0.165
57/4	0.069
57/3	0.048
57/1	0.004
116	0.360
115/1	0.022
115/2	0.008
112	0.016
107	0.008
106	0.012
99, 100, 101, 102	0.016
833/1	0.113
833/3	0.093
841/1, 844/1, 845/1, 846/1, 847/1	0.428
844/2, 845/2, 846/2, 847/2	0.384
844/3, 846/3	0.214
कुल योग	2.221

आमाकोनी ब्रांच माइनर-2, बायीं नहर निर्माण के लिये

15	0.060
14	0.056
07	0.016
388/1	0.028
388/2	0.028
388/3	0.032
387/1	0.153
387/2	0.036
369	0.036
331	0.072
332	0.064
333/1	0.032
333/2	0.020
334	0.012
322	0.024
336	0.113
320	0.036
319	0.044
318/1	0.064
317/2	0.044
315	0.169
272	0.008

(1)	(2)
270/1	0.76
269	0.060
267	0.036
263	0.076
253	0.032
252/1	0.052
251/1	0.032
244	0.044
246	0.044
247	0.028
248	0.028
249/7	0.032
662	0.041
661	0.016
660/2	0.060
652, 653	0.096
650	0.028
562/6	0.068
562/7	0.028
654	0.004
245	0.004
651	0.032
कुल योग	2.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है–आमाकोनी माइनर, आमाकोनी ब्रांच माइनर-2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 442/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.735 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
792	0.028
790/1 क	0.024
790/1 ख	0.040
778/1 ख	0.069
789/1	0.032
777/5	0.004
778/1 क	0.032
768/1	0.121
767/1	0.032
769/1	0.028
769/2	0.040
770	0.036
766	0.028
1970/1	0.028
765/2	0.024
765/1	0.016
764	0.073
757	0.032
761/1	0.048
योग	0.735

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—महुआडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 443/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पिसौद, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.486 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
87, 88/1-2	0.028
98/1	0.024

(1)	(2)
98/3, 99	0.028
83/1	0.057
83/2	0.020
100	0.032
101	0.008
83/3	0.012
83/5	0.040
83/4	0.061
77/1, 77/4 से 77/12 तक	0.089
465	0.020
475	0.032
477	0.049
470, 472	0.097
467/1	0.045
467/2	0.049
486	0.061
429/4, 5	0.053
528/2	0.077
543/1	0.036
527	0.004
526	0.024
544/1, 2	0.049
545	0.040
546	0.065
547	0.049
558/1	0.012
548	0.049
558/2	0.008
549	0.061
550	0.053
551	0.069
529/2	0.057
योग	1.458

भनेतरा नहर निर्माण हेतु

(1)	(2)
558/1	0.036
558/2	0.016
544/1-2	0.008
557	0.049
562	0.049
564, 565/1-2	0.050
566	0.032
567/1	0.022
572/1	0.024
573	0.026
589/1	0.036
589/2	0.081
593/1	0.022
593/2	0.045
599/2	0.077
615/1	0.24
615/2	0.045
618	0.012
599/1	0.002
617	0.020
616	0.004
622/1	0.024
623/2, 3	0.045
624	0.032
629	0.040
644/1	0.053
678/2	0.012
651	0.045
652/2	0.040
653	0.049
654	0.008
योग	1.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भनेतरा ब्रांच माइनर 2 एवं भनेतरा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 444/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुमिडीह, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.560 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46/1	0.125

(1)	(2)
46/2	0.081
47/1, 2	0.085
49/3	0.020
50/2	0.089
50/3	0.089
51/1	0.008
51/2	0.065
57/1, 56/6 ख	0.117
56/1	0.101
56/5	0.008
68/1	0.101
64/1, 65/1	0.125
66/3, 4	0.032
65/4	0.117
74/2	0.113
65/8	0.004
75/1	0.085
75/2	0.06
76	0.085
260/1, 261/1	0.101
260/3, 261/3	0.089
260/2, 261/2	0.101
306	0.040
304, 305	0.085
302/2	0.065
300/1	0.089
296/3	0.012
299	0.024
296/1	0.004
298/2-3	0.141
298/1	0.012
341/7	0.040
341/8	0.049
341/9	0.012
341/10	0.036
301	0.012
77/7	0.016
64/2	0.012
56/2	0.109
योग	2.560

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गुड़रू माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 445/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.471 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1873	0.012
1892/2	0.121
1892/1	0.069
1313	0.016
1437	0.048
1439	0.161
1438	0.036
1435	0.012
1440	0.048
1433/2-ख, 1433/2 ग	0.141
1352	0.016
103	0.008
1354	0.089
1355	0.096
1356	0.032
1357	0.016
1358	0.044
1353/2	0.060
1353/1	0.125
1351	0.012
1350/1	0.028
1328	0.024
104	0.012
1321	0.044
100/1	0.024
98	0.032
1327	0.037
1326/1	0.024

(1)	(2)
326/2	0.024
88	0.020
87	0.020
1312/1	0.020
योग	1.471

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—चोरभट्ठी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 446/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बोईरडीह, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.011 हे.

बरदुली वितरण नहर/बोइरडीह

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
688/1 क	0.036
688/1 ख	0.036
688/1 ग	0.020
691/1	0.085
285	0.004
282/1, 283/1	0.056
283/2	0.028
283/3	0.020
288	0.012
290	0.032
291/1	0.012
291/2	0.045
295	0.053
296/1	0.028
296/2	0.028
275	0.081
274	0.028
298	0.008
271	0.012
301	0.028
302	0.045
303	0.040
305	0.024
306	0.012
307/3	0.016
307/5	0.049
325/1	0.028
324/1	0.028
321	0.020
322/1	0.016
322/2	0.012
319	0.012
320	0.016
247	0.032
245	0.186
234	0.028
233	0.073
224	0.008
225	0.028
227	0.024
219	0.065
216	0.024
218	0.004
217	0.008
213	0.024
214	0.024
210/1	0.085
211/1	0.049
287/1	0.008
292	0.004
योग	1.644

बोइरडीह ब्रा. मा./आर. डी. सी

(1)	(2)
661/1	0.069
661/2	0.008
687/1	0.089
694/1	0.045
620/2	0.061
620/1	0.109
698	0.008
619/2	0.032

(1)	(2)
619/1	0.109
618/1, 618/2	0.109
610	0.069
609	0.073
546/1	0.049
545/1	0.040
711/1	0.040
712/1	0.045
713/1	0.093
714/1	0.008
540/1	0.057
715	0.008
529	0.117
660	0.012
688/1 ग	0.028
688/1 ख	0.045
441	0.024
440	0.004
योग	1.351

बी. आर. एम. आर. थ्री (3) आर (बोइरडीह)
ब्रा. मा. 3 आर आर. डी. 00 से 350 मी.

735	0.016
कुल योग	1.367

कुल योग	(1)	1.644
	(2)	1.351
	(3)	0.016
		3.011 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बोइरडाह माइनर, ब्रांच माइनर 2 L, ब्रांच माइनर 3 L.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 447/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजेपुर
(ग) नगर/ग्राम-गुंजियाडीह, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.053 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
161	0.008
366/3	0.049
366/2	0.045
365/1	0.101
364/2	0.073
364/1	0.053
361	0.012
369	0.028
371	0.077
356	0.045
372/1	0.012
354	0.073
353	0.089
352	0.036
351	0.032
350	0.012
338/2	0.016
335/4	0.024
337/2	0.024
320/1	0.045
323/3	0.065
323/2 ख	0.036
324, 325	0.085
445	0.057
446	0.024
453	0.016
455/8	0.012
455/9	0.012
458/2	0.016
460	0.028
461/4	0.024
461/5	0.016
462	0.016
481, 485, 482, 483, 484	0.113
479	0.077

(1)	(2)
480/1	0.040
488	0.035
489	0.024
योग	1.551

मनेतरा माईनर/आर. डी. 580 से 1410 मी. तक

85	0.040
93/2	0.057
87/2	0.069
90	0.004
91	0.065
92	0.028
168/2	0.053
168/1	0.053
167	0.101
102/2 क	0.053
102/2 ख, 102/2 ग	0.040
162/2, 163/2	0.069
160	0.004
161	0.065
159/3	0.053
373	0.085
158/1	0.097
157/2	0.028
377	0.004
156/2	0.053
155	0.081
154/2	0.040
148	0.049
146/2, 147/2	0.057
146/1	0.012
142	0.073
141	0.061
140/1	0.028
140/2	0.024
93/1	0.004
366/3	0.004
168/3	0.032
168/4	0.016
योग	1.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--मनेतरा मायनर, मनेतरा ब्रांच माइनर 1 R.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 448/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.297 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
353/3	0.052
353/2	0.008
538	0.113
104	0.068
103	0.012
99, 100	0.044
योग	0.297

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--चोरभट्ठी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 449/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-जैजेपुर
   (ग) नगर/ग्राम-सेन्दरी, प. ह. नं. 24
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.251 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1221	0.008
1215	0.008
1219	0.016
1226/2	0.133
1225	0.004
936/1	0.040
1218	0.040
1217	0.040
1213	0.040
1210, 1212	0.028
1257/1 ख, 1257/2	0.076
1257/1 क	0.032
1259	0.068
1260, 1261	0.032
1288/1, 1290/1	0.068
1288/2, 1290/2	0.080
1286, 1287	0.161
1301	0.039
1302/1-2	9.032
1303	0.008
1300, 1299, 943/2	0.173
1293/1	0.020
1296	0.032
1297, 1298	0.032
1295	0.053
1306/2	0.072
1294	0.040
1311/1	0.080
1312/1	0.080
1324, 1323	0.121
1322	0.032
1327/2	0.012
1326/2	0.125
1326/1	0.076
945/1, 945/3	0.113
943/1	0.081
944/2, 944/3	0.105
943/2	0.081
932/1 घ	0.036
937/1, 938/1	0.17
933/1, 933/2	0.121
933/3	0.064
933/4	0.072
933/5	0.052
933/6	0.052
935/2	0.162
859	0.101
1306/4	0.032
1302/3	0.004
1256	0.064
932/1 ग	0.040
योग	3.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सेन्दरी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 450/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-जैजेपुर
   (ग) नगर/ग्राम-अरसिया, प. ह. नं. 16
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.443 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/1 ख, 108/3	0.008
195	0.004
197	0.024
196	0.028

(1)	(2)
198	0.024
199	0.053
299	0.048
222	0.044
223	0.004
228	0.020
229	0.044
230/1	0.016
230/4	0.024
231	0.060
260/3	0.004
232	0.029
233/1	0.008
249	0.036
250	0.024
251	0.130
255/1	0.024
331	0.097
254	0.016
255/2	0.008
256	0.032
259/1	0.024
262	0.077
326/1	0.089
325/1	0.012
263	0.044
264	0.028
265/1, 266	0.040
270	0.057
265/2	0.004
267, 268, 269, 435, 436, 437/1, 438/1, 438/1	0.020
271	0.006
275	0.004
297/1, 298/2	0.004
300	0.053
301	0.040
305, 303, 306	0.012
307	0.072
326/2	0.150
326/3	0.032
328	0.008
329/3	0.036
330/2	0.024
334/3	0.008
335/1	0.016
335/3	0.056
335/4	0.004
441	0.032
442	0.028
468, 453/1	0.210
454	0.223
455/1	0.109
487/3	0.008
487/4	0.012
488/1	0.016
488/2	0.024
487/5	0.008
486/1, 486/2	0.044
योग	2.443

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—अरसिया माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 451/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-जैजेपुर, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.290 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1023/2	0.052
1773	0.032
1024	0.008
1005/3	0.004
1005/1	0.048
1005/4	0.044
1739	0.076
1740/1	0.068
1740/2	0.182
1750/1	0.016
1750/3	0.072
1750/2	0.1[illegible]3
1751/1	0.012
1753/1	0.040
1753/2	0.012
1758/1	0.012
1757/2	0.068
1756	0.081
1755/2	0.069
1759	0.028
1791/5	0.100
1766	0.072
(1)	(2)
1789	0.016
1891	0.081
1826	0.121
1829	0.03[illegible]
1827	0.093
1828/1	0.012
1828/2	0.081
1832, 1833/3	0.161
[illegible]35/2	0.161
1835/1	0.040
1836	0.040
157	0.060
154	0.028
155/2	0.089
156	0.028
1891	0.048
1892	0.004
1893	0.060
1895/1	0.080
1904, 1903	0.048
1902/2	0.044
1902/1	0.080
1901	0.057
1900/4, 1900/2, 1900/1	0.273
1791/2	0.061
1791/1	0.101
1791/9	0.121
1295/1	0.061
योग	3.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—मुक्ता सब डिट्री बूटी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 453/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -कटौद, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.691 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
392/1	0.049
391	0.093
95	0.032
33/2	0.053
33/3	0.024
33/4	0.024
93/1	0.028
34/1	0.040
30/1	0.061
29/1	0.053
83/2	0.016
146/1, 147, 148, 149, 152/2	0.145
36	0.069
130/1	0.214
47/3, 4	0.057
23/2	0.036
145	0.0.45
48	0.040
50/4	0.020
24/3, 21/1	0.024
82	0.020
50/5	0.065
83/1	0.040
88/1	0.032
79/1	0.057
78/2	0.016
91/2	0.032
76/1	0.012
134	0.028
93/2	0.012
94/1	0.020
110	0.101
133/1	0.028
139	0.097
150	0.008
योग 35	1.691

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—डायरेक्ट कटौद माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 454/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -सुखदा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.173 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
957/3	0.182
956/2	0.004
955/2	0.004
976	0.016
955/1	0.097
977/1	0.008
975/2, 977/2, 979/3	0.133
1008/1	0.085
1023	0.049

(1)	(2)
1024/2	0.045
982	0.157
979/2	0.004
1004	0.170
1003	0.089
1008/3	0.162
1278	0.089
1306	0.125
1304/3	0.040
1304/6	0.012
1304/4	0.109
1303/2	0.004
1304/5	0.032
1304/1	0.004
1303/1	0.113
1292	0.109
1207/3	0.065
1293/2	0.061
1293/1	0.061
1277/2	0.020
1279	0.049
1275	0.101
1273	0.053
12,1/2	0.057
1270/2	0.081
1215/1	0.077
1215/2	0.073
1215/3	0.065
1215/4	0.065
1216/3	0.020
1210	0.032
1208	0.061
1214/2	0.040
1291	0.012
1207/2	0.032
1206/4	0.053
1206/3	0.024
1206/1	0.012
1206/5	0.032
1206/2	0.012
1204	0.036
1205	0.053
1203/3	0.028
1203/5	0.016
1203/2	0.020
1203/1	0.010
1203/4	0.010
योग	3.173

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कटौद सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 455/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -कंवली, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.979 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1378/3	0.012
1377	0.036
1376	0.084
1375	0.012
1347	0.117
1348	0.040
1349	0.012
1257, 1258	0.064
1253/2	0.028
1350	0.121
1256/2	0.028
1253/1	0.052
1218/1	0.032
1218/2	0.020
1254/1 क	0.084
1254/1 ख	0.105
1197/1	0.089

(1)	(2)
1195	0.028
1194	0.020
1192	0.052
1191	0.012
1193	0.056
366	0.028
1190/2	0.008
367/1	0.049
368/1	0.052
369	0.076
योग	1.317

नवापारा उप-शाखा वितरिका नहर निर्माण हेतु 4 एल माइनर (RD 00 to 995 M)

1062/4	0.028
1062/5	0.040
1061	0.012
762/1	0.024
763/1	0.024
763/2	0.016
764, 765/1,	0.069
766/1	0.056
767/2	0.048
767/1	0.170
774/1	0.044
754/2, 771/4, 772/4	0.008
775	0.020
774/2	0.020
752/1	0.052
750/1	0.052
549	0.048
550	0.004
548/2	0.064
551/1	0.032
551/2	0.012
670	0.186
555	0.036
556	0.036
557	0.036
527	0.072
528	0.036
529/3	0.016
533	0.016
529/6	0.012
531	0.008
551/2	0.008
773	0.040
788	0.004
योग	1.349

नवापारा उप-शाखा वितरक नहर निर्माण हेतु क्र 5 आर माइनर (RD 00 to 960 M)

(1)	(2)
826	0.080
830/2	0.056
831/1	0.080
831/4	0.032
837/1	0.060
848/2	0.056
857/4	0.028
857/3	0.032
863/1	0.052
863/2	0.008
864	0.060
865	0.036
866	0.024
862/3	0.024
869/1	0.020
870/1	0.036
888/1	0.032
885	0.008
886	0.012
882	0.509
889	0.048
887	0.020
योग	1.313

I	1.317
II	1.349
III	1.313
	3.979

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—नवापारा उप-शाखा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 456/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम -कंवलाझर, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.715 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
698/2	0.065
697	0.077
696, 695, 694, 693	0.178
692	0.109
691	0.008
687	0.012
688	0.028
677	0.004
689	0.004
673/2	0.032
676/3, 1026/2	0.040
676/5, 1026/5	0.045
654/1	0.057
679	00.24
680/2	00.32
योग	0.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--कंवलाझर ब्रांच सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 457/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम -धुरकोट, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.794 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
195/1	0.008
196	0.064
200	0.064
199/8	0.020
199/5	0.032
199/4	0.020
222/1, 6	0.032
222/8, 2	0.032
222/10	0.008
222/3	0.004
227	0.165
229/1	0.056
229/2	0.113
229/3	0.052
230/3	0.052
231/2	0.032
232/2	0.084
448/49	0.056
401/1	0.052
401/2	0.068
402	0.052
411/1, 3	0.008
405/3	0.028
406	0.008
407/1	0.145
409/2	0.028
410	0.048
412	0.044
378/1	0.028
413/4	0.024
377	0.024
376	0.028
413/1	0.056
योग 33	1 535

लघु वितरक 2 आर 1 एल

232/2	0.025
231/2	0.048
334	0.020

(1)	(2)
233	0.008
428/49	0.145
397/3 ग	0.024
397/3 क	0.040
397/1	0.056
392/3	0.040
390/1, 2	0.072
389/1	0.032
338/2	0.040
388	0.028
337/2	0.036
384/1	0.121
386	0.040
387	0.016
372/2	0.064
384/3	0.141
354	0.138
372/1	0.057
336/1	0.044
336/2	0.024
योग	1.259
कुल योग	2.794

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—नवापारा उप-शाखा वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 458/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -सुखदा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.439 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189/2	0.190
193	0.004
195/2	0.049
199	0.036
202/2	0.069
197	0.093
198	0.016
203	0.045
205/2	0.016
205/1	0.049
206/1	0.077
207	0.049
208	0.065
1927/2	0.024
224/3	0.085
224/9	0.133
224/11	0.004
2022/3	0.053
1940/2	0.020
225/2	0.162
232/1	0.081
233/1	0.133
153/1	0.028
148/1, 148/3	0.129
1924	0.028
148/2	0.121
142/3	0.065
143/6	0.069
142/4	0.040
144	0.065
123/2	0.069
1639/1	0.012
133/3	0.069
83/2	0.028
134	0.101
85	0.008
335/1	0.040
83/3, 84	0.097
325/2	0.020
77/3	0.020
1933/1	0.024
81	0.049
82	0.053
395/5	0.061
396/1	0.101
397/3 ख	0.004
392/1	0.081

(1)	(2)
2025	0.008
392/2	0.012
390/2	0.101
342	0.012
343	0.243
1664/1	0.178
344/1	0.081
1648/1	0.008
345	0.057
550	0.020
350	0.129
1930	0.028
349/2	0.073
353/1	0.040
370/1	0.028
370/3	0.028
370/4	0.049
1929/1	0.028
371/1	0.053
372	0.145
373/2	0.028
369/2	0.036
549	0.016
547	0.024
548	0.121
1674	0.085
1673/2	0.049
1657/5	0.024
1657/3	0.045
2032/1	0.170
2022/2	0.008
1659	0.073
1660	0.049
2034	0.028
2035/1	0.065
1664/2	0.065
1662	0.028
2037	0.020
2041	0.012
2042	0.008
2036	0.121
1932/1	0.012
2035/2	0.053
1932/2	0.004
2038	0.008
2032/2	0.251
2029	0.024
2022/5	0.053
2022/4	0.093
1947/2	0.020
1946	0.016
1944	0.040
2032/3, 2033	0.069
2021	0.008
1918	0.020
1943/1	0.053
1942/2	0.032
1942/1	0.008
1941	0.024
1931	0.020
1920	0.020
1938	0.024
1939/2	0.008
1935/1	0.008
1935/2	0.012
1936	0.032
1934	0.020
1937/1	0.020
1928/1	0.020
1927/3	0.012
1926	0.028
1925/1	0.024
1923	0.020
1922	0.036
1921	0.028
1919	0.028
1917/1	0.012
1917/2	0.004
1916/1	0.004
1913	0.020
1914	0.020
योग	6.439

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सुखदा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 459/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -देवरघटा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.587 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
640/3	0.008
647	0.020
655/2	0.105
653, 654	0.020
643	0.008
642, 645	0.194
646	0.020
648	0.093
670, 662	0.069
657	0.352
672/2	0.085
656/2	0.109
659	0.125
663	0.040
671/1	0.129
671/2	0.061
673/12	0.020
672/1	0.004
710	0.121
673/13	0.190
673/14	0.004
673/7	0.004
695	0.226
661	0.020
706/1	0.251
283	0.077
707	0.121
708	0.049
711/3	0.028
711/1	0.012
714	0.323
713	0.032
287/3	0.145
287/6	0.089
290	0.093
291	0.157
641/1	0.032
641/2	0.032
641/3	0.057
641/4	0.057
योग	3.587

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बड़े मुड़पार सब हि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 460/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -फरसवानी, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.114 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1476/1	0.097
1480/1	0.008
1479/2	0.040
1479/3	0.113
1480/2	0.129
1657/7, 1658/1	0.214
1657/8	0.053
1662/1, 3	0.081
1662/2, 4	0.069
1657/6 ग	0.020
1663	0.113
1685	0.049
2232	0.036

(1)	(2)
2334/1	0.125
2334/2	0.049
2348	0.049
1683/1	0.069
1683/2	0.012
2226/2	0.024
2224/1	0.065
2233	0.069
2324/5, 2324/1 ग	0.105
2324/4	0.008
2335/6, 7, 8	0.109
2335/9	0.004
2339	0.008
2362/1	0.049
2349/2	0.049
2349/1	0.040
2351/2	0.016
2351/1	0.012
2362/2 ख	0.036
2364	0.036
2367/2	0.028
2367/1	0.008
2365	0.045
2366/1	0.028
1477/2 ख	0.049
योग	2.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—फरसवानी सब डी. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 461/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -बसन्तपुर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.042 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.065
3/3, 3/4	0.024
319	0.182
321/1, 2	0.101
1/1	0.024
2/1, 2	0.032
275/1, 2	0.065
274/1	0.149
274/8	0.049
276/16	0.020
276/6, 7	0.040
276/8 से 12	0.040
276/14	0.045
276/17	0.036
276/13	0.008
278/2	0.040
321/3, 4	0.049
322	0.073
योग	1.042

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—खुरघटी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 462/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-डभरा
   (ग) नगर/ग्राम -चुरतेली, प. ह. नं. 06
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.712 है.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
270	0.141
269/2	0.045
268	0.053
267/3, 267/2 क, 267/2 ख	0.295
244/2	0.053
245	0.105
203	0.157
242	0.441
243	0.081
246/1	0.008
241/1	0.045
241/2	0.053
236, 237, 238	0.146
235/1	0.081
202/1	0.072
235/2	0.065
197	0.040
235/5	0.076
167/3	0.065
190/3	0.024
194	0.016
195	0.004
196	0.040
199	0.065
202/5	0.072
166/2	0.024
165/2	0.057
162/2	0.057
162/1	0.061
161/1	0.133
244/1	0.137
योग	2.712

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कौड़िया माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 464/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम-तौलीपाली, प. ह. नं. 9
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.490 है.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98/2	0.105
98/3	0.153
100/3	0.049
100/1	0.121
102/1, 103, 104/1	0.008
101/1	0.012
101/2	0.186
111/2	0.081
111/3	0.065
116/6	0.016
112/2	0.016
112/4	0.069
208/7	0.049
112/3	0.012
112/5	0.081
110	0.004
111/1	0.045
108/2	0.012
131/2	0.012
131/5	0.032
131/6	0.057
131/1	0.008
135/3	0.085
136/7	0.057
136/10	0.069
205	0.081
204/4	0.142
206/15	0.016

(1)	(2)
206/13	0.113
206/12	0.073
206/22	0.105
206/2	0.157
206/29	0.0[illegible]
206/5, 208/1	0.109
206/19	0.040
208/9	0.020
208/10	0.020
208/8	0.040
208/6	0.121
योग	2.490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—फगुरम सब डि. व्यूटी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 465/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भाटा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.078 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/3	0.162
39	0.036
161/1 क	0.057
11	0.113
19/1	0.065
19/2	0.159
24	0.121
43/2	0.012
[illegible]/2	0.008
[illegible]/1	0.016
44	0.012
161/1 ङ	0.004
161/1 ग	0.045
41/3	0.012
73/2	0.089
40	0.040
77	0.089
78/5	0.020
78/1	0.077
79	0.040
157, 488/2	0.057
91/1	0.130
91/2	0.008
92	0.073
96/2	0.049
94	0.065
93	0.053
95	0.028
96/3	0.081
96/1	0.101
144, 485/1	0.028
161/1 ख	0.053
161/1 घ	0.065
162/2, 162/3	0.319
148/2	0.101
145/8	0.053
144/2	0.004
145/1, 145/3, 145/5	0.113
148/1	0.053
145/9	0.024
144/2	0.045
143/2, 172/2	0.065
143/1, 172/2-6	0.045
143/2, 172/2-2	0.060
141/5	0.012
143/4, 172/2	0.073
140	0.057

(1)	(2)
139/6	0.061
139	0.008
143/3	0.008
योग	3.078

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--परसा माइनर (सिवरा + फगुरम).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 466/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम -सपिया, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.209 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1750/4	0.004
1750/1	0.024
1754/3	0.045
1755/1, 1755/3	0.057
1754/2, 1754/1, 1754/3	0.093
1756/2	0.004
1756/3	0.024
1758	0.024
1762/2	0.020
1765/1	0.016
1763/1	0.069
1793/4	0.045
1763/2	0.069
1762/4	0.057
1765/8	0.077
1793/3	0.093
1794/2	0.016
1681/2	0.117
1681/3	0.069
1681/1, 1801	0.069
1676	0.036
1675/1	0.053
1675/2	0.045
1859/1	0.040
1661	0.020
1942/5	0.032
1859/3	0.024
1860	0.049
1868	0.020
1867	0.012
1869	0.057
1866	0.057
1872/2	0.008
1874/1	0.109
1874/2, 1875/1	0.122
1883, 1875/3, 1877, 1878, 1879, 1881 1882	0.069
1890/4	0.016
1894/2	0.020
1888/2	0.024
1892/1	0.085
1891/2	0.020
1892/3	0.028
1891/6, 1891/7	0.016
1891/5	0.012
1891/3	0.032
1940/7, 1944	0.045
1890/1	0.016
1943/1	0.065
1870	0.057
1943/2	0.028
योग	2.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—फगुरम डायरेक्ट माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 467/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम -सेरो, प. ह. नं. 10
   (घ) लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर-2.474 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
65/2	0.065
74/1	0.008
65/3	0.008
75	0.004
65/5	0.223
74/4	0.016
65/9	0.012
82	0.012
81/1	0.004
84	0.097
88/2	0.210
88/4	0.069
86	0.097
34/2	0.085
88/3	0.020
90/1	0.012
89	0.020
90/3	0.016
93/5	0.040
88/1	0.028
92/2	0.004
92/5	0.004
90/2	0.040
53	0.004
92/1	0.020
91/2	0.020
52/7	0.028
52/5	0.040
49/2	0.020
33	0.057
52/6	0.190
34/1	0.101
35	0.150
21/5-6	0.004
21/4	0.223
18/2	0.036
39/5	0.030
17/2	0.287
50/1	0.040
38/2	0.020
39/6	0.110
योग	2.474

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सेरो सब डी. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 468/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-डभरा
   (ग) नगर/ग्राम -कठर्रापाली, प. ह. नं. 01
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.238 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
165/2	0.085
164/2	0.016
165/1	0.061
165/3	0.093
167/8	0.020

(1)	(2)
166/3	0.028
167/2	0.113
167/7	0.065
167/4	0.040
178	0.142
167/11	0.097
167/3	0.057
176	0.008
175	0.061
168	0.101
170/1	0.093
169	0.093
170/3	0.057
171/1	0.008
योग	1.238

(1)	(2)
165/2	0.085
164/2	0.016
165/1	0.061
165/3	0.093
167/8	0.020
166/3	0.028
167/2	0.113
167/7	0.065
167/4	0.040
178	0.142
167/11	0.097
167/3	0.057
176	0.008
175	0.061
168	0.101
170/1	0.093
169	0.093
170/3	0.057
171/1	0.008
योग	1.238

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--कठर्रापाली माइनर.

(3) भूमि का नकशा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 469/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम -भांटा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.255 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/6	0.032
108/7	0.065
109/1	0.097
110/1	0.069
108/3	0.036
110/2	0.028
111/1	0.040
111/2	0.153
112/2	0.057
115/1	0.004
114/2 क, 123/2 क	0.105
113/1 क	0.101
113/1 ग	0.045
113/ ख	0.049
132	0.057
133/4	0.061
133/2	0.049
133/5	0.045
134/2, 134/3, 134/4	0.049
134/6, 134/3, 134/4	0.045
134/2, 134/3, 134/4	0.040
6/4	0.028
योग	1.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--फगुरम सब डि. ब्यु. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नकशा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 470/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बेल्हाभांठा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.224 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	0.060
6/1	0.028
2/1	0.113
13/4	0.016
90/2	0.089
12/2	0.020
8/2	0.008
8/4	0.101
7/2	0.045
7/1	0.008
5/1	0.053
5/4	0.073
80/5, 93	0.069
4	0.064
3/1	0.093
1/2	0.093
1/1	0.004
89/2	0.012
90/1	0.061
91	0.121
92/2	0.093
योग	1.224

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कनाईडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 471/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -सुंखदा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.222 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
340/1	0.008
1339/1, 2	0.101
1368/1	0.113
योग	0.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—"कटौद मायनर 4" सिंघरा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 472/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -रामभांठा, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.381 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
873/1-3, 875/3, 4	0.081
344/4	0.020
874	0.057
876	0.012
787	0.016
788	0.016
786/2	0.024
791	0.049
873/2, 875/2	0.028
344/3	0.020
786/1	0.008
792	0.061
785	0.069
784, 783/1, 781/1-2	0.202
782/2	0.004
779/2	0.073
779/1	0.097
713/2	0.008
335	0.024
778/4	0.020
638/1	0.113
778/1	0.008
639/1, 2	0.061
614/1	0.032
640/1	0.040
640/2	0.040
641/3	0.040
654/27	0.004
654/28	0.057
654/29	0.061
654/7	0.081
654/8 क, 654/8 ख	0.238
654/20 ख	0.032
713/1, 713/3	0.040
654/15	0.073
654/24	0.081
343/5	0.028
654/10	0.081
350	0.028
349	0.032
344/1	0.016
873/4, 875/1	0.081
344/2	0.012
343/2	0.032
342/1	0.012
341/5	0.008
338	0.036
337/1	0.016
337/2	0.016
336	0.032
341/3 क	0.008
341/3 ख	0.008
340	0.045
योग	2.381

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—रामभांठा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 473/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम -सेरो, प. ह. नं. 10
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.053 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
65/5	0.032
65/4	0.004
65/13	0.004
66	0.174
68/1	0.020
286	0.077
67	0.040
70/2	0.012
265/1, 2, 3	0.101
283/1	0.016
270, 271	0.045
283/2, 282/1	0.048

(1)	(2)
272/1	0.020
284/2	0.008
193	0.053
277/1	0.255
243/2, 255	0.121
266/2, 268/2	0.004
272/2	0.020
175/1, 2	0.004
173/2	0.045
181/3, 4	0.251
177/2	0.012
170/6, 171/3	0.020
164	0.028
1801/1	0.425
163	0.024
181/2	0.060
184/5	0.028
184/3	0.004
183/1	0.170
196	0.202
198/1 ख	0.138
194	0.057
359/1, 359/4	0.154
359/3	0.134
360/3, 361/3	0.312
359/2	0.405
360/1, 361/1	0.405
362/2	0.121
योग	4.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सिंघरा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 474/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम -दलालपाली, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.324 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124/1	0.097
124/2	0.133
125/5	0.016
125/2	0.077
125/4	0.101
132	0.024
210/6	0.149
126/1	0.004
126/4	0.101
210/4 ख	0.081
131/4	0.129
131/1	0.004
209	0.077
232/1-2	0.036
145/2	0.044
145/4	0.121
131/3	0.004
145/13, 145/19	0.105
150/3	0.036
149	0.068
159	0.117
233	0.048
160/1	0.028
157/5	0.036
217/8	0.020
208/5	0.008
210/2	0.081
210/22	0.008
218/1	0.060
219/1	0.064
218/3	0.012
217/6	0.048
217/5	0.016
234/3	0.089
234/1	0.101
237/2	0.097
238/3	0.084
योग	2.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--दलालपाली माइनर.

(3) भूमि का नकशा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 476/सा-1/सात.---चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :---

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-डभरा
 (ग) नगर/ग्राम -कोटमी, प. ह. नं. 17
 (घ) लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर-7.682 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1509/1, 2	0.239
1510/4, 1511/3	0.032
1507, 1508, 1513	0.206
1521/1	0.093
1520	0.060
1519	0.064
1586/1	0.060
1586/2	0.182
1586/5	0.008
1585	0.048
1571/3	0.060
1571/1	0.032
1571/2	0.032
1572/4, 5	0.020
1573	0.153
1567/6	0.004
1568/2	0.016
1574	0.089
1565	0.190
1566	0.084
1564/1, 1564/2	0.125
1563/4	0.008
1563/5 ग	0.008
1283/1	0.089
1284/2	0.008
1276/2	0.072
1276/1	0.008
1273, 1300	0.024
1274	0.060
1262/1, 1275	0.116
1267, 1268/1	0.336
1271/3	0.101
1271/5	0.101
1271/2	0.008
1029	0.121
1028, 1025, 1026, 1027	0.068
1023	0.016
1022	0.142
1020, 1021	0.068
1017	0.105
1057, 1058	0.072
1054	0.036
1053	0.024
1129/2	0.064
1129/4	0.080
1128/1, 1128/2	0.105
1127/3	0.129
1127/2	0.052
1126/3	0.142
1125/2	0.182
1126/1	0.044
1125/3	0.060
1158/3	0.032
1121/1	0.052
1121/7	0.064
1162/1	0.093
1162/2	0.044
1162/3	0.052
1275/1, 1272/1	0.052

(1)	(2)
1267	0.004
1262/2	0.109
1263	0.088
1258	0.146
1241/2	0.165
1241/3	0.166
1236/6	0.008
1245/1	0.097
1245/2	0.076
1245/3	0.101
1716/2	0.080
1718/1	0.040
1717/1	0.036
1717/4	0.028
1717/3	0.068
1720, 1721	0.056
1245/1	0.008
1245/2	0.012
1245/7	0.060
1246/1	0.141
1247, 1248/1	0.004
1234	0.194
1249	0.028
1232/1, 1233/1	0.109
1232/2	0.020
1230/2	0.056
1219/2	0.093
1230/1	0.008
1229	0.052
1220/1	0.101
1224/1	0.117
1204/1	0.048
1226/4, 1204/2	0.121
1203	0.138
1202	0.056
1199/3	0.052
1198	0.020
1197, 1196	0.084
1769/2	0.072
1769/3	0.036
1771/2	0.024
1769/8	0.032
1769/5	0.089
1772	0.004
योग	7.682

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—रेड़ा माइनर, 6 एक ब्रांच माइनर, 6 एल 1 आर. ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 487/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -कंवलाझर, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.191 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
699	0.137
903	0.053
582/2	0.020
700/1	0.032
925, 926	0.004
583	0.008
700/2	0.032
923/2	0.020
580/1 घ	0.016
207/1	0.024
712/1	0.032
712/2	0.016
711	0.036
663/1	0.004
867/1	0.040
710/1	0.020

(1)	(2)
739/1, 752	0.093
862, 863	0.065
864, 865, 912/2	0.036
710/2	0.016
709	0.036
731	0.036
730	0.032
578/1 क, 579/3	0.141
662/6	0.024
662/1	0.089
662/5	0.024
663/2	0.004
661, 662/3, 662/4, 660/2	0.141
914	0.117
922/1	0.045
201/2 ङ	0.049
206	0.077
659	0.125
782/1	0.057
660/1	0.109
740	0.065
741	0.004
742/1, 743/1, 2	0.113
782/3	0.057
782/2	0.053
782/4, 5, 624/2	0.069
947/2	0.036
866	0.089
909/3	0.024
911/1, 2, 3	0.077
915	0.077
924	0.061
923/3	0.072
582/4	0.057
588	0.117
586/1	0.036
585/4	0.028
585/3	0.020
944/2	0.020
944/3	0.020
947/1	0.153
209	0.004
945	0.004
946	0.008
947/4, 947/5	0.004
948/1	0.016
580/1 ग	0.012
202/2	0.012
202/1	0.008
208	0.065
योग	3.191

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कवलाइझर ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 488/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -देवरघटा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.215 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
480, 506	0.057
313/2	0.073
510/2	0.020
508	0.097
507	0.145
475	0.153
417	0.149
322/1	0.206
474/2	0.097
473/2	0.101
465/2 क	0.109

(1)	(2)
473/1	0.053
466	0.081
468/2	0.068
471/4	0.032
471/1	0.097
468/1	0.045
468/3	0.053
424/1	0.214
421	0.040
420	0.053
322/2	0.057
321/1 क	0.129
312	0.105
311	0.032
321/1 ख	0.332
419	0.020
320/1	0.125
320/3	0.121
314	0.004
309/1	0.097
307	0.068
305	0.016
306	0.053
304/3, 304/1	0.020
304/5	0.089
460/1 क	0.004
योग	3.215

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—देवरघटा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 489/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -दर्री, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.527 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
491	0.194
490/2	0.036
650/2	0.036
650/1	0.158
651/2	0.073
650/3	0.008
655/1	0.049
648/2 क	0.012
648/2 ख	0.028
647	0.053
641/1	0.045
643/1	0.069
643/2 क	0.008
643/2 ख, 644	0.093
633	0.093
632	0.069
629	0.190
659/3	0.024
580	0.061
581	0.053
582/1	0.121
582/4	0.093
552, 554	0.089
550	0.028
549	0.016
548/2	0.024
547	0.020
441/1	0.121

(1)	(2)
441/2	0.049
440/2	0.093
439	0.036
435/2	0.028
428	0.024
434	0.036
430	0.032
431	0.032
429/2	0.077
419	0.081
योग 38	2.352

4 आर ब्रांच माइनर

(1)	(2)
659/3	0.012
659/4	0.020
691/1	0.008
691/2	0.073
योग 4	0.113

4 आर/1 आर ब्रांच माइनर

(1)	(2)
691/1	0.016
689/3	0.065
690	0.057
688	0.093
689/1	0.036
687/2	0.024
686/2	0.040
686/3	0.097
684/1	0.012
683	0.028
682	0.097
योग 11	0.565

5 एल ब्रांच माइनर

(1)	(2)
441/1	0.040
442/1	0.514
442/2	0.040
446/2	0.012
445/3	0.020
445/2	0.020
445/1	0.036
307/1	0.065
307/3	0.004
307/2	0.008
308/1	0.069
308/2	0.036
310/2	0.008
311	0.093
313/2	0.077
313/4	0.004
303/4	0.008
303/5	0.101
318/2	0.040
318/3	0.040
318/5	0.036
318/1	0.008
358/4	0.008
324	0.057
357/1	0.061
356/3	0.012
352/1	0.028
352/2	0.016
353	0.036
योग 29	1.497

कुल योग
(I) 2.352
(II) 0.113
(III) 0.565
(IV) 1.497

4.527

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—(I) गिरगिरा माइनर (II) 4 आर-ब्रांच माइनर (III) 4 आर/1 आर ब्रांच माइनर (IV) 5 एल-ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 493/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -धुरकोट, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.008 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
768/2	0.137
766/2	0.084
259/1, 4	0.109
796	0.133
768/1	0.064
781/2	0.008
781/4	0.016
260/3	0.028
782/2	0.064
782/1	0.076
765/5, 768/6	0.064
767/2	0.105
766/3	0.016
765/1	0.566
765/25	0.072
101/1	0.012
138/1	0.056
160/1	0.028
102/1	0.089
103/1 ख	0.040
(1)	(2)
104	0.069
136/3	0.052
136/2	0.012
(1)	(2)
134/1	0.060
135	0.036
134/2, 134/3, 134/4	0.165
134/6	0.040
158/1	0.040
158/2	0.008
159	0.121
180/3	0.044
180/1	0.101
179/1, 179/2	0.202
182/21	0.020
250/2	0.044
183/6	0.040
194/3	0.109
194/1	0.105
213	0.056
193/3	0.008
194/2	0.036
194/4	0.202
203	0.105
202/2	0.032
201	0.004
205/1	0.052
205/2	0.072
216/1	0.089
215/3, 215/4	0.036
212/1	0.076
212/2	0.057
211/1	0.137
211/2	0.129
250/3	0.149

(1)	(2)
256/3	0.121
255	0.084
257	0.218
259/1	0.093
259/4	0.093
259/19	0.076
259/20	0.040
215/2	0.008
योग	5.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--नवापारा उप-शाखा वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

—

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 494/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रायोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम -कटौद, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर-3.156 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
383/2, 387/2	0.069
395/1	0.097
396	0.061
465/1	0.020
744	0.012
397	0.036
398	0.032
399	0.032
400	0.045
401	0.040
514	0.053
513/4 क	0.057
513/5	0.045
512/1	0.020
511/1, 512/2	0.008
507	0.016
510, 511/2	0.036
509	0.028
504	0.036
503	0.036
501	0.012
500	0.016
502	0.012
475/1	0.069
493/2	0.077
488/1	0.045
491/2	0.032
489	0.008
490	0.093
460	0.012
462	0.012
463	0.012
464	0.004
461	0.008
460/2	0.053
466	0.077
1387/2	0.012
1385/2	0.004
746	0.149
748/1	0.008
747	0.153
839	0.020
838	0.032
841	0.020
836/1	0.008
837	0.016
842	0.053
843/3	0.020
851	0.077
1388	0.069
1379	0.049
850/1	0.040
849	0.089

(1)	(2)
847	0.032
848	0.073
1405	0.057
1403	0.129
1366	0.004
1396	0.010
1402, 1401/2	0.057
1400/1	0.004
1399/2	0.008
1400/2	0.101
1397/1	0.073
1397/2	0.028
1398/3	0.016
1365/1	0.004
1367	0.170
1387/1	0.008
1385/1	0.040
1386/1	0.089
1384	0.085
1383	0.028
योग 73	3.156

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कांसा मा./ब्रांच मायनर 1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 495/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम -फरसवानी, प. ह. नं. 7
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.805 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.020
2	0.040
25/2	0.065
25/3	0.057
95, 96	0.097
26	0.113
27	0.073
28	0.061
97/1	0.020
97/2	0.097
105/1	0.101
30	0.061
योग	0.805

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—फरसवानी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 496/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम -कांसा, प. ह. नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.974 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26/1	0.133
26/2	0.190
24/3	0.129
24/2	0.053

(1)	(2)
23/1, 2	0.202
22/1 क, 33/1 क	0.202
177/5	0.328
22/2, 33/1	0.061
870/1	0.125
33/5	0.053
130/2 ख, 177/2	0.049
127/1 च	0 [illegible]93
876/2 क	0.024
901/1	0.077
129/5	0.101
129/4	0.307
130/27	0.093
126/13	0.145
127/1 ग	0.024
124/2 ख	0.137
126/15	0.105
126/14	0.121
124/11	0.137
123/6, 7	0.137
124/2 ग	0.032
758/2, 3	0.081
753/10	0.024
756/4	0.053
762/4	0.061
898/2	0.049
903/7	0.053
756/2 क	0.053
762/6	0.061
764/2	0.020
764/1	0.085
870/3	0.081
870/5	0.061
870/7	0.045
873	0.190
872	0.045
871	0.073
876/2 ग	0.113
738/2	0.109
904/1	0.097
739/4	0.137
743/1 क	0.045
740/2	0.012
742/1, 2	0.065
741	0.028
893/6	0.020
893/9	0.045
902	0.093
899/1	0.053
899/2	0.040
903/5	0.024
योग	4.974

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कांसा मायनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 497/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.913 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
592/3	0.057
599/2	0.024
594/1	0.012
603, 620, 606	0.250
604	0.101
605	0.073
610/6, 618/4	0.101
619	0.121
618/1, 621/2	0.174
योग	0.913

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बड़े कोट माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 498/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.549 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
925	0.133
924	0.360
930/3, 4	0.016
930/2	0.016
930/1	0.024
योग	0.549

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—खुरघटी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 499/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कौड़िया, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर-0.830 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
368	0.044
367/1 क	0.081
367/1 ख	0.081
367/2	0.020
362, 363	0.053
366/2	0.020
311/5	0.109
311/6	0.044
311/7 ग	0.012
311/7 क	0.032
311/7 ख	0.032
311/8 ख	0.065
312	0.040
308/6	0.065
318	0.016
317	0.016
319/2	0.032
320	0.032
322, 323	0.036
योग	0.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—खैरा ब्रांच माइनर नं. 1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 500/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सुरवापाली, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.051 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83/12	0.016
92/2, 85	0.053
59	0.186
62	0.069
61	0.129
549/3	0.024
549/2	0.036
552	0.077
559/2	0.049
558	0.081
556/2	0.049
555/2	0.040
551/1	0.036
557/1	0.024
557/3	0.028
557/2	0.028
556/1	0.049
554	0.008
540/1	0.049
158/1	0.020
योग	1.051

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सुरवापाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 501/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-डभरा
   (ग) नगर/ग्राम-चुरतेली, प. ह. नं. 06
   (घ) लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर-0.178 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
655/4	0.012
654/4	0.166
योग	0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गोबरा सब. डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 502/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम-फगुरम, प. ह. नं. 09
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.605 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7315	0.036
130, 131, 132, 134	0.085
73/3	0.145
73/4	0.077
139	0.053
137/2	0.073
141/2	0.036
133	0.020
115/1	0.045
115/2	0.045
128	0.036
113/2	0.089
113/3, 155/2	0.109

(1)	(2)
157/1 ग	0.153
1051	0.004
1057	0.081
1054, 1055, 1056, 1069/1	0.324
1203	0.121
1204	0.073
योग	1.605

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--फगुरम माइनर नं. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 503/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-रामभांठा, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.312 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
873, 875/1	0.012
873/3, 875/4, 873/1, 875/2	0.045
842	0.020
843/1	0.016
1032/2	0.024
1032/3	0.012
844	0.113
845/1	0.040
845/2	0.016
835/1, 4	0.028
834	0.028
833/1	0.174
825/2	0.106
825/1	0.182
839/1	0.040
836/2, 846	0.032
836/1 ख	0.020
836/3	0.036
455	0.081
837	0.049
511/6, 544/4	0.105
511/7	0.028
511/2, 544/2	0.049
511/1	0.049
511/3	0.049
511/4	0.045
512	0.057
527/11	0.004
515/1, 2	0.053
516	0.113
519	0.081
418/1	0.057
418/2	0.040
418/3	0.053
419/4	0.004
419/2	0.008
514/3	0.020
419/1	0.016
419/3	0.008
423	0.057
424	0.141
425	0.049
426	0.040
432/1	0.097
444/2 ख	0.057
447	0.065
449/3	0.032
450/2, 453/1, 454/3	0.170
457/1 क	0.036
457/1 ख	0.049
466	0.032
465	0.057
468/8	0.073

(1)	(2)
483/2, 485/1	0.093
488/2	0.085
483/1, 485/2	0.101
488/1	0.036
488/7	0.004
479/1	0.024
482	0.065
544/3, 511/5	0.004
480, 479/2	0.032
योग	3.312

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—टेल मायनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 505/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-लटियाडीह, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.880 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9/1	0.137
31/3	0.113
172	0.016
7/4	0.048
30/1	0.032
7/2	0.016
76	0.028
9/2	0.048
7/1	0.113
31/1	0.012
79/1	0.060
73	0.028
79/4	0.178
79/2	0.044
78	0.008
91	0.121
89, 90	0.141
93	0.040
62	0.036
173	0.080
94	0.024
67	0.060
53/1 ख, 53/2	0.048
70/2	0.016
69	0.012
65	0.048
59/1	0.072
58	0.076
57	0.044
53/1 क	0.101
56/1	0.080
योग	1.880

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बड़े मुड़पार माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 506/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-राममांठा, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.204 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
949/2	0.036
950/3	0.024
955/3	0.028
952	0.040
953/2	0.040
955/1	0.028
941/1	0.012
941/3	0.012
959/1	0.004
959/3	0.012
959/5	0.008
963/1	0.004
963/2	0.016
959/2	0.036
962	0.008
961/2	0.016
923	0.117
960	0.004
931/1	0.032
935	0.024
936/1	0.077
928/2	0.057
927/2	0.105
934/1	0.040
934/2, 934/3	0.049
893	0.032
892/2	0.020
892/1	0.024
892/4	0.109
891	0.146
894/1	0.008
873, 875/1	0.036
योग	1.204

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—फरसवानी सब. डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 507/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-डभरा
 (ग) नगर/ग्राम-चुरतेली, प. ह. नं. 06
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.293 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
241/4, 241/5	0.093
241/2 क	0.024
241/1	0.081
152/1	0.057
199/3	0.093
237	0.069
203	0.020
204/3	0.020
199/2	0.045
928/5, 928/4	0.230
1203	0.008
199/4	0.109
198/2	0.153
191	0.004
190/2	0.101
928/6	0.040
928/3	0.020
932/1	0.049
932/2	0.073
933	0.004
योग	1.293

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—चुरतेली डायरेक्ट माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 508/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.884 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1873	0.016
1943/1	0.065
1872/2	0.016
1874/1	0.109
1874/2, 1875/1	0.121
1877, 1878, 1879	0.069
1881, 1882, 1883	
1890/4	0.016
1894/2	0.020
1888/2	0.024
1892/1	0.085
1891/2	0.020
1892/3	0.028
1891/6, 1891/7	0.016
1942/5	0.032
1891/5	0.012
1891/3	0.032
1940/7, 1944	0.045
1890/1	0.016
1870	0.057
1943/2	0.028
1866	0.057
योग	0.884

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—फगुरम डायरेक्ट माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 509/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.221 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1424/1 क	0.137
1420/1	0.218
1418/4, 1420/3	0.129
1418/3	0.012
1412/3	0.045
1412/2	0.061
1418/1-2	0.089
1415	0.053
1405/2	0.004
1416/1-2	0.049
1408/1-2, 1405/1	0.202
1406/1-3, 4	
1406/2	0.016
1404	0.109
1402/1	0.093
1403	0.004
योग	1.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—नवापारा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 510/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.449 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1750/4	0.004
1750/1	0.024
1754/3	0.045
1755/1, 1755/2	0.057
1754/1, 1754/2	0.093
1756/2	0.004
1756/3	0.024
1758	0.024
1762/2	0.020
1765/1	0.016
1763/1	0.069
1763/2	0.069
योग	0.449

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—फगुरम ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 511/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़ा सागर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.525 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/5	0.024
1/1	0.049
1/10	0.162
1/9, 115/3	0.028
16/4	0.028
16/8	0.219
17	0.132
27, 28	0.020
157	0.231
135, 136/1	0.053
158/1	0.263
169, 162, 164, 167/2, 168/2	0.304
158/4	0.093
159/1	0.036
161/2	0.231
161/3	0.028
138/1, 139	0.016
141/4	0.020
137/1	0.012
300	0.216
133	0.008
292/3	0.012
302	0.105
323/1, 323/2, 326, 337	0.085
317/2	0.008
149	0.142
योग	2.525

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सिंघरा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 512/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-ठनगन, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.590 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1114, 1066	0.008
1113	0.085
1112/2	0.032
1112/1	0.085
1110/4	0.024
1109/2	0.040
1108/2	0.049
1108/1	0.036
1108/4	0.040
1082/1	0.061
1082/2	0.061
1082/4	0.061
1110/1	0.008
योग	0.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है–ठगहन माइनर ब्रांच नं. 1

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 513/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.193 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
481/1	0.048
481/2	0.053
993	0.045
480/1	0.129
460	0.004
461/1	0.024
285/1	0.016
923/2	0.073
924	0.004
971/2 क	0.101
459/1	0.012
459/2	0.012
459/3	0.012
458/2	0.016
458/3	0.016
988/2	0.057
458/1	0.073
461/2	0.004
285/2	0.008
414/1	0.032
415/1	0.068
922	0.008
923	0.069
971/1 ख	0.032
970	0.049
165/1, 165/2	0.287
266/1	0.004
266/6	0.049
171/1	0.020
163/2	0.040
163/2	0.065
163/1	0.020
163/3	0.032
118/3	0.049
182/2 क	0.016
183/1, 2	0.016

(1)	(2)
184/1	0.202
184/2 क 185/1 क 186/1 क	0.356
302/3, 303/3	0.016
303/1, 304	0.170
302/2, 303/2	1.170
191	0.077
257/4 ग	0.332
266/3	0.004
266/5	0.125
272	0.133
275/2	0.061
283	0.016
284/1	0.004
284/2	0.004
284/3	0.004
282/3, 282/5	0.004
289/1, 289/2, 289/3	0.194
362/2	0.101
953/3	0.049
363/1, 363/3	0.008
359	0.008
360	0.028
361	0.045
364/2	0.020
990	0.045
992/1	0.020
992/2	0.020
994	0.012
988/1	0.053
981/1	0.004
985	0.036
984	0.105
982/1	0.081
982/2	0.016
982/3	0.020
921/1	0.061
921/3	0.077
935/1-2	0.004
949	0.045
936/5	0.020
937	0.049
938	0.109
940	0.040
941	0.008
943, 944	0.125
960/2	0.073
959	0.133
953/2	0.040
955/1	0.081
954/1 क, 954/3 ख, 954/1 ख	0.222
योग	5.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—गोबरा सब. डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 514/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिधितराई, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.013 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
471	0.036
472	0.089
500	0.004
268/1	0.065
473/1	0.049
502/1	0.032
473/2	0.069
473/3	0.032
477/1	0.053
477/5	0.061
480/2	0.036
480/3	0.045
481/3	0.057
479/1	0.117
502/7	0.036
350/3 ख	0.028
503/1	0.068

(1)	(2)
510/2	0.028
350/2 क	0.081
222/3	0.036
225/3, 226	0.036
121/1	0.049
269/1, 268/2	0.069
350/25	0.032
350/3 क	0.053
350/2 घ	0.020
361/4	0.053
98/1	0.073
361/6	0.053
98/3	0.049
361/5	0.109
96/4	0.040
361/7	0.008
96	0.045
65, 66, 67	0.166
74/2	0.077
64/2	0.061
106/3	0.045
64/1	0.045
106/6	0.040
106/9	0.036
63/1	0.061
84/2	0.053
82/2	0.016
61/2	0.049
72/2	0.073
74/1, 83/2	0.057
106/5	0.012
95/1	0.053
118	0.125
100/1	0.028
102/8	0.036
102/7	0.049
102/5	0.028
102/6	0.020
102/1	0.032
102/3	0.020
102/2	0.036
119/4	0.024
117/1	0.053
120/2	0.024
224	0.069
120/1	0.036
72/1	0.073
121/2	0.008
223	0.049
222/4	0.073
221/2	0.032
221/1	0.008
221/4	0.036
221/5	0.008
221/6	0.008
267	0.053
207/6	0.004
499, 501	0.186
351	0.020
477/5	0.024
467/1	0.008
469/2	0.053
481/2	0.008
482/1 क, 482/2 ख	0.061
482/1 ख	0.069
450/1	0.053
450/1 ख, 451/2	0.130
483, 484	0.073
467/10	0.053
467/5	0.182
467/6	0.146
454	0.101
453/5	0.012
453/6	0.004
453/1	0.045
453/4	0.049
453/2	0.045
451/1	0.223
361/4	0.024
361/1	0.069
319/4	0.064
360/5	0.024
360/7	0.024
360/6	0.020

(1)	(2)
315/4	0.053
360/2	0.028
359	0.024
353/2	0.036
353/1	0.016
352	0.012
329/3	0.057
320	0.121
321	0.077
323	0.077
315/3	0.057
314/1	0.036
314/7	0.045
314/5	0.024
314/6	0.012
312, 312/2	0.081
योग	6.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सिधीतराई माइनर, ब्रांच माइनर 2 एल. 3 आर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 515/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-खेमड़ा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.572 है.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
167/2	0.020
131/3	0.049
131/2	0.057
131/4	0.053
131/1	0.057
47/3	0.004
130	0.008
75/2	0.101
91/5	0.073
91/2	0.010
89/2	0.008
83/22	0.040
83/20	0.053
83/17	0.065
90/1	0.028
91/3	0.064
83/2	0.036
83/5	0.032
83/11	0.089
83/1	0.016
79/3	0.073
79/1	0.036
75/1	0.049
74/2	0.073
74/3	0.049
60/2	0.008
60/1	0.101
47/2	0.073
47/1	0.065
48/1	0.057
48/2	0.081
49/2	0.036
39	0.008
योग	1.572

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—खेमड़ा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 516/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.620 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
875	0.081
876/6	0.045
876/4	0.053
876/1	0.049
891/2	0.089
891/3	0.081
891/1	0.053
888	0.049
889/1	0.061
887/1, 4	0.045
883, 931, 884, 885, 886/2	0.117
930/4	0.045
940/3	0.012
929	0.085
1253/2	0.065
927/4	0.069
928	0.004
939/2	0.057
1242/2 घ	0.045
938	0.040
939/3, 4	0.024
1086/4	0.101
886/3	0.016
(1)	(2)
941/1	0.097
1086/10	0.004
1086/15	0.073
1086/14	0.065
1086/6	0.089
1265/1	0.036
1267	0.040
1086/5	0.016
1086/16	0.073
1084/2	0.061
1086/17	0.016
1086/3	0.162
1086/11, 12	0.061
1146, 1147/4, 5, 6, 1306	0.089
1242/5	0.077
1309/5, 6	0.004
1302, 1305/1, 2	0.045
1304/2	0.024
1303/2	0.004
1303/1	0.137
1265/2	0.101
1252/2	0.045
1266	0.040
1250/1	0.024
1263/2	0.085
1271	0.045
1248/2	0.045
1249	0.012
1248/3	0.040
1244/7	0.089
1252/1	0.045
1244/15	0.097
1244/6	0.032
1244/10	0.093
1244/11	0.042
1244/24	0.020
1244/26	0.024
1379/2	0.129
1243/1	0.105
1242/1	0.032
1086/13	0.016
योग	3.620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—फरसवानी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 517/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़).
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सुरवापाली, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.520 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39/2	0.008
39/3	0.109
39/1	0.012
39/4, 39/15	0.129
39/11	0.089
41/1	0.040
39/16	0.008
41/2	0.045
41/3	0.040
41/4	0.032
173, 174/2	0.008
योग	0.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सुरवापाली ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 518/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-फगुरम, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.299 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
767	0.028
765/3	0.012
765/1	0.077
565/2	0.049
1636/2	0.073
1635	0.036
1637	0.024
योग	0.299

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कुधरी माइनर नं. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 519/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.435 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1490/1	0.012
1516	0.024
1448	0.036
1449	0.081
1459	0.012
1458	0.032
1456	0.024
1457	0.024
1438	0.057
1439/1, 1441/1	0.040
1432/3	0.073
1452	0.020
योग	0.435

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—खैरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 520/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-ठनगन, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर-0.364 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1043/1, 1044/1	0.065
1042/2	0.182
1041/2	0.040
1045	0.077
योग	0.364

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—ब्रांच माइनर नं. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 521/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.407 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
रेड़ा माइनर I	
444/1, 2, 443	0.182
442	0.008
528, 529	0.020
423/1, 441/4, 5	0.053
441/2	0.032
422	0.057
414/1	0.049
193, 196, 412, 404/1, 411	0.510

(1)	(2)
405/1, 206, 407, 408, 214, 215/1	0.368
205/2, 3 215/2	0.182
224/1	0.004
226, 227	0.158
236	0.101
232/1	0.121
232/2	0.036
233	0.077
370/4	0.190
369	0.085
368, 370/4	0.154
367	0.069
370/3	0.069
366/2	0.045
366 से	0.020
574	0.036
575	0.020
577/2	0.097
578	0.308
193/3, 4	0.012
579	0.032
580/2	0.040
583/1	0.065
581, 584/3	0.109
योग	3.309

1 आर ब्रांच माइनर II

(1)	(2)
236	0.073
237	0.134
239	0.162
252/2	0.174
337/1	0.028
292	0.004
252/1	0.142
251/1	0.065
94	0.004
93/1	0.081
92	0.275
255	0.024
52	0.012
51	0.004
48	0.012
256	0.016
46	0.032
45	0.028
44/2	0.020
43	0.020
42/5	0.045
19/6	0.040
19/7	0.008
19/4	0.032
19/8	0.024
19/1	0.077
19/2	0.089
22	0.028
19/9	0.061
19/10	0.040
19/1	0.045
19/12	0.040
25	0.008
योग	1.847

1 आर/1 आर ब्रांच माइनर III

(1)	(2)
95	0049
104	0.057
103/1, 103/2	0.069
102/1, 2, 3, 4	0.097
85	0.356
106	0.053
84	0.016
83	0.121
82	0.020
81	0.069
79, 80	0.077
योग	0.984

क्रोमो माइनर IV

(1)	(2)
517	0.053
528, 529	0.214
योग	0.267

(I)	3.309
(II)	1.847
(III)	0.984
(IV)	0.267
कुल योग	6.407

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—(I) रेड़ा माइनर, (II) 1 आर ब्रांच माइनर, (III) 1 आर/1 आर ब्रांच माइनर, (IV) क्रोमो माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 522/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-गिरगिरा, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.608 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
गिरगिरा माइनर I	
186	0.012
187	0.077
188/2	0.012
644/2	0.008
188/1	0.024
191/2	0.057
192/2	0.008
192/1	0.081
281/1, 281/2	0.077
654/3	0.032
195/6	0.089
196	0.028
239, 241	0.028
644/1	0.008
292/2	0.073
287/2	0.028
232/1, 232/2	0.089
440/1	0.193
693/1	0.012
232/5	0.061
232/4	0.040
198. 231/1	0.129
238	0.057
299	0.004
298	0.081
297	0.101
292/1	0.077
279/1	0.040
280	0.057
440/2	0.085
460/2	0.049
460/1	0.053
460/3	0.040
460/5	0.032
462	0.150
643/3	0.020
643/4	0.020
643/2	0.016
642/1	0.020
642/4	0.024
653/1	0.016
653/2	0.020
653/3	0.020
655	0.065
656/1	0.965
योग	2.278

8 एल ब्रांच माइनर II

(1)	(2)
654/3	0.036
615/2, 617/1, 618, 619	0.089
715	0.073
628	0.073
627/2	0.036
627/3	0.028
625	0.061
614	0.028
615/1	0.008
536/2	0.028
533/2	0.032
613	0.053
568/1	0.057
568/3	0.065
568/4	0.045
571/1	0.073
538/1	0.024
536/3	0.004

(1)	(2)
536/1	0.057
534/1	0.016
532	0.085
535	0.049
537	0.109
योग	1.129

6 एल ब्रांच माइनर III

297	0.012
237/3	0.012
247/5	0.016
247/12	0.016
40/2	0.065
116/13	0.077
247/1	0.032
247/4	0.004
247/6, 7, 8, 9	0.012
251	0.061
92/2	0.020
110/2, 110/3, 111/3	0.097
104/1, 2, 45/1	0.097
45/2, 45/3, 46	0.210
248	0.008
251/3	0.081
257	0.049
254/2	0.004
258/3	0.053
258/2	0.020
121/2 ग	0.032
119/2	0.041
114/1	0.057
120	0.032
119/1	0.101
116/4, 116/17	0.053
116/5	0.089
116/22	0.004
116/20	0.008
116/6 घ	0.020
116/26	0.040
115/2	0.053
99/1	0.008
112/1	0.053
44/1	0.049
योग	1.586

7 आर ब्रांच माइनर IV

(1)	(2)
297	0.036
296	0.065
295	0.040
294/2	0.097
294/1, 331/4	0.093
331/3	0.065
331/5	0.057
344	0.206
343/1	0.073
342/2	0.053
342/3	0.032
342/7	0.024
340	0.073
339	0.073
338/2	0.004
योग	0.991

7 आर, 1 एल ब्रांच माइनर V

339	0.085
348/2	0.040
351/1	0.065
348/1, 350	0.069
351/2	0.053
353/2	0.097
354/1	0.081
693/9	0.053
693/6	0.081
योग	0.624

(I)	2.278
(II)	1.129
(III)	1.586
(IV)	0.991
(V)	0.624
कुल योग	6.608

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—(I) गिरगिरा माइनर, (II) 8 एल ब्रांच माइनर, (III) 6 एल ब्रांच माइनर, (IV) 7 आर ब्रांच माइनर, (V) 7 आर, 1 एल ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 523/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-परसाडीह, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.939 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60/4	0.049
63/5, 65/5	0.073
43/5	0.069
60/2	0.073
61/1	0.040
62/2	0.004
62/1	0.028
63/19, 65/19	0.053
68/2	0.061
68/1	0.036
69	0.004
70/1	0.036
71/1, 2	0.069
55/2	0.045
72/2	0.020
73/2	0.073
43/3, 43/4	0.036
43/1	0.065
43/2	0.105
योग	0.939

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—फरसवानी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 517/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कटौद, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर-3.156 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1388	0.069
1379	0.049
850/1	0.040
849	0.089
847	0.032
848	0.073
1405	0.057
1403	0.129
1366	0.004
1396	0.010
1402, 1401/2	0.057
1400/1	0.004
1399/2	0.008
1400/2	0.101
1397/1	0.073
1397/2	0.028
1398/3	0.016
1365/1	0.004
1367	0.170
1387/1	0.008
1385/1	0.040
1386/1	0.089
1384	0.085
1385	0.028
योग	3.156

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कांसा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 525/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-डभरा
   (ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10
   (घ) लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर-6.482 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
876/1	0.121
910	0.077
912/2	0.004
913	0.113
930/2	0.004
930/3	0.012
930/4	0.020
930/5	0.024
934/1	0.162
934/2	0.162
933/1	0.077
935/4	0.036
963	0.157
2059, 2060/3, 2058	0.036
961/1	0.089
2373	0.141
2069/2	0.008
2064, 2075	0.081
956/1	0.157
2362/1	0.012
936/1	0.045
1166/1	0.160
1168/3, 1180	0.295
2331/2, 2332	0.012
2333, 2334	0.077
2343	0.004
2342	0.049
2340, 2341	0.117
2347, 2348, 2349	0.109
938	0.008
947	0.145
1132/2	0.016
1165	0.136
1168/1	0.053
1179	0.117
1424/1 घ	0.101
955	0.073
2062, 2063	0.045
954/4	0.012
939	0.032
940/3	0.121
1005/5	0.073
1008	0.073
2066, 2067	0.057
1009	0.020
1146/1	0.040
1145	0.032
1087/1, 3	0.149
1088	0.073
1092	0.085
1137	0.004
1091/1	0.024
1091/2	0.069
1134/1	0.101
1134/2	0.069
1134/3	0.069
1132/3	0.016
1424/1 क	0.057
1168/2	0.028
1182/2, 1183	0.020

(1)	(2)
1182/4	0.016
1182/1	0.101
1185/1	0.073
1424/1 ख	0.101
1424/1 ग	0.129
1424/1 इ	0.004
2321	0.053
2627/3	0.040
2632	0.045
2319	0.061
2628, 2620	0.057
2627/1	0.045
2322/3	0.036
2329/1	0.020
2328/5	0.081
2330/2	0.004
2344/4	0.004
2352/4	0.012
2352/2	0.032
2352/9	0.020
2356/4, 6	0.137
2360/1	0.214
2352/3	0.061
2364/3	0.117
2365, 2366/2	0.028
2381	0.045
2379	0.012
2380/1 क	0.053
2378	0.045
2377	0.008
2376	0.036
2374, 2375, 2360	0.012
2372/1	0.004
2371/1	0.012
2371/2	0.149
2057	0.137
2037	0.036
2036	0.049
2034/2	0.057
2034/1	0.057
योग	6.482

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—छुहीपाली सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 574/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौद
- (ग) नगर/ग्राम-परसा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.176 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33/5	0.073
50/8	0.145
378/2	0.069
378/4	0.049
34	0.085
31	0.182
30	0.077
29/3	0.061
49/1	0.073
50/1	0.045
49/2	0.069
50/10	0.065
256/5, 378/1	0.073
17/2	0.004
557/2	0.040
20/1	0.036
232/1	0.053
17/1	0.045

(1)	(2)
232/10	0.023
236/3	0.004
232/3	0.008
238/3	0.126
256/4	0.105
256/1	0.024
557/1	0.045
257, 375/1, 377	0.036
421	0.081
423	0.049
424	0.085
425	0.101
419/6	0.008
563/1	0.081
508/1	0.004
508/2	0.081
508/3	0.057
498/1	0.032
496	0.089
498/2	0.008
497	0.032
507	0.016
499/1	0.065
485/3, 563/3, 628/1	0.089
555	0.065
557/3	0.089
558	0.004
559	0.012
560	0.166
562/2, 563/2, 564/1	0.121
485/4, 563/4, 628/2	0.109
629/1, 629/2	0.117
योग	3.176

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—टेल माइनर (सिंघरा+फगुरम).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मई 2003

क्रमांक 575/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-डभरा
 (ग) नगर/ग्राम-कटौद, प. ह. नं. 6
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.468 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1663	0.020
1664	0.032
1665	0.032
1666	0.065
1667	0.049
1668	0.045
1670	0.040
1671	0.028
1672	0.032
1708/1	0.004
1701/6, 1707	0.012
1701/1	0.016
1698	0.049
1697/1 से 9	0.032
1706/2	0.012
योग	0.468

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कटौद सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.